एमजेएसजे कोल लिमिटेड
(महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की एक सहायक कंपनी)

सतत रूप से विकसित भारत की ओर अग्रसर

वर्षों का जश्न

वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा | 2024 - 25

वार्षिक प्रतिवेदन
एवं लेखा
2024-25

एमजेएसजे कोल लिमिटेड
(महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की एक सहायक कंपनी)
(सीआईएन-U10200OR2008GOI010250)
पंजीकृत कार्यालय : बलान्डा ट्रांसिट कैंप, प्रथम तल, पोस्ट - बलान्डा ,
साउथ बलान्डा , तालचेर, अंगुल, ओड़िशा- 759116.

सूची

क्रमांक		पृष्ठ संख्या
1.	कंपनी की जानकारी	01
2.	सूचना 17वीं वार्षिक सामान्य बैठक	02
3.	निदेशकों के प्रतिवेदन	03-05
4.	स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	06-13
5.	अनुपालन प्रमाण पत्र	14
6.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए एमजेएसजे कोल लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ	15-16
7.	वर्ष 2024-2025 के लिए वित्तीय विवरण	17-92

कंपनी की जानकारी

निदेशक मण्डल :

श्री ए. के. बेहुरा (डीआईएन-09712877)	अध्यक्ष	(16.09.2022 से प्रभावी)
श्री दीपांकर पंडा (डीआईएन - 06833507)	निदेशक	(22.07.2021 से प्रभावी)
श्री वी. शिवारामाकृष्णा (डीआईएन:1047771)	निदेशक	(01.02.2023 से प्रभावी)
श्री चंद्र प्रकाश टटेड (डीआईएन - 08364541)	निदेशक	(17.06.2019 से प्रभावी)
श्री सुभजित सरकार (डीआईएन: 09286970)	निदेशक	(22.07.2021 से प्रभावी)
श्री अनुपम श्रीवास्तव (डीआईएन: 09502251)	निदेशक	(13.08.2024 तक)
श्री गोबर्धन महापात्र (डीआईएनः 20125609)	निदेशक	(13.08.2024 से प्रभावी)
श्री के. एस. सिंह (डीआईएन: 09595085)	निदेशक	(16.01.2022 से प्रभावी)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी :
श्री के. एस. सिंह

मुख्य वित्तीय अधिकारी :
श्री एम. आर. मिश्रा

कंपनी सचिव :
श्री एस. परिडा

सांविधिक लेखापरीक्षक:
मुरारीलाल अग्रवाल एंड कंपनी.
सनदरी लेखाकार अंगुल, ओड़िशा

बैंकर्स :
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तालचेर
एक्सिस बैंक , तालचेर

सूचना
17वीं वार्षिक सामान्य बैठक

यह सूचना दी जाती है कि एमजेएसजे कोल लिमिटेड के सदस्यों की 17वीं वार्षिक सामान्य बैठक निम्नलिखित कार्य हेतु सनिवार, 12 जुलाई, 2025 को पूर्वाह्न 11.30 बजे पंजीकृत कार्यालय : बलान्डा ट्रांसिट कैंप, प्रथम तल, पोस्ट - बलान्डा , साउथ बलान्डा , तालचेर, अंगुल, ओड़िशा- 759116 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य दृश्य-श्रव्य साधन (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित होगी :

सामान्य कार्य :

1. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर विचार करना और उन्हें अपनाना, जिसमें 31 मार्च, 2025 तक की लेखा परीक्षा तुलन पत्र और समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण और निदेशक मंडल, सांविधिक लेखा परीक्षक और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल हैं।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के साथ पठित धारा 139 (5) के अनुसार वित्तीय वर्ष 20225-4 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने हेतु तथा सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प को संशोधन के साथ या बिना, संशोधन के पारित करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को अधिकृत करना।

   «संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम - 2013 की धारा 142 के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल को धारा 5)139) के तहत वित्तीय वर्ष 20225-4 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा कंपनी के लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को तय करने के लिए अधिकृत किया जाता है।»

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते एमजेएसजे कोल लिमिटेड

ह/-
(एस. परिडा)
कंपनी सचिव

टिप्पणी :

1. कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 18 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 2023/09 (वर्तमान में लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुन: अधिनियमन सहित) और अन्य लागू कानून और विनियम के अनुसार एमजेएसजे कोल लिमिटेड के सचिवीय लेखा परीक्षक सहित शेयरधारक, निदेशक और लेखा परीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल (ओएवीएम) के माध्यम से बैठक में भाग ले सकते हैं और/या मतदान कर सकते हैं वे बैठक में भाग लेने और/या मतदान करने के हकदार हैं। ताकि बैठक में विचार की गई वस्तुओं पर cs.mcl@coalindia.in. पर ई-मेल भेजकर उनकी सहमति या असहमति व्यक्त की जा सके।

2. सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। तथापि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 112 और 113 के अनुसरण में सदस्यों के प्रतिनिधियों को वी.सी. या ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से भागीदारी और मतदान के लिए नियुक्त किया जा सकता है। वी.सी. या ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए, कंपनियों की अधिकृत ई-मेल आईडी से लिंक पहले ही उपलब्ध करा दिया जाएगा तथा बैठक में शामिल होने की सुविधा बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से कम से कम 15 मिनट पहले खुली रखी जाएगी तथा निर्धारित समय के 15 मिनट बाद तक बंद नहीं की जाएगी।

सदस्यगण

1) महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर – 768020.
(उपस्थित : कंपनी सचिव, एमसीएल संबलपुर)

2) जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड, जिंदल मेशन, 5 A, डॉ. जी.देशमुख मार्ग, मुम्बई- 400026.
(उपस्थित : कंपनी सचिव, जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड, मुम्बई)

3) जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड, जिंदल मेशन, 5 A, डॉ. जी.देशमुख मार्ग, मुम्बई- 400026.
(उपस्थित : कंपनी सचिव, जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड, मुम्बई)

4) जेएसएल लिमिटेड, जिंदल केन्द्र, 12, भीकाजी कामा प्लेश, नई दिल्ली110066-
(उपस्थित : कंपनी सचिव, जेएसएल लिमिटेड, नई दिल्ली)

5) श्याम मेटेलिक एंड एनर्जी लिमिटेड, ट्रिनिटी टावर, 7वां तल, 83 तोपसिया रोड , कोलकाता700046-
(उपस्थित : कंपनी सचिव, श्याम लेटलिक और एनर्जी लिमिटेड, कोलकाता)

लेखा परीक्षकगण

मेसर्स मुरारीलाल अग्रवाल एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, अंगुल, ओड़िशा

सभी निदेशकगण, एमजेएसजे कोल लिमिटेड

निदेशकगणों के रिपोर्ट

सेवा में
शेयरधारक
एमजेएसजे कोल लिमिटेड

प्रिय सदस्यगण,

मुझे निदेशक मण्डल की ओर से एमजेएसजे कोल लिमिटेड की 17वीं वार्षिक आम बैठक में आपका स्वागत करते हुए अपार खुशी हो रही है। मैं मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट (भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों), वैधानिक लेखा परीक्षक और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ आपकी कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ।

1. पूंजीगत संरचना:

दिनांक 31.03.2025 तक कंपनी की अधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी 200.00 करोड़ और जारी एवं सब्सक्राइब्ड इक्विटी पूंजी 95.10 करोड़ रुपये है, जिसमें कंपनी के शेयरधारकों ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार योगदान दिया है:-

(रु करोड़ में)

शेयरधारक का नाम	राशि	शेयरधारिता प्रतिशत
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	57.06	60%
जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड	10.46	11%
जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड	10.46	11%
जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड	8.56	9%
श्याम मेटेलिक एंड एनर्जी लिमिटेड	8.56	9%
कुल	95.10	100%

2. वित्तीय समीक्षा

कंपनी ने उत्कल ए-गोपाल प्रसाद की खदानों का आवंटन रद्द कर दिया गया। अतः कंपनी की लेखांकन नीतियों के अनुसार, अवधि के दौरान किए गए सभी व्यय को समीक्षाधीन अवधि के लिए लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित किया गया है। लेखा से प्राप्त वित्तीय आंकड़ों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :

31 मार्च, 2025 को बैलेंस शीट सामग्री_

(रु. लाख में)

क्रमांक	विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
1	अधिकृत शेयर पूंजी	20000.00	20000.00
2	चुकता शेयर पूंजी	9510.00	9510.00
3	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	0.07	0.07
4	नकद और नकद समकक्ष (जमा सहित)	4037.79	2222.32
5	चालू परिसंपत्तियां (नकद और नकद समकक्षों को छोड़कर)	4366.53	5952.20
6	वर्तमान देनदारियां	719.89	624.62

लाभ एवं हानि विवरण का सार

(रु. लाख में)

क्रमांक	विवरण	चालू वर्ष 2024-25	पिछले वर्ष 2023-24
1	अन्य आय	242.20	139.29
2	कर पूर्व लाभ	179.77	89.57
3	कर व्यय	45.24	23.55
4	कर पश्चात लाभ	134.53	66.02

3. **ऋण गारंटी या निवेश का विवरण:**
कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2015 को जारी स्पष्टीकरण और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 (4) और (11) के अनुसार वित्तीय विवरणों में किए गए निवेश, दिए गए ऋण या गारंटी या प्रदान की गई सुरक्षा के पूर्ण विवरण का खुलासा करना आवश्यक है और जिस उद्देश्य के लिए ऋण या गारंटी या सुरक्षा का उपयोग ऋण या गारंटी के प्राप्तकर्ता द्वारा प्रस्तावित है, उसका खुलासा किया जाना चाहिए।

4. **संबंधित पार्टी लेन-देन:**
वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए सभी संबंधित पार्टी लेन-देन निष्पक्ष आधार पर थे तथा व्यवसाय के सामान्य क्रम में थे। कंपनी द्वारा प्रमोटरों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों या अन्य नामित व्यक्तियों के साथ कोई भी महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेन-देन नहीं किया गया है, जिससे कंपनी के हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता हो।

5. **जोखिम प्रबंधन:** लागू नहीं।

6. **ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और बहिर्गमन:** शून्य

7. **सतर्कता तंत्र / व्हिसल ब्लोअर नीति:** सरकारी कंपनी होने के कारण, कंपनी की गतिविधियां सीएजी, सतर्कता, सीबीआई आदि द्वारा लेखापरीक्षा के लिए खुली हैं।

8. **नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति:** लागू नहीं

9. **निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व:** लागू नहीं

10. **लेखा परीक्षकगण:** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत, वर्ष 2024-25 के लिए खातों की लेखा परीक्षा करने के लिए निम्नलिखित ऑडिट फर्म को कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था:-

मुरारीलाल अग्रवाल एंड कंपनी.
सनदरी लेखाकार अंगुल, ओड़िशा

11. निदेशक मण्डल:

दिनांक 31.03.2025 तक निम्नलिखित व्यक्ति कंपनी के निदेशक थे:

श्री ए. के. बेहुरा (डीआईएन-09712877)	अध्यक्ष	(16.09.2022 से प्रभावी)
श्री दीपांकर पंडा (डीआईएन - 06833507)	निदेशक	(22.07.2021 से प्रभावी)
श्री वी. शिवारामाकृष्णा (डीआईएन : 1047771)	निदेशक	(01.02.2023 से प्रभावी)
श्री चंद्र प्रकाश टटेड (डीआईएन - 08364541)	निदेशक	(17.06.2019 से प्रभावी)
श्री सुभजित सरकार (डीआईएन : 09286970)	निदेशक	(22.07.2021 से प्रभावी)
श्री गोबर्धन महापात्र (डीआईएनः 20125609)	निदेशक	(13.08.2024 से प्रभावी)
श्री के. एस. सिंह (डीआईएन - 09595085)	निदेशक	(16.01.2022 से प्रभावी)

12. **बोर्ड बैठक:**

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान तीन बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं। इस अवधि के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:

बैठक नं.	बैठक की तिथि	बैठक का स्थान
70वीं	15.04.2024	एमसीएल कार्यालय, सम्बलपुर
71वीं	12.07.2024	एमसीएल कार्यालय, सम्बलपुर
72वीं	13.08.2024	एमसीएल कार्यालय, सम्बलपुर
73वीं	07.10.2024	एमसीएल कार्यालय, सम्बलपुर
74वीं	08.01.2025	एमसीएल कार्यालय, सम्बलपुर

बोर्ड की संरचना, निदेशकों की व्यक्तिगत उपस्थिति का विवरण:-

निदेशकों के नाम	श्रेणी	बोर्ड बैठकें	
		कार्यकाल के दौरान आयोजित	शामिल हुए
श्री ए.के. बेहुरा	गैर-कार्यकारी	5	5
श्री अनुपम श्रीवास्तव	गैर-कार्यकारी	2	2
श्री गोबर्धन महापात्र	गैर-कार्यकारी	3	2
श्री दीपांकर पांडा	गैर-कार्यकारी	5	2
श्री वी. शिवारामाकृष्णा	गैर-कार्यकारी	5	1
श्री चन्द्र प्रकाश टटेड	गैर-कार्यकारी	5	3
श्री सुभजीत सरकार	गैर-कार्यकारी	5	4
श्री कृपा शंकर सिंह	गैर-कार्यकारी	4	2

13. **कर्मचारियों का विवरण:** लागू नहीं।

14. **निदेशकों के उत्तरदायित्व का बयान:**

निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के तहत आवश्यकतानुसार, इसकी पुष्टि की जाती है:-

1. 31.03.2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक खातों की तैयारी में, भौतिक प्रस्थान से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है (खातों पर अतिरिक्त टिप्पणियों में बताए गए को छोड़कर) ।
2. निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें लगातार लागू किया है और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की तथा उस अवधि के लिए कंपनी का लाभ या हानि की सही और निष्पक्ष स्थिति दी जा सके।
3. निदेशकों ने इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की है ।
4. निदेशकों ने दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए खाते गोइंग कंसर्न पर तैयार कर लिए हैं।
5. उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद थे और वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त थे तथा प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे।
6. निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और यह कि ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं ।

15. **सी एंड ए जी टिप्पणियाँ:**

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के खातों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां इसके साथ संलग्न हैं।

16. **लेखा परीक्षकों के रिपोर्ट**

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में की गई टिप्पणियां तथा उनसे संबंधित प्रासंगिक टिप्पणियां स्वतः स्पष्ट हैं, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के तहत किसी और टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204 (1) के तहत आवश्यक है, कंपनी ने इसके साथ संलग्न एक सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त की है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार कंपनी ने संलग्न सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त कर ली है।

17. **अभिस्वीकृति**

आपके निदेशकगण, लेखापरीक्षकों महानिदेशालय (कोयला), कोलकाता, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों तथा कंपनी रजिस्ट्रार, ओडिशा द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए उनकी सराहना करते हैं।

परिशिष्ट

निम्नलिखित कागजात संलग्न हैं:-

1. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के तहत नियुक्त किए गए सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट (अनुलग्नक - I)
2. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी। (अनुलग्नक-II)

हस्ताक्षर /-
(ए. के. बेहुरा)
डीआईएन: 09712877
अध्यक्ष

दिनांक : 10.04.2025
स्थान: सम्बलपुर

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

मेसर्स एमजेएसजे कोल लिमिटेड, अनगुल

के सदस्यों के लिए

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

मत

हमने एमजेएसजे कोल लिमिटेड («कंपनी») के भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षा किया है, जिसमें **31** मार्च, **2025** तक की तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण, और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी के सारांश सहित वित्तीय विवरणों के टिप्पणी शामिल हैं (जिन्हें आगे «वित्तीय विवरण» कहा जाएगा)।

हमारी राय एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') द्वारा अपेक्षित जानकारी प्रदान करते हैं तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2025 तक कंपनी की स्थिति, उसकी हानि, इक्विटी में परिवर्तन तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए उसके नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करते हैं।

मत का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 10)143) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार अपना लेखापरीक्षण किया। इन मानकों के अंतर्गत हमारी ज़िम्मेदारियाँ हमारी रिपोर्ट के «वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण हेतु लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व» अनुभाग में विस्तार से वर्णित हैं। हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता और कंपनी अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षण हेतु प्रासंगिक स्वतंत्रता आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियाँ भी पूरी की हैं। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो, हमारे पेशेवर निर्णय के अनुसार, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उन पर हमारी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर अलग से कोई राय नहीं देते हैं।

एसए 701 के अनुसार प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों की रिपोर्टिंग, प्रमुख लेखापरीक्षा मामले कंपनी पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि यह एक गैर-सूचीबद्ध कंपनी है।

वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए ज़िम्मेदार है। अन्य जानकारी में बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल जानकारी, जिसमें बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक भी हैं, शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम इस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अन्य जानकारी को पढ़ें और ऐसा करते समय इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त जानकारी से भौतिक रूप से असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण ग़लत जानकारी दी गई है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमें कुछ भी रिपोर्ट नहीं करना है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 5)134) में वर्णित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, इक्विटी में परिवर्तन के विवरण और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, जिसमें अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानक (इंड एएस) शामिल हैं, इसके तहत जारी प्रासंगिक नियमों के साथ पढ़ें। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे, जो एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले भौतिक गलत बयानों से मुक्त हैं।

वित्तीय विवरण तैयार करते समय, प्रबंधन कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, जहां लागू हो, चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार होता है, जब तक कि प्रबंधन कंपनी को समाप्त करने या परिचालन बंद

करने का इरादा न रखता हो, या ऐसा करने के अलावा उसके पास कोई वास्तविक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) के वित्तीय विवरण, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त हैं, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि धारा 10)143) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानक के अनुसार किया गया लेखा परीक्षण हमेशा किसी महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता लगाएगा, जब वह मौजूद हो। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

एसए के अनुसार लेखा परीक्षा के एक भाग के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय लेते हैं और पूरे लेखा परीक्षा के दौरान व्यावसायिक संशय बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले गलत विवरण के जोखिमों की पहचान और आकलन करना, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन और कार्यान्वित करना, और ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी से उत्पन्न गलत विवरण का पता न लगने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न होने वाले गलत विवरण की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना ताकि परिस्थितियों के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ तैयार की जा सकें। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी ज़िम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के लिए प्रबंधन द्वारा चालू व्यवसाय के आधार का उपयोग करने की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी के चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर गंभीर संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा, या यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय संशोधित करनी होगी। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।
- एकल वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन करना, जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल है, तथा यह भी कि क्या एकल वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि उनका निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण हो सके।

हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा लेखापरीक्षा के दौरान पहचाने गए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में संवाद करते हैं।

हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों को यह बयान भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, तथा उनसे उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करते हैं, जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले माने जा सकते हैं, तथा जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी बताते हैं। शासन के प्रभारी व्यक्तियों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए वे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का वर्णन अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में तब तक करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को नहीं रोकता है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे संचार के सार्वजनिक हित लाभों से अधिक होने की उम्मीद है।

अन्य मामले:

हमने निदेशक मंडल द्वारा अपनाए गए वित्तीय विवरणों पर अनगुल में दिनांक 10.04.2025 को एक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (मूल रिपोर्ट) जारी की थी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के अनुसरण में, हमने उक्त लेखापरीक्षा रिपोर्ट को संशोधित किया है। यह लेखापरीक्षा रिपोर्ट मूल रिपोर्ट का स्थान लेती है, जिसे अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट और स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक 1 के क्रम संख्या (iii), (vii), (xvii) और (xix) के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए उचित रूप से संशोधित किया गया है। मूल रिपोर्ट की तिथि के बाद की घटनाओं पर हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया केवल इस अनुच्छेद में उल्लिखित मद में किए गए संशोधन तक ही सीमित है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के अनुसार भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश») की आवश्यकता के अनुसार, हम «अनुलग्नक-1" में आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण प्रस्तुत करते हैं।
2. हम अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार, कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की ऐसी जांच के आधार पर, जैसा कि हमने उचित समझा, तथा भारत

के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर «अनुलग्नक-2” में हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार अपनी रिपोर्ट संलग्न कर रहे हैं।

3. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

i. हमने सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार उपरोक्त भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

ii. हमारी राय में, उपर्युक्त भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें कंपनी द्वारा रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है।

iii. इस रिपोर्ट में शामिल तुलन पत्र, लाभ-हानि विवरण, इक्विटी में परिवर्तन विवरण और नकदी प्रवाह विवरण, भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए बनाए गए प्रासंगिक खाता बहियों के अनुरूप हैं।

iv. हमारी राय में, उपर्युक्त भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2021 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

v. हमें सूचित किया गया है कि निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार यह एक सरकारी कंपनी है।

vi. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, कृपया «अनुलग्नक-3” में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक अपरिवर्तित राय व्यक्त करती है।

vii. अधिनियम की धारा 197(16) की आवश्यकताओं के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, जैसा कि संशोधित किया गया है, हमें सूचित किया जाता है कि प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार यह एक सरकारी कंपनी है।

viii. प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) को, जिसमें विदेशी संस्थाएं («मध्यस्थ») शामिल हैं, कोई भी निधि (चाहे उधार ली गई निधि से या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या निधि के प्रकार से) अग्रिम या ऋण के रूप में या निवेशित नहीं की गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी («अंतिम लाभार्थी») द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा।

ix. प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी को किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) से, जिसमें विदेशी संस्थाएं («वित्तपोषण पक्ष») शामिल हैं, कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्त पोषण पक्ष («अंतिम लाभार्थी») द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज़ प्रदान करेगी; और

x. हमने जिन लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को परिस्थितियों के अनुसार उचित और उपयुक्त माना है, उनके आधार पर हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि उप-खण्ड (1) और (2) के अंतर्गत प्रस्तुत अभ्यावेदनों में कोई भी भौतिक गलत कथन निहित है।

xi. वर्ष के दौरान दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) के अंतर्गत किए गए आवेदन या लंबित किसी कार्यवाही का ब्यौरा तथा वित्तीय वर्ष के अंत में उनकी स्थिति; लागू नहीं

xii. एकमुश्त निपटान के समय किए गए मूल्यांकन की राशि और बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन के बीच अंतर का विवरण और उसके कारण; लागू नहीं

xiii. कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2021 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

1. जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी के पास कोई भी लंबित मुकदमा नहीं है जो उसके भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में उसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगा।
2. जैसा कि हमें बताया गया है कि कंपनी ने कोई व्युत्पन्न अनुबंध नहीं किया है और कंपनी ने दीर्घकालिक अनुबंधों पर किसी भी भौतिक हानि की आशंका नहीं जताई है, इसलिए इस खाते पर कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

3. कंपनी को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में कोई राशि हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125(2) के अंतर्गत अपेक्षित है, निधि में कोई राशि हस्तांतरित करने में विलंब नहीं होता है।

4. जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित नहीं किया है। इसलिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 के अनुपालन का प्रश्न ही नहीं उठता।

xiv. हमारी जाँच, जिसमें नमूना जाँच भी शामिल थी, के आधार पर, कंपनी ने अपने लेखा-बही के रखरखाव के लिए एक लेखा सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (लॉग संपादित करें) रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष संचालित रहा है। इसके अलावा, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला। इसके अतिरिक्त, कंपनी द्वारा रिकॉर्ड रखरखाव की वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार ऑडिट ट्रेल को संरक्षित रखा गया है।

कृते मुरारीलाल अग्रवाल एवं कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन **0324132ई**

स्थान : अनगुल
दिनांक: **16/ मई / 2025**
यूडीआईएन: **25059905BMHZAQ8645**

ह/-
एम एल अग्रवाल
स्वामी
मोबाइल नंबर 059905

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक-1

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) वित्तीय विवरणों पर एमजेएसजे कोल लिमिटेड के सदस्यों को दी गई हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के पैराग्राफ 1 में संदर्भित कथन के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(i) कंपनी की संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में:

1. कंपनी ने अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मात्रात्मक विवरण और स्थिति तथा उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के प्रासंगिक विवरण सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।
2. उपलब्ध सूचना के अनुसार, कंपनी की संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों का प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान भौतिक सत्यापन किया गया है और ऐसे सत्यापन में कोई भौतिक विसंगति नहीं पाई गई तथा हमारी राय में, कंपनी के आकार और उसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए ऐसे भौतिक सत्यापन की आवधिकता उचित है।
3. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है, इसलिए उसके पास कोई स्वामित्व विलेख भी नहीं है।
4. कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों सहित) और अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।
5. वर्ष के दौरान कंपनी के खिलाफ बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कोई भी बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या 31 मार्च 2025 तक कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।

(ii) 1 कंपनी के पास कोई इन्वेंट्री नहीं है और इसलिए आदेश के खंड 3(ii)(ए) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

2 कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से वर्ष के दौरान किसी भी समय कुल मिलाकर 5 करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है और इसलिए आदेश के खंड 3(ii)(बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(iii) कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी कंपनी, फर्म, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष को सुरक्षित या असुरक्षित ऋण के रूप में कोई निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है।

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की जांच के आधार पर, कंपनी ने कोई निवेश नहीं किया है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के अनुपालन के संबंध में रिपोर्टिंग का प्रश्न ही नहीं उठता।

(iv) कंपनी ने किसी भी कंपनी, फर्म, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष को कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या ऋण के रूप में कोई अग्रिम, सुरक्षित या असुरक्षित, प्रदान नहीं किया है।

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की जांच के आधार पर, कंपनी ने कोई ऋण/निवेश/गारंटी/सुरक्षा प्रदान नहीं की है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के अनुपालन के संबंध में रिपोर्टिंग का प्रश्न ही नहीं उठता।

(v) कंपनी ने धारा 73 से 76 या अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधान के अंतर्गत कोई जमा स्वीकार नहीं किया है। इसलिए आदेश के खंड 3(v) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

(vi) कंपनी ने कोई व्यवसाय/सेवा शुरू नहीं की है, इसलिए आदेश की धारा 3(vi) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता।

(vii) वैधानिक बकाया के संबंध में:

1. हमारी राय में, कंपनी आम तौर पर उचित प्राधिकारियों के पास निर्विवाद वैधानिक बकाया राशि जमा करने में नियमित रही है, जिसमें माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, उपकर और अन्य लागू वैधानिक बकाया शामिल हैं।

कंपनी के रिकॉर्ड और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च 2025 तक आयकर के संबंध में

विवादित बकाया राशि का विवरण नीचे दिया गया है:-

क्रम संख्या	क़ानून का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	राशि (लाखों रुपये में)	वह अवधि जिससे राशि संबंधित है	वह मंच जहाँ विवाद लंबित है
--	--	--	--	--	--

(viii) आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान पूर्व में अलिखित आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं हुआ जिसे आय के रूप में समर्पित या प्रकट किया गया हो।

(ix) कंपनी ने किसी भी ऋणदाता से कोई ऋण या अन्य उधार नहीं लिया है। इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(क) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

1. कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।
2. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और वर्ष के आरंभ में कोई बकाया सावधि ऋण नहीं है और इसलिए, आदेश के खंड 3(ix)(सी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
3. कंपनी ने वर्ष के दौरान अल्पावधि आधार पर कोई धनराशि नहीं जुटाई है, इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(डी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

4. कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच से पता चला है कि कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों के दायित्वों को पूरा करने के लिए या उनके लिए किसी भी संस्था या व्यक्ति से कोई धनराशि नहीं ली है।

5. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है और इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(एफ) पर रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(x) 1 कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के खंड 3(x)(क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

2 वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह या आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से) का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड 3(x)(बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(xi) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई भौतिक धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट नहीं की गई।

1. कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2021 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी-4 में वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक केंद्र सरकार के साथ कोई रिपोर्ट दायर नहीं की गई है।

2. कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान (और इस रिपोर्ट की तिथि तक) कंपनी को कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, जबकि हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण किया गया है।

(xii) कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है, इसलिए आदेश के खंड (xii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(xiii) कंपनी केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित एक उद्यम है और संबंधित पक्ष लेनदेन करती है, इसलिए उसने भारतीय लेखा मानक 24 के पैराग्राफ 26 के तहत अपेक्षित प्रासंगिक विवरणों का खुलासा किया है।

(xiv) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की आवश्यकता के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए आदेश के खंड (xiv)(a) और (xiv)(b) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उनसे संबद्ध व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार, उक्त आदेश के पैराग्राफ 3 का खंड (xv) कंपनी पर लागू नहीं होता।

(xvi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए आदेश के खंड 3(xvi)(ए), (बी), (सी) और (डी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(xvii) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई व्यवसाय/सेवा शुरू नहीं की है। हमारी लेखापरीक्षा में शामिल वित्तीय वर्ष के दौरान ब्याज आय से कर-पश्चात लाभ अर्जित किया है, और कंपनी द्वारा किए गए परिचालन-पूर्व व्ययों के कारण ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में भी लाभ अर्जित किया है।

(xviii) वर्ष के दौरान कंपनी के किसी भी सांविधिक लेखा परीक्षक ने इस्तीफा नहीं दिया है।

(xix) वित्तीय अनुपातों, वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की आयु और अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य सूचनाओं और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारे ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, जो यह दर्शाती हो कि कंपनी तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने पर तुलन पत्र की तिथि पर मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के संबंध में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देनदारियों का कंपनी द्वारा भुगतान कर दिया जाएगा।

(xx) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) संबंधी प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते। इसलिए, आदेश के खंड 3(xx)(a) और (b) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

कृते मुरारीलाल अग्रवाल एवं कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन 0324132ई

स्थान : अनगुल
दिनांक: 16/ मई / 2025
यूडीआईएन: 25059905BMHZAQ8645

ह/-
एम एल अग्रवाल
स्वामी
मोबाइल नंबर 059905

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक-2
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत निर्देश के अनुसरण में रिपोर्ट
एमजेएसजे कोल लिमिटेड के वर्ष 2024-25 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक

क्रम सं.	विवरण	लेखा परीक्षकों का उत्तर
1	क्या कंपनी के पास सभी लेखांकन लेन-देनों को आईटी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने की व्यवस्था है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेन-देनों के प्रसंस्करण से खातों की अखंडता पर पड़ने वाले प्रभावों के साथ-साथ वित्तीय प्रभावों (यदि कोई हों) का भी उल्लेख किया जाए।	हाँ, कंपनी के खाते कोलनेट सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम में बनाए जाते हैं, जहाँ सभी डेटा मैन्युअल रूप से दर्ज किए जाते हैं। वर्ष के दौरान कंपनी में कोई विनिर्माण या अन्य कोई कार्य नहीं होता है।
2	क्या कंपनी के मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन किया गया है या कंपनी की ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए उधार/ऋणों/ब्याज आदि को माफ/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव का उल्लेख किया जाए। क्या ऐसे मामलों का उचित लेखा-जोखा रखा जाता है? (यदि ऋणदाता सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋण देने वाली कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक पर भी लागू होता है)	हमारी जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, किसी भी ऋणदाता द्वारा उधार/ऋणों/ब्याज आदि का कोई पुनर्गठन/माफी/बट्टे खाते में डालने की कार्रवाई नहीं की गई है। कंपनी ने अपनी मूल कंपनी के ऋण के अलावा कोई अन्य ऋण नहीं लिया था।
3	क्या केंद्र/राज्य या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्ति योग्य निधि का उसकी शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया? विचलन के मामलों की सूची बनाइए।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी को केन्द्र/राज्य या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है।

कृते मुरारीलाल अग्रवाल एवं कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन **0324132ई**

स्थान : भुवनेश्वर
दिनांक: **16**/ मई / **2025**
यूडीआईएन: **25059905BMHZAQ8645**

ह/-
एम एल अग्रवाल
स्वामी
मोबाइल नंबर **059905**

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक-3

कंपनी अधिनियम, **2013** (‘अधिनियम’) की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2025 तक एमजेएसजे कोल लिमिटेड (‘कंपनी’) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा-परीक्षण किया है, जो कि समाप्त वर्ष और आज तक कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा-परीक्षण के साथ संयोजन में किया गया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (‘आईसीएआई’) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंडों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए ज़िम्मेदार है। इन ज़िम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक कंपनी की नीतियों के पालन, उसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित, कंपनी के व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से संचालित हो रहे थे।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने ऑडिट के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करें। हमने अपनी ऑडिट वित्तीय

रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट («मार्गदर्शन नोट») और आईसीएआई द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित माने जाने वाले ऑडिटिंग मानकों के अनुसार की, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की ऑडिट के लिए लागू सीमा तक, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की ऑडिट पर लागू होते हैं और दोनों भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट की योजना बनाएं और प्रदर्शन करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी रूप से संचालित होते हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाओं का निष्पादन शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी भौतिक कमज़ोरी के जोखिम का आकलन करना, और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिज़ाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल था। चुनी गई प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत विवरण के जोखिमों का आकलन भी शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो (1) उन अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं जो उचित विवरण के साथ, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (2) यह उचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि लेन-देन सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए आवश्यक रूप से दर्ज किए जाते हैं, और कंपनी की प्राप्तियाँ और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करती हैं जिनका वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिनमें मिलीभगत या नियंत्रणों पर अनुचित प्रबंधन अधिरोहण की संभावना भी शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है और उसका पता नहीं चल पाता। साथ ही, भविष्य की अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि परिस्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री कम हो सकती है।

मत

हमारी राय में, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो कि कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए किया गया था।

कृते मुरारीलाल अग्रवाल एवं कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन **0324132ई**

स्थान : अनगुल
दिनांक: **16/ मई / 2025**
यूडीआईएन: **25059905BMHZAQ8645**

ह/-
एम एल अग्रवाल
स्वामी
मोबाइल नंबर **059905**

अनुपालन प्रमाण पत्र

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों/उप-निर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए एमजेएसजे कोल लिमिटेड के खातों की लेखापरीक्षा की है और प्रमाणित करते हैं कि हमने हमें जारी किए गए सभी निर्देशों/उप-निर्देशों का अनुपालन किया है।

कृते मुरारीलाल अग्रवाल एवं कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन **0324132ई**

स्थान : अनगुल
दिनांक: **16/ मई / 2025**
यूडीआईएन: **25059905BMHZAQ8645**

ह/-
एम एल अग्रवाल
स्वामी
मोबाइल नंबर **059905**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए एमजेएसजे कोल लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए एमजेएसजे कोल लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की तैयारी कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। जानकारी दी गई है कि उन्होंने 16 मई 2025 की अपनी संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से ऐसा किया है, जो उनकी 10 अप्रैल 2025 की पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अधिक्रमण करती है।

1. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के तहत 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए एमजेएसजे कोल लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का पूरक लेखापरीक्षा किया है। यह पूरक लेखापरीक्षा वैधानिक लेखापरीक्षकों के कार्य-पत्रों तक पहुँच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्य रूप से वैधानिक लेखापरीक्षकों और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जाँच तक सीमित है। पूरक लेखापरीक्षा के दौरान उठाए गए मेरे कुछ लेखापरीक्षा अवलोकनों को प्रभावी बनाने के लिए लेखापरीक्षा रिपोर्ट को वैधानिक लेखापरीक्षक द्वारा संशोधित किया गया है।

इसके अतिरिक्त मैं अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहूंगा जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचार में वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ के लिए आवश्यक हैं:

ए. नकदी प्रवाह पर टिप्पणी

ए.1 नकदी प्रवाह का विवरण

नकदी प्रवाह विवरण में गलत चित्रण है जो भारतीय लेखा मानक 7 का उल्लंघन है। नकदी प्रवाह विवरण में निम्नलिखित त्रुटियाँ/गलत चित्रण देखा गया:

- तीन गतिविधियों अर्थात नकदी, परिचालन गतिविधियों से प्रवाह, वित्तपोषण गतिविधियाँ और निवेश गतिविधियों के योग में त्रुटि है।
- आरंभिक और समापन नकदी और नकदी समकक्षों में «जमा में निवेश» शामिल है, जो भारतीय लेखा मानक 7 के पैराग्राफ 6 का उल्लंघन है। प्रावधान में अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि *«निवेश गतिविधियाँ दीर्घकालिक परिसंपत्तियों और अन्य निवेशों का अधिग्रहण और निपटान हैं जो नकदी समकक्षों में शामिल नहीं हैं*।» उल्लंघन करते हुए, कंपनी ने आरंभिक और अंतिम नकदी एवं नकद समकक्ष में क्रमशः 22222.32 लाख और 24037.79 लाख का निवेश शामिल किया है।

बी. प्रकटीकरण पर टिप्पणी

बी.1 <u>लाभ और हानि का विवरण</u>

इक्विटी शेयर प्रति आय (मूल और मन्दित) **₹14.15 (PY ₹6.94)**

इंड एएस 33, के पैराग्राफ 10, प्रति शेयर आय, में प्रावधान है कि बेसी ईपीएस की गणना मूल इकाई (अंश) के साधारण इक्विटी धारकों के कारण होने वाले लाभ या हानि को बकाया साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाएगी।

हालाँकि, कंपनी द्वारा प्रति शेयर आय को गलत तरीके से दर्शाया गया है, जो इस प्रकार है:

खाता शीर्ष इकाई	इकाई	31/03/2025	31/03/2024
कंपनी के मालिकों को देय लाभ (ए)	₹ लाख में	134.53	66.02
इक्विटी शेयरों की संख्या (बी)	संख्या लाख में	951	951
वित्तीय विवरण में दर्शाए जाने वाले ईपीएस (ए/बी)	₹ में	0.14	0.069
वित्तीय विवरण में दर्शाए गए ईपीएस	₹ में	14.15	6.94

उपर्युक्त के परिणामस्वरूप लाभ और हानि के विवरण में प्रति शेयर आय का गलत चित्रण हुआ।

के लिए और की ओर से
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

ह/-
(यशोधरा राय चौधरी)
महानिदेशक एवं ए.डी.ए.आई
कोलकाता

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 16 जून 2025

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एमजेएसजे कोल लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अनंतिम टिप्पणियाँ, प्रबंधन का उत्तर और सांविधिक लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

<table>
<tr><th>ए क्यू नं</th><th>सी एंड जी अनंतिम टिप्पणियाँ</th><th>प्रबंधन का उत्तर</th><th>वैधानिक लेखा परीक्षक टिप्पणियाँ</th><th>टिप्पणी</th></tr>
<tr><td>1</td><td>अवधि के अंत में नकदी प्रवाह विवरण नकदी और नकदी समकक्ष - 4037.79 लाख रुपये

उपरोक्त में ₹2222.32 लाख का आरंभिक शेष और 'बैंक जमा में निवेश' के लिए ₹1815.47 लाख शामिल हैं।

भारतीय लेखा मानक 7: नकदी प्रवाह विवरण के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि «एक इकाई इस मानक की आवश्यकताओं के अनुसार नकदी प्रवाह विवरण तैयार करेगी और इसे प्रत्येक अवधि के लिए अपने वित्तीय विवरणों के एक अभिन्न अंग के रूप में प्रस्तुत करेगी जिसके लिए वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए जाते हैं।» अनुच्छेद 6 में अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि «निवेश गतिविधियाँ दीर्घकालिक परिसंपत्तियों और अन्य निवेशों का अधिग्रहण और निपटान हैं जो नकद समकक्षों में शामिल नहीं हैं।» इसके अलावा, अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि «नकद समकक्ष निवेश या अन्य उद्देश्यों के बजाय अल्पकालिक नकदी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के उद्देश्य से रखे जाते हैं।»

वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए क्रमशः 2222.32 लाख और 1815.47 लाख के बैंक जमा में निवेश को 'अवधि के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष' के तहत दिखाया गया था, हालाँकि इसे बैलेंस शीट में सही ढंग से 'शून्य' के रूप में दर्शाया गया था और अन्य बैंक बैलेंस (नोट 4.5) के तहत दिखाया गया था। इंड एएस 7 के पैराग्राफ 1 के अनुसार नकदी प्रवाह का विवरण वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग होने के नाते, अवधि के अंत में नकदी और नकदी समकक्षों का सटीक चित्रण वित्तीय विवरणों की सही और निष्पक्ष प्रस्तुति सुनिश्चित करने के लिए एक पूर्वापेक्षा है। इस प्रकार, निवेश का गलत समावेशन किया गया।

इस प्रकार, दोनों वर्षों के लिए बैंक जमा में निवेश को गलत तरीके से शामिल करने के परिणामस्वरूप अवधि के अंत में नकदी और नकदी समकक्षों को 4037.79 लाख से अधिक दिखाया गया है।</td><td>सीएजी का ऑडिट प्रश्न स्वीकार किया जाता है। आश्वासन दिया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में वित्तीय विवरण तैयार करते समय उल्लिखित परिवर्तन किए जाएँगे या उनमें सुधार किया जाएगा। कृपया ऑडिट प्रश्न छोड़ दें।</td><td>सीएजी का ऑडिट प्रश्न स्वीकार किया जाता है। कंपनी को चालू वित्त वर्ष में वित्तीय विवरण तैयार करते समय आवश्यक परिवर्तन करने की सलाह दी गई है। कृपया ऑडिट प्रश्न छोड़ दें।</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td><u>लाभ-हानि विवरण</u>
प्रति इक्विटी शेयर आय (मूल एवं तनुकृत) - ₹14.15 (प्रति वर्ष ₹6.94)

प्रति शेयर आय पर भारतीय लेखा मानक 33 के अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि «प्रति शेयर मूल आय की गणना मूल इकाई (अंश) के साधारण इक्विटी धारकों को होने वाले लाभ को अवधि के दौरान बकाया साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या (हर) से विभाजित करके की जाएगी।» अनुच्छेद 66 में आगे कहा गया है कि «...एक इकाई प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए प्रति शेयर मूल और तनुकृत आय को समान प्रमुखता से प्रस्तुत करेगी।»

हालाँकि, एमजेएसजे कोल लिमिटेड की प्रति शेयर आय (ईपीएस) की गणना गलत है, जैसा कि निम्नलिखित से पता चलता है:

<table>
<tr><th>खाता शीर्ष</th><th>इकाई</th><th>31/03/2025</th><th>31/03/2024</th></tr>
<tr><td>इकाई स्वामीयों के लिए सीआई</td><td>₹ लाख में</td><td>134.53</td><td>66.02</td></tr>
<tr><td>इक्विटी शेयरों की संख्या</td><td>संख्या लाख में</td><td>951</td><td>951</td></tr>
<tr><td>प्रति शेयर (ए/बी)</td><td>₹ में</td><td>0.14</td><td>0.07</td></tr>
</table>

उपरोक्त के परिणामस्वरूप लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार आय का गलत चित्रण हुआ।</td><td>सीएजी का ऑडिट प्रश्न स्वीकार किया जाता है। आश्वासन दिया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में वित्तीय विवरण तैयार करते समय उल्लिखित परिवर्तन किए जाएँगे या उनमें सुधार किया जाएगा। कृपया ऑडिट प्रश्न छोड़ दें।</td><td>सीएजी का ऑडिट प्रश्न स्वीकार कर लिया गया है। कंपनी को अगले वित्तीय वर्ष के खातों में आवश्यक परिवर्तन करने का निर्देश दिया गया है। कृपया ऑडिट प्रश्न छोड़ दें।</td><td></td></tr>
</table>

एमजेएसजे कोल लिमिटेड (एमसीएल की एक अनुषंगी कंपनी)
31.03.2025 के अनुसार तुलनपत्र

(₹ लाख में)

			दिनांक को	
		टिप्पणी संख्या	31.03.2025	31.03.2024
परिसंपत्तियाँ				
गैर-चालू परिसंपत्तियाँ				
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण		3.1	0.07	0.07
प्रगतिशील पूंजीगत कार्य		3.2	-	-
अन्वेषित और मूल्यांकित संपत्ति		3.3	-	-
अमूर्त परिसंपत्तियाँ		3.4	-	-
विकास के तहत अमूर्त संपत्तियाँ		3.5	-	-
वित्तीय परिसंपत्तियाँ	निवेश	4.1	-	-
	ऋण	4.2	-	-
	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	4.6	-	-
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)		11.2	-	-
गैर-चालू परिसंपत्तियां (निवल)		11.1	-	-
अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां		6.1	-	-
कुल गैर - चालू परिसंपत्तियां			**0.07**	**0.07**
चालू परिसंपत्तियाँ				
वस्तुसूची		5.1	-	-
वित्तीय परिसंपत्तियाँ	निवेश	4.1	-	-
	व्यापार प्राप्य	4.3	-	-
	नगद और नगद समकक्ष	4.4	-	-
	अन्य बैंक शेष	4.5	4,037.79	2,222.32
	ऋण	4.2	-	-
	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	4.6	4,249.07	5,727.43
चालू कर संपत्तियाँ (निवल)		11.1	31.07	138.38
अन्य चालू परिसंपत्तियां		6.2	86.39	86.39
कुल चालू परिसंपत्तियाँ			**8,404.32**	**8,174.52**
कुल परिसंपत्तियाँ			**8,404.39**	**8,174.59**
इक्विटी और देयताएं				
इक्विटी				
इक्विटी शेयर पूंजी		7.1	9,510.00	9,510.00
अन्य इक्विटी		7.2	(1,825.50)	(1,960.03)
कंपनी के इक्विटीधारकों के कारण इक्विटी			**7,684.50**	**7,549.97**
गैर नियंत्रित ब्याज		7.3	-	-
कुल इक्विटी			**7,684.50**	**7,549.97**
देयताएँ				
गैर चालू देयताएँ				
वित्तीय देयताएँ	उधार	8.1	-	-

	पट्टा देयताएं	8.2	-	-
	अन्य वित्तीय देयताएँ	8.4	-	-
प्रावधान		9.1	-	-
आस्थगित कर देयताएं (निवल)		11.2	-	-
अन्य गैर-चालू देयताएं		10.1	-	-
कुल गैर-चालू देयताएँ			-	-
चालू देयताएँ				
वित्तीय देयताएँ	उधार	8.1	-	-
	पट्टा देयताएं	8.2	-	-
	व्यापार प्राप्य	8.3		
	सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		-	-
	सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों की कुल बकाया राशि		-	-
	अन्य वित्तीय देयताएँ	8.4	718.50	623.41
अन्य चालू देयताएँ		10.2	1.39	1.21
प्रावधान		9.1	-	-
चालू कर देयताएं (निवल)		11.1	-	-
कुल चालू देयताएं			**719.89**	**624.62**
कुल इक्विटी और देयताएं			**8,404.39**	**8,174.59**

संलग्न नोट संख्या 1 से 16 समेकित वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं।

संलग्नित हमारी रिपोर्ट के अनुसार

बोर्ड की ओर से

ह/-	ह/-	ह/-	ह/-
(एस. परिडा)	(एम. आर. मिश्रा)	(जी. मोहापात्र)	(ए.के. बेहुरा)
कंपनी सचिव	मुख्य वित्तीय अधिकारी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	अध्यक्ष
		डीआईएन-**10125609**	डीआईएन-**09712877**

सम दिनांक की हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
मुरलीलाल अगरवाला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
FRN:0324132E

ह/-
स्वामी
सदस्यता संख्या: **059905**
दिनांक: **10.04.2025**
स्थान: अंगुल

लाभ एवं हानि विवरण

(₹ लाख में)

	नोट सं.	31.03.2025 को	31.03.2024 को
परिचालन से राजस्व (निवल लेवीस)			
बिक्री	12.1	-	-
अन्य परिचालन राजस्व	12.1	-	-
संचालन से राजस्व (निवल लेवीस)		-	-
अन्य आय	12.2	242.20	139.29
कुल आय		**242.20**	**139.29**
व्यय			
उपभोग की गई सामग्री की लागत	13.1	-	-
स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद	13.1(a)	-	-
निर्मित माल की वस्तु-सूची/कार्य प्रगति में परिवर्तन एवं व्यापार में स्टॉक	13.2	-	-
कर्मचारी लाभ व्यय	13.3	9.08	6.68
वित्त लागत	13.4	45.74	37.94
मूल्यह्रास / परिशोधन / हानि	13.5	-	0.22
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	13.6	-	-
संविदात्मक व्यय	13.7	-	-
अन्य व्यय	13.8	7.61	4.88
कुल व्यय		**62.43**	**49.72**
संयुक्त उद्यम के लाभ/(हानि) के हिस्से से पहले लाभ		**179.77**	**89.57**
संयुक्त उद्यमी के लाभ/(हानि) का हिस्सा		-	-
कर पूर्व लाभ		**179.77**	**89.57**
कर व्यय	14.1		
चालू कर		45.24	23.55
आस्थगित कर		-	-
कुल कर व्यय		**45.24**	**23.55**
अवधि के लिए लाभ		**134.53**	**66.02**
अन्य व्यापक आय	15.1		
मद जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।		-	-
मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।		-	-
मद जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा।		-	-
कुल अन्य व्यापक आय		-	-
कुल व्यापक आय(इस अवधि के लिए लाभ और अन्य व्यापक आय को मिलाकर)		**134.53**	**66.02**

लाभ का कारण:		
कंपनी के स्वामी	134.53	66.02

अनियंत्रित ब्याज	-	-
	134.53	66.02
अन्य व्यापक आय के कारण:		
कंपनी के स्वामी	-	-
अनियंत्रित ब्याज	-	-
	-	-
कुल व्यापक आय के कारण :		
कंपनी के स्वामी	134.53	66.02
अनियंत्रित ब्याज	-	-
	134.53	66.02
पिछले वर्ष और पिछली अवधि के लिए प्रति इक्विटी शेयर आय (अंकित मूल्य **10** प्रत्येक):		
मूल	14.15	6.94
मंदित	14.15	6.94

EPS की गणना केलिएनोट16(8)(d) देखें

संलग्न टिप्पणी संख्या 1 से 16 तक वित्तीय विवरण का एक अभिन्न अंग हैं।

संलग्नित हमारी रिपोर्ट के अनुसार

बोर्ड की ओर से

ह/-	ह/-	ह/-	ह/-
(एस. परिडा)	(एम. आर. मिश्रा)	(जी. मोहापात्र)	(ए.के. बेहुरा)
कंपनी सचिव	मुख्य वित्तीय अधिकारी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	अध्यक्ष
		डीआईएन-**10125609**	डीआईएन-**09712877**

सम दिनांक की हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
मुरलीलाल अगरवाला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
FRN:0324132E

ह/-
स्वामी
सदस्यता संख्या: **059905**
दिनांक: **10.04.2025**
स्थान: अंगुल

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

A. इक्विटी शेयर पूंजी

31 मार्च 2025 तक				**(₹ लाख में)**
विवरण	01.04.2024 तक शेष राशि	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		"शेष राशि 31.03.2025 तक"
10 रु. दर से प्रत्येक के 95100000 इक्विटी शेयर	**9,510.00**			**9,510.00**
31 मार्च 2024 तक				
विवरण	01.04.2023 तक शेष राशि	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		"शेष राशि 31.03.2024 तक"
10 रु. दर से प्रत्येक के 95100000 इक्विटी शेयर	9,510.00			9,510.00

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	**भंडार और अधिशेष**				**विदेशी अनुसंगी के वित्तीय विवरणों मे के लेन-देन में अंतर का आदान-प्रदान विनिमय (ओसीआई)**	**कुल**
	पूंजी प्रतिदान रिजर्व	**सामान्य रिजर्व**	**प्रतिधारित अर्जन**	**परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप (कर का शुद्ध) - (ओसीआई)**		
01.04.2024 को शेष राशि	-	-	**(1,960.03)**	-	-	**(1,960.03)**
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पिछली अवधि की त्रुटियाँ	-	-	-	-		-
01.04.2024 को पुनः घोषित शेष राशि	-	-	**(1,960.03)**	-	-	**(1,960.03)**
अवधि के लिए कुल व्यापक आय	-	-	134.53	-		**134.53**
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-		-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-		-
अवधि के दौरान वृद्धि	-	-	-	-		-
अवधि के दौरान समायोजन	-	-	-	-		-
सामान्य रिज़र्व में/से स्थानांतरण	-	-	-	-		-
शेयरों की पुनर्खरीद	-	-	-	-		-
पुनःखरीद पर कर	-	-	-	-		-
बोनस शेयरों का निर्गमन	-	-	-	-		-
31.03.2025 को शेष राशि	-	-	**(1,825.50)**	-	-	**(1,825.48)**

विवरण	भंडार और अधिशेष				विदेशी अनुसंगी के वित्तीय विवरणों मे के लेन-देन में अंतर का आदान-प्रदान विनिमय (ओसीआई)	कुल
	पूंजी प्रतिदान रिजर्व	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित अर्जन	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप (कर का शुद्ध) - (ओसीआई)		
01.04.2023 को शेष राशि	-	-	**(2,026.05)**	-	-	(2,026.05)
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पिछली अवधि की त्रुटियाँ	-	-	-	-		-
01.04.2024 को पुनः घोषित शेष राशि	-	-	**(2,026.05)**	-	-	**(2,026.05)**
अवधि के लिए कुल व्यापक आय			66.02	-		66.02
अंतरिम लाभांश			-			-
अंतिम लाभांश			-			-
अवधि के दौरान वृद्धि	-	-	-			-
अवधि के दौरान समायोजन	-	-	-	-		-
सामान्य रिज़र्व में/से स्थानांतरण		-	-			-
शेयरों की पुनर्खरीद						-
पुनःखरीद पर कर						-
बोनस शेयरों का निर्गमन						-
31.03.2024 को शेष राशि	-	-	**(1,960.03)**	-	-	**(1,960.03)**

लाभांश तथा आरक्षित निधियों एवं अधिशेष की प्रकृति एवं उद्देश्य के लिए नोट 7.2 देखें।

संलग्न नोट संख्या 1 से 16 वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं।

संलग्नित हमारी रिपोर्ट के अनुसार

बोर्ड की ओर से

ह/- (एस. परिडा) कंपनी सचिव	ह/- (एम. आर. मिश्रा) मुख्य वित्तीय अधिकारी	ह/- (जी. मोहापात्र) मुख्य कार्यपालन अधिकारी डीआईएन-**10125609**	ह/- (ए.के. बेहुरा) अध्यक्ष डीआईएन-**09712877**

सम दिनांक की हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
मुरलीलाल अगरवाला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
FRN:0324132E

ह/-
स्वामी
सदस्यता संख्या: **059905**
दिनांक: **10.04.2025**
स्थान: अंगुल

नकदी प्रवाह का विवरण

(₹ लाख में)

		31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
संचालनीय गतिविधियों से प्राप्त नकद			
कर पूर्व लाभ		179.77	89.57
समायोजन :			
संयुक्त उद्यम का हिस्सा		-	-
मूल्यह्रास,परिशोधन और हानी व्यय		-	0.22
ब्याज और लाभांश आय		(242.20)	(139.29)
वित्त लागत		45.74	37.94
संपत्ति,संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर लाभ/हानी		-	-
देयता और प्रावधान वापस लिखा गया (निवल)		-	-
व्यापार प्राप्त के लिए भत्ता		-	-
अन्य भत्ते तथा बट्टे खाते मे डालना		-	-
स्ट्रीपिंग गतिविधि समायोजन		-	-
विदेशी मुद्रा दर भिन्नता		-	-
निम्नलिखित परिसंपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन से पहले परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		**(16.69)**	**(11.56)**
समायोजन :			
व्यापार प्राप्तियाँ		-	-
सूचि		-	-
ऋण और अग्रिम तथा अन्य परिसंपत्तियाँ		1,531.92	-
वित्तीय और अन्य देनदारियाँ		95.27	59.61
व्यापार देनदारियाँ		-	-
संचालन से उत्पन्न नगद		**1,610.49**	**48.05**
आयकर(भुगतान)		62.07	(15.58)
परिचालन गतिविधियों से उत्पन्न शुद्ध नकदी प्रवाह	(A)	**1,672.56**	**32.47**
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति के लिए भुगतान		-	-
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति के लिए भुगतान		-	-
संपत्ति,संयंत्र और और उपकरण से बिक्री आय		-	-
अनवेषण और मूल्यांकन परिसंपत्ति मे वृद्धि		(1,815.47)	-
बैंक जमा मे आय/(निवेश)		-	-

म्यूचुअल फ़ंड ,शेयर आदि मे आय/(निवेश)		-	-
संयुक्त उद्यम मे इक्विटी के लिए भुगतान		188.65	137.33
निवेश से ब्याज		-	-
म्यूचुअल फ़ंड से प्राप्त ब्याज/ लाभांश			
निवेश गतिविधियों मे उपयोग किया गया कुल नकद	(B)	**(1,626.82)**	**137.33**
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
गैर चालू उधारों से प्राप्त आय /पुनर्भुगतान		-	-
चालू उधारों से प्राप्त आय /पुनर्भुगतान			
लीज देनदारियों का पुरभुगतना(ब्याज सहित)		-	-
ब्याज भुगतान		(45.74)	(37.94)
स्थानांतरण एवं पुनर्वास निधि की प्राप्ति		-	-
इक्विटी शेयरों पर लाभांश का भुगतान		-	-
इक्विटी शेयर पूंजी की पुनर्खरीद		-	-
इक्विटी शेयर पूंजी की पुनर्खरीद पर कर		-	-
वित्तीय गतिविधियों मे प्रयुक्त कुल नकदी	(C)	(45.74)	(37.94)
नकद और नकद समकक्ष में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (A+B+C)		**1,815.47**	**131.86**
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समतुल्य		**2,222.32**	**2,090.46**
अवधि के अंत में नकद और नकद समतुल्य		**4,037.79**	**2,222.32**
नकद और नकद समकक्षों का मिलान (नोट 4.4 देखें)			
नकद और नकद समकक्ष (बैंक ओवरड्राफ्ट का शुद्ध)		**4,037.79**	**2,222.32**
नकद और नकद समकक्षों के घटक			
(a) बैंक मे जमा शेष			
जमा खातों मे		4,037.79	2,222.32
चालू खातों मे		-	-
ब्याज वहन (सीएलटीडी खाता आदि)			
गैर ब्याज वहन			
नकद ऋण खातों मे			
(b) भारत के बाहर बैंक मे शेष		-	-
(c)प्राथमिक डीलरों के साथ आईसीडीसी		-	-
(d)शेष मे चेक ,ड्राफ्ट और स्टांप		-	-
(e)हाथ मे नकदी		-	-
(f) भारत के बाहर शेष		-	-
(g) बैंक ओवरड्राफ्ट		-	-
(h) अन्य ई-प्रोक्योरमेंट खाता/जीईएम खाता/अग्रिम शेष		-	-
कुल (नकद और नकद समकक्षों के घटकों के लिए नोट 4.4 और नोट 8.1 देखें)		**4,037.79**	**2,222.32**

1. वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों के लिए बैलेंस शीट में प्रारंभिक और समापन शेष के बीच सामंजस्य:

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	**गैर चालू उधार**	**वित्त पट्टा देयताएं**	**चालू उधार**
1 अप्रैल 2024 तक प्रारम्भिक शेष राशि	-	-	-
वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह	-	-	-
गैर-नकद परिवर्तन के कारण			-
वित्त पट्टे के तहत अधिग्रहण	-		
उधर पर ब्याज	-		
विनिमय दरों मे भिन्नता	-		
उधर पर लेनदेन लागत	-		
31 मार्च 2025 तक समापन शेष राशि	-	-	-

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए			
विवरण	**गैर चालू उधार**	**वित्त पट्टा देयताएं**	**चालू उधार**
1 अप्रैल 2023 तक प्रारम्भिक शेष			-
वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह	-	-	-
गैर-नकद परिवर्तन के कारण			
वित्त पट्टे के तहत अधिग्रहण	-		
उधर पर ब्याज	-		
विनिमय दरों मे भिन्नता	-		
उधर पर लेनदेन लागत	-		
31 मार्च 2024 तक समापन शेष राशि	-	-	-

इसमें गैर-चालू उधारों की वर्तमान परिपक्वता और उस पर अर्जित ब्याज शामिल है, नोट 8.1 देखें

2 नकदी प्रवाह का उपरोक्त विवरण इंडस्ट्रीज़ 7 - 'नकद प्रवाह का विवरण' में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है।

संलग्न नोट संख्या 1 से 16 समेकित वित्तीय विवरण का एक अभिन्न अंग है।

संलग्नित हमारी रिपोर्ट के अनुसार

बोर्ड की ओर से

ह/-	ह/-	ह/-	ह/-
(एस. परिडा)	(एम. आर. मिश्रा)	(जी. मोहापात्र)	(ए.के. बेहुरा)
कंपनी सचिव	मुख्य वित्तीय अधिकारी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	अध्यक्ष
		डीआईएन-10125609	डीआईएन-09712877

सम दिनांक की हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
मुरलीलाल अगरवाला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
FRN:0324132E

ह/-
स्वामी
सदस्यता संख्या: 059905
दिनांक: 10.04.2025
स्थान: अंगुल

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

टिप्पणी :1 कॉर्पोरेट जानकारी

एम.जे.एस.जे. कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमजेएसजेसीएल), एक सार्वजनिक उपक्रम है, जिसका मुख्यालय ओडिशा राज्य के अनगुल जिले में स्थित है, जिसे 13 अगस्त, 2008 को महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, ओडिशा की %60 सहायक कंपनी के रूप में शामिल किया गया था।

यह कंपनी मुख्य रुप से कोयला खनन और उत्पादन का कार्य करती है। कंपनी विकासशील स्थिति में है। समूह संरचना की जानकारी टिप्पणी संख्या29- में दी गई है।

टिप्पणी 2: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1.1 **वित्तीय विवरण तैयार करने के आधार**

i. कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम») की धारा 133, भारतीय लेखा मानक नियमावली, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (भारतीय लेखांकन मानक) के अनुसार तैयार किए गए हैं।

ii. वित्तीय विवरण को पूर्ववर्ती लागत मापन के आधार पर तैयार किया गया है, सिवाय –

- कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को उचित मूल्य पर मापा जाता है (वित्तीय इन्सट्रूमेंट की लेखांकन नीति को पैरा 2.14 में देखें);
- परिभाषित लाभ योजनाएँ– उचित मूल्य पर मापी गई योजनागत परिसंपत्तियाँ;
- लागत या एनआरवी जो भी कम हो, पर वस्तु-सूची (पैरा 2.20 में लेखांकन नीति देखें)।

2.1.1 <u>पूर्ण अंकों में राशि</u>

इन वित्तीय विवरणों में राशियों को, जब तक कि अन्यथा इंगित न किया गया हो, दो दशमलव बिंदुओं तक 'लाख रुपये में' पूर्णांकित किया गया है।

2.2 <u>चालू एवं गैर-चालू वर्गीकरण</u>

कंपनी चालू/गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर तुलन पत्र में परिसंपत्तियों और देनदारियों को प्रस्तुत करती है। कंपनी द्वारा किसी परिसंपत्ति को चालू तब माना जाता है जब:

(a) यह सामान्य परिचालन चक्र में परिसंपत्तियों की वसूली अथवा बिक्री अथवा इसके उपभोग की इच्छा रखती है;

(b) यह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से परिसंपत्तियों को रखती है;

(c) यह रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीने के भीतर परिसंपत्ति के वसूली की अपेक्षा रखती है; अथवा

(d) परिसंपत्ति नकद या नकद समकक्ष है (जैसा कि भारतीय लेखांकन मानक 7 में परिभाषित किया गया है) जब तक कि परिसंपत्ति को रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए या देयता के निपटान के लिए उपयोग किए जाने पर प्रतिबंध न लगा दिया गया हो। अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

कंपनी के द्वारा किसी देयता को चालू तब माना जाता है जब:

1) यह अपने सामान्य परिचालन चक्र में देयता के निपटान की अपेक्षा रखती है। ;
2) यह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से देयताओं को रखती है;
3) रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर देयता का निपटान किया जाना है; या
4) रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 माह के लिए देयता के निपटान को आस्थगित करने का कोई शर्तहीन अधिकार इसके पास नहीं है। देनदारी की शर्तें, जो प्रतिपक्षकार के विकल्प पर, इक्विटी उपकरणों के मुद्दे द्वारा इसके निपटान में परिणत हो सकती हैं, इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करती हैं।

अन्य सभी देयताओं को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

2.3 राजस्व मान्यता

ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व

ग्राहकों के साथ अनुबंधों से प्राप्त राजस्व को तब मान्यता दी जाती है, जब वस्तुओं या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को उस राशि पर हस्तांतरित किया जाता है, जो उस विचार को दर्शाता है जिसके लिए कंपनी उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले हकदार होने की अपेक्षा करती है। कंपनी ने आम तौर पर यह निष्कर्ष निकाला है कि यह अपनी राजस्व व्यवस्था में प्रमुख है क्योंकि यह आम तौर पर ग्राहकों को स्थानांतरित करने से पहले वस्तुओं या सेवाओं को नियंत्रित करती है।

भारतीय लेखांकन मानक 115 के सिद्धांतों को निम्नलिखित पांच चरणों का उपयोग करके लागू किया जाता है:

चरण 1: अनुबंध की पहचान करना:

कंपनी किसी ग्राहक के साथ अनुबंध तभी करती है जब निम्नलिखित सभी मानदंड पूरे होते हैं:

1. अनुबंध के पक्षकारों ने अनुबंध को मंजूरी दे दी है और वे अपने संबंधित दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं;
2. कंपनी हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में प्रत्येक पक्ष के अधिकारों की पहचान कर सकती है;
3. कंपनी हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं के लिए भुगतान की शर्तों की पहचान कर सकती है;
4. अनुबंध में वाणिज्यिक तत्व है (यानी, अनुबंध के परिणामस्वरूप कंपनी के भविष्य के नकदी प्रवाह के जोखिम, समय या राशि के बदलने की उम्मीद है); तथा
5. यह संभव है कि ग्राहक को हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं के बदले में कंपनी उस प्रतिफल को एकत्र करेगी जिसके लिए वह हकदार होगी। कंपनी जिस प्रतिफल की हकदार होगी, वह अनुबंध में बताई गई कीमत से कम हो सकती है, यदि प्रतिफल परिवर्तनशील है क्योंकि कंपनी ग्राहक को मूल्य रियायत, छूट, धनवापसी, क्रेडिट की पेशकश कर सकती है या प्रोत्साहन, प्रदर्शन बोनस या इसी तरह की वस्तुओं की हकदार हो सकती है।

अनुबंधों का संयोजन

कंपनी एक ही ग्राहक (या ग्राहक के संबंधित पक्षों) के साथ एक ही समय में या उसके आस-पास किए गए दो या दो से अधिक अनुबंधों को जोड़ती है और यदि निम्नलिखित में से एक या अधिक मानदंड पूरे होते हैं तो अनुबंधों को एकल अनुबंध के रूप में माना जाता है :

1) एकल वाणिज्यिक उद्देश्य के साथ एकमुश्त में अनुबंध तय की जा सकती है;
2) एक अनुबंध में भुगतान की जाने वाली प्रतिफल की राशि दूसरे अनुबंध की कीमत या प्रदर्शन पर निर्भर करती है; या
3) अनुबंधों में तय किए गए वस्तुएं या सेवाएं (या प्रत्येक अनुबंध में तय किए गए कुछ वस्तुएं या सेवाएं) एक एकल प्रदर्शन दायित्व हैं।

अनुबंध संशोधन

यदि निम्नलिखित दोनों स्थितियाँ मौजूद हैं तो कंपनी एक संविदा संशोधन को एक अलग अनुबंध के रूप में स्वीकार करती है:

1) तय किए गए वस्तुएं या सेवाएं, जो अलग हैं, को जोड़ने के कारण संविदा का दायरा बढ़ता है और
2) संविदा की कीमत प्रतिफल की राशि से बढ़ जाती है जो अतिरिक्त तय किए गए सामान या सेवाओं की कंपनी की स्टैंड-अलोन बिक्री कीमतों को दर्शाती है और विशेष संविदा की परिस्थितियों को प्रतिबिंबित करने के लिए उस कीमत पर किसी भी उचित समायोजन को दर्शाती है।

चरण 2: प्रदर्शन दायित्वों की पहचान:

संविदा की शुरुआत में, कंपनी एक ग्राहक के साथ संविदा में तय किए गए वस्तुओं या सेवाओं का आकलन करती है और ग्राहक को हस्तांतरित करने के प्रत्येक वादे को एक प्रदर्शन दायित्व के रूप में पहचानती है:

1) वस्तुओं या सेवाओं (वस्तुओं या सेवाओं का एक समूह) जो अलग है; या
2) विशिष्ट वस्तुओं या सेवाओं की एक श्रृंखला जो काफी हद तक समान हैं और जिनके पास ग्राहक को हस्तांतरण का एक ही पैटर्न है।

चरण 3: लेन-देन मूल्य का निर्धारण

कंपनी लेन-देन की कीमत निर्धारित करने के लिए संविदा की शर्तों और इसकी प्रथागत व्यावसायिक अभ्यासों पर विचार करती है। लेन-देन मूल्य प्रतिफल की वह राशि है, जिसके लिए कंपनी तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि को छोड़कर किसी ग्राहक को वादा किए गए वस्तुएं या सेवाओं को स्थानांतरित करने के बदले में हकदार होने की उम्मीद करती है। ग्राहक के साथ संविदा में दिए गए प्रतिफल में निश्चित राशि, परिवर्तनीय राशि या दोनों शामिल हो सकते हैं।

लेन-देन की कीमत निर्धारित करते समय, कंपनी निम्नलिखित सभी के प्रभावों पर विचार करती है:

परिवर्तनीय निर्णय

परिवर्तनीय विचार के अनुमानों को सीमित करना

महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक का अस्तित्व;

गैर-नकद प्रतिफल;

एक ग्राहक को देय प्रतिफल।

बट्टा, छूट, प्रतिदाय, क्रेडिट, मूल्य रियायतें, प्रोत्साहन, प्रदर्शन बोनस, या अन्य समान वस्तुओं के कारण प्रतिफल की राशि भिन्न हो सकती है। यदि कंपनी की प्रतिफल की पात्रता भविष्य की घटना के घटित होने या न होने पर निर्भर करती है तो तय किए गए प्रतिफल भी भिन्न हो सकते हैं।

कुछ अनुबंधों में, दंड निर्दिष्ट हैं। ऐसे मामलों में, अनुबंध के सार के अनुसार दंड की गणना की जाती है। जहां लेनदेन मूल्य के निर्धारण में दंड निहित है, यह परिवर्तनशील प्रतिफल का हिस्सा है।

कंपनी लेन-देन की कीमत में अनुमानित परिवर्तनीय प्रतिफल की कुछ या पूरी राशि केवल उस सीमा तक शामिल करती है, जिसमें यह अत्यधिक संभावना है कि मान्यता प्राप्त संचयी राजस्व की मात्रा में एक महत्वपूर्ण उलटफेर तब नहीं होगा जब परिवर्तनीय प्रतिफल से जुड़ी अनिश्चितता बाद में हल हो जाएगी।

कंपनी एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक के प्रभावों के लिए तय की गई प्रतिबद्ध राशि को समायोजित नहीं करती है यदि वह अनुबंध की आरंभ में अपेक्षा करता है, कि उस अवधि के दौरान जब वह ग्राहक को प्रतिबद्ध वस्तुओं या सेवाओं हस्तांतरित करता है और जब ग्राहक उस वस्तु या सेवा के लिए भुगतान करता है, तो वह अवधि एक वर्ष या उससे कम की हो।

यदि कंपनी किसी ग्राहक से प्रतिफल प्राप्त करती है और ग्राहक को उस प्रतिफल में से कुछ या सभी को वापस करने की अपेक्षा करती है, तो कंपनी धनवापसी दायित्व को पहचानती है। एक धनवापसी देयता को प्राप्त (या प्राप्य) प्रतिफल की राशि पर मापा जाता है जिसके लिए कंपनी हकदार होने की उम्मीद नहीं करती है (यानी, लेनदेन मूल्य में शामिल नहीं की गई राशि)। धनवापसी देयता (और लेन-देन मूल्य में संबंधित परिवर्तन और इसलिए, अनुबंध देयता) परिस्थितियों में परिवर्तन के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अद्यतन की जाती है।

अनुबंध की स्थापना के बाद, लेन-देन की कीमत विभिन्न कारणों से बदल सकती है, जिसमें अनिश्चित घटनाओं का समाधान या परिस्थितियों में अन्य परिवर्तन शामिल हैं, जो उस प्रतिफल की राशि को बदलते हैं जिसके लिए कंपनी तय किए गए वस्तु या सेवाओं के बदले हकदार होने की उम्मीद करती है।

चरण 4: लेन-देन मूल्य का आवंटन:

लेन-देन की कीमत आवंटित करते समय उद्देश्य कंपनी के लिए प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व (या विशिष्ट अच्छी या सेवा) के लिए लेनदेन मूल्य आवंटित करना होता है, जो उस राशि को दर्शाता है जिस पर कंपनी को ग्राहक को दिए गए माल या सेवाएं हस्तांतरण के बदले में हकदार होने की उम्मीद करती है। ।

संबंधित स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्य आधार पर प्रत्येक निष्पादन दायित्व के लिए लेन-देन मूल्य आवंटित करने के लिए कंपनी अनुबंध में प्रत्येक निष्पादन दायित्व के आधार पर अलग वस्तुओं या सेवाओं के अनुबंध के प्रारंभ पर स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्य निर्धारित करती है और उन स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्यों के अनुपात में लेन-देन मूल्य आवंटित करती है।

चरण 5: राजस्व की पहचान:

कंपनी राजस्व को तब मान्यता देती है जब (या जैसा कि) कंपनी किसी ग्राहक को प्रतिबद्ध वस्तुओं या सेवाओं को स्थानांतरित करके एक प्रदर्शन दायित्व को पूरा करती है। एक वस्तु या सेवा को तब स्थानांतरित किया जाता है जब (या जैसा कि) ग्राहक उस वस्तु या सेवा का नियंत्रण प्राप्त करता है।

कंपनी समय के साथ वस्तु या सेवा का नियंत्रण हस्तांतरित करती है और इसलिए यदि निम्न में से कोई एक मानदंड पूरा होता है तो एक प्रदर्शन दायित्व को पूरा करती है और समय के साथ राजस्व को मान्यता देती है,:

1. ग्राहक एक साथ कंपनी के प्रदर्शन जैसा कि कंपनी प्रदर्शन करती है; द्वारा प्रदान किए गए लाभों को प्राप्त करता है और उनका उपभोग करता है।

2. कंपनी का प्रदर्शन एक परिसंपत्ति को बनाता है या बढ़ाता है जिसे ग्राहक नियंत्रित करता है क्योंकि संपत्ति बनाई या बढ़ाई जाती है;

3. कंपनी का प्रदर्शन कंपनी के वैकल्पिक उपयोग के साथ संपत्ति को नहीं बनाता है और कंपनी के पास आज तक पूर्ण किए गए प्रदर्शन के लिए भुगतान करने का प्रवर्तनीय अधिकार है।

प्रत्येक निष्पादन दायित्व को समय पर पूरा करने लिए, कंपनी उस निष्पादन दायित्व की पूर्ण प्राप्ति की प्रगति को ध्यान में रखकर समय पर राजस्व को मान्यता देती है।

कंपनी समय पर पूर्ण प्रत्येक निष्पादन दायित्व की प्रगति के आकलन के लिए एक पद्धति को लागू करती है और कंपनी उस पद्धति को समान निष्पादन बाध्यताओं और समान परिस्थितियों में लागू करती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, कंपनी समय पर पूर्ण निष्पादन दायित्व की पूर्ण समाधान की दिशा में अपनी प्रगति का पुनः आकलन करती है।

कंपनी अनुबंध के अंतर्गत तय किए गए शेष सामानों या सेवाओं के सापेक्ष ग्राहक को हस्तांतरित की गई वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य के प्रत्यक्ष आंकलन के आधार पर राजस्व मान्यता के लिए उत्पाद पद्धति को लागू करती है। उत्पाद पद्धति में आज तक पूर्ण किए गए निष्पादन सर्वेक्षण, प्राप्त परिणामों के मूल्यांकन, प्राप्त उपलब्धि, व्यतीत समय और उत्पादित इकाइयाँ या सुपुर्द इकाइयाँ जैसे पद्धतियां शामिल हैं।

जैसे-जैसे समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, कंपनी निष्पादन दायित्व के परिणाम में किसी भी बदलाव को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रगति के अपने माप को अद्यतित करती है। कंपनी की प्रगति के आंकलन में इस तरह के बदलावों को भारतीय लेखांकन मानक 8, लेखांकन नीतियों, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन के अनुसार लेखांकन अनुमान में परिवर्तन के रूप में जाना जाता है।

कंपनी सिर्फ समय पर पूर्ण निष्पादन दायित्व के लिए राजस्व को तभी मान्यता देती है, यदि जब कंपनी निष्पादन दायित्व की पूर्ण समाधान के लिए अपनी प्रगति का आकलन यथोचित रूप से करती है। जब (या जैसे) निष्पादन दायित्व पूरा हो जाता है, तो कंपनी लेन-देन मूल्य की राशि को राजस्व के रूप में मान्यता देती है जो कि परिवर्तनीय भुगतान के अनुमानों को शामिल नहीं करता है जो उस निष्पादन दायित्व के लिए आवंटित होता है।

यदि निष्पादन दायित्व समय पर पूरा नहीं होता तो कंपनी एक समय में निष्पादन दायित्व को पूरा करती है। उस समय को निर्धारित करने के लिए, जिस पर ग्राहक प्रतिबद्ध वस्तुओं या सेवाओं पर नियंत्रण प्राप्त करता है और कंपनी निष्पादन दायित्व को पूरा करती है, कंपनी नियंत्रण हस्तांतरण के संकेतकों को तय करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन यहाँ तक सीमित नहीं हैं:

1) कंपनी के पास वस्तु या सेवा के भुगतान का वर्तमान अधिकार है;

2) ग्राहक के पास वस्तु या सेवा का कानूनी हक होता है;

3) कंपनी ने वस्तु या सेवा का भौतिक कब्जा हस्तांतरित कर दिया है;

4) ग्राहक के पास वस्तु या सेवा के महत्वपूर्ण जोखिम एवं स्वामित्व हैं;

5) ग्राहक ने वस्तु या सेवा को स्वीकार कर लिया है।

जब अनुबंध के किसी भी पक्ष ने कार्य निष्पादन किया है, तो कंपनी, कंपनी के कार्य-निष्पादन और ग्राहक के भुगतान के बीच संबंधों के आधार पर अनुबंध को अनुबंध संपत्ति या अनुबंध देयता के रूप में तुलन पत्र में प्रस्तुत करती है। कंपनी किसी भी बिना शर्त अधिकार को प्राप्य के रूप में अलग से विचार करने के लिए प्रस्तुत करती है।

अनुबंध संपत्तिः

एक अनुबंध परिसंपत्ति ग्राहक को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के बदले में विचार करने का अधिकार है। यदि कंपनी ग्राहक द्वारा विचार किए जाने से पहले या भुगतान देय होने से पहले किसी ग्राहक को वस्तु या सेवाओं को स्थानांतरित करके प्रदर्शन करती है, तो एक अनुबंध परिसंपत्ति को अर्जित प्रतिफल के लिए मान्यता दी जाती है जो कि सशर्त है।

व्यापार प्राप्य :

एक प्राप्य कंपनी के अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है जो बिना शर्त है (यानि, विचार के भुगतान से पहले केवल समय बीतने की आवश्यकता है)।

अनुबंध देयताएंः

एक अनुबंध देयता एक ग्राहक को माल या सेवाओं को स्थानांतरित करने का दायित्व है जिसके लिए कंपनी ने ग्राहक से प्रतिफल प्राप्त किया है (या प्रतिफल की राशि देय है)। यदि कोई ग्राहक कंपनी द्वारा ग्राहक को माल या सेवाओं को हस्तांतरित करने से पहले प्रतिफल का भुगतान करता है, तो भुगतान किए जाने या देय होने पर (जो भी पहले हो) अनुबंध दायित्व को मान्यता दी जाती है। जब कंपनी अनुबंध के तहत प्रदर्शन करती है तब अनुबंध देनदारियों को राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है।

ब्याज

प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके ब्याज आय की पहचान की जाती है।

लाभांश

भुगतान प्राप्त करने के अधिकार स्थापित होने पर निवेश से लाभांश आय को मान्यता दी जाती है।

अन्य दावे

जब वसूली की निश्चितता होती है और इसे मज़बूती से मापा जा सकता है तब अन्य दावों (ग्राहकों से देरी से वसूली पर ब्याज सहित) का हिसाब लिया जाता है।

2.4 सरकार से अनुदान

सरकारी अनुदानों को तब तक मान्यता नहीं दी जाती है जब तक कि उचित आश्वासन न हो कि कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का पालन करेगी और उचित निश्चितता हो कि अनुदान प्राप्त होगा।

सरकारी अनुदानों को लाभ और हानि के विवरण में व्यवस्थित आधार पर उन अवधियों में मान्यता दी जाती है जिसमें कंपनी उन संबंधित लागतों को व्यय के रूप में पहचानती है जिनके लिए अनुदान की भरपाई करने का इरादा है।

परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदानों को आस्थगित आय के रूप में अनुदान की स्थापना करके तुलन पत्र में प्रस्तुत किया जाता है और उसे परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित आधार पर लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

आय से संबंधित अनुदान (अर्थात संपत्ति के अलावा अन्य अनुदान) को 'अन्य आय' शीर्ष के तहत लाभ और हानि के विवरण के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

एक सरकारी अनुदान/सहायता जो पहले से किए गए खर्चों या हानियों के मुआवजे के रूप में या भविष्य से संबंधित लागतों के बिना कंपनी को तत्काल वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से प्राप्य हो जाती है, को उस अवधि के लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है जिसमें यह प्राप्य हो जाता है।

सरकारी अनुदान या संवर्धक योगदान को »पूंजीगत कोष" में सीधे मान्यता दी जानी चाहिए, जो "शेयरधारक निधि" का हिस्सा है।

2.5 पट्टे

एक अनुबंध एक पट्टा होता है, यदि अनुबंध प्रतिफल के बदले में किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है।

2.5.1 पट्टेदार के रूप में कंपनी

प्रारम्भिक तिथि पर, एक पट्टेदार लागत पर संपत्ति के उपयोग के अधिकार और पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य पर एक पट्टा देयता को मान्यता देगा जो उस तिथि पर सभी पट्टों के लिए भुगतान नहीं किया जाता है जब तक कि पट्टे की अवधि 12 महीने या उससे कम न हो या अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की न हो।

तत्पश्चात, उपयोग के अधिकार की संपत्ति को लागत मॉडल का उपयोग करके मापा जाता है, जबकि पट्टा देयता को उस पर लिए गए ब्याज को प्रतिबिंबित करने के लिए वहन राशि में वृद्धि करके, पट्टा भुगतान को प्रतिबिंबित करने के लिए वहन राशि को घटाकर पुनर्मूल्यांकन या पट्टे में संशोधन को दर्शाने के लिए वहन राशि को पुनरांकित कर मापा जाता है।

वित्त शुल्क को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत में मान्यता दी जाती है, जब तक कि लागत अन्य लागू मानकों को लागू करने वाली किसी अन्य परिसंपत्ति की वहन राशि में शामिल न हो। यदि पट्टे की अवधि के अंत तक संपत्ति के स्वामित्व को पट्टेदार को स्थानांतरित कर देता है या यदि उपयोग के अधिकार की संपत्ति की लागत यह दर्शाती है कि पट्टेदार खरीद विकल्प का प्रयोग करेंगे तो उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति का मूल्यह्रास संपत्ति के उपयोगी जीवन पर लगाया जाता है।

2.5.2 पट्टेदाता के रूप में कंपनी

सभी पट्टे या तो परिचालन पट्टे या एक वित्त पट्टे के रूप में है।

एक पट्टे को एक वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह एक अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए प्रासंगिक सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित करता है। एक पट्टे को एक परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह एक अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए प्रासंगिक सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित नहीं करता है।

परिचालन पट्टा - परिचालन पट्टों से पट्टे के भुगतान को स्ट्रेट लाइन आधार पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है जब तक कि एक अन्य व्यवस्थित आधार उस पैटर्न का अधिक प्रतिनिधि न हो जिसमें अंतर्निहित संपत्ति के उपयोग से लाभ कम हो जाता है।

वित्तीय पट्टा- एक वित्त पट्टे के तहत रखी गई संपत्ति को शुरू में इसकी तुलन पत्र में मान्यता दी जाती है और पट्टे में शुद्ध निवेश को मापने के लिए पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके पट्टे में शुद्ध निवेश के बराबर राशि पर उन्हें प्राप्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

2.6 बिक्री हेतु गैर-चालू संपत्ति

कंपनी गैर चालू संपत्तियों (या निपटान समूहों) को बिक्री के लिए वर्गीकृत करती है यदि उनकी वहन राशि को मुख्य रूप से निरंतर उपयोग के बजाय बिक्री के माध्यम से पुनर्प्राप्त किया जाएगा। विक्रय को पूरा करने के लिए आवश्यक क्रियाओं में, बिक्री में महत्वपूर्ण बदलावों की संभावना न होने एवं बिक्री हेतु वापस लिए गए निर्णय का संकेत होना चाहिए। प्रबन्धन वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर अपेक्षित विक्रय करने हेतु प्रतिबद्ध है।

जब विनिमय में वाणिज्यिक सार होता है तब इन उद्देश्य के लिए यह बिक्री लेनदेन में अन्य गैर चालू परिसंपत्तियों के लिए अन्य गैर चालू परिसंपत्तियों के आदान-प्रदान को भी शामिल किया जाता है। विक्रय वर्गीकरण के लिए आयोजित मानदंडों को केवल तब तक ही माना जाता है जब तक कि संपत्ति या निपटान समूह अपने वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो, केवल ऐसी शर्तों के लिए जो ऐसी संपत्ति (या निपटान समूहों) की बिक्री के लिए सामान्य और प्रथागत है, इसकी बिक्री की अत्यधिक संभावना है और इसे वास्तव में बेचा जाएगा पर उसे छोड़ नहीं जाएगा। कंपनी परिसंपत्ति या निपटान समूह की बिक्री को अत्यधिक संभावित मानती है जब:

- ➢ प्रबंधन का उपयुक्त स्तर परिसंपत्ति (या निपटान समूह) को बेचने की योजना के लिए प्रतिबद्ध हो
- ➢ एक खरीदार का पता लगाने और योजना को पूरा करने के लिए एक सक्रिय कार्यक्रम शुरू किया गया हो।
- ➢ परिसंपत्ति (या निपटान समूह) को बिक्री के लिए सक्रिय रूप से उस कीमत पर विपणन किया जा रहा हो, जो इसके वर्तमान उचित मूल्य के संबंध में उचित हो,
- ➢ बिक्री को वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर पूर्ण बिक्री के रूप में मान्यता के लिए अर्हता प्राप्त करने की उम्मीद हो, और
- ➢ योजना को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यों से संकेत मिलता हो कि यह संभावना नहीं है कि योजना में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाएंगे या योजना को वापस ले लिया जाएगा।

2.7 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई):

भूमि की खरीदी ऐतिहासिक कीमत पर की जाती है। ऐतिहासिक लागत में पुनर्वास व्यय, पुनर्वास लागत और संबंधित विस्थापित व्यक्तियों के लिए किए गए रोजगार के बदले मुआवजा आदि जैसे व्यय शामिल होते हैं, जो भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार होते हैं।

मान्यता के पश्चात, अन्य सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के मदों को लागत मॉडल के तहत किसी भी संचित मूल्यह्रास और किसी भी संचित मूल्यह्रास को घटाकर उसकी लागत पर ले जाया जाता है। किसी भी संपत्ति, संयंत्र तथा उसके उपकरण में निम्नलिखित तथ्य शामिल हैं :

1) व्यापार छूट में मिले कटौती के बाद इनका क्रय मूल्य जिसमें आयात शुल्क तथा गैर-वापसी क्रय शुल्क शामिल हो।
2) संपत्ति को स्थान तक लाने के लिए किसी भी प्रत्यक्ष व्यय/सामयिक व्यय तथा प्रबंधन द्वारा क्षमतानुसार परिचालन के लिए उठाया गया अत्यावश्यक कदम।
3) वह दायित्व जिसके लिए कंपनी या तो उस समय वहन करती है जब वस्तु का अधिग्रहण किया जाता है या उस अवधि के दौरान वस्तु सूची के उत्पादन के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किसी विशेष अवधि के दौरान वस्तु का उपयोग करने के परिणामस्वरूप वस्तु को हटाने और हटाने और बहाल करने की लागत का प्रारंभिक अनुमान होता है, जिस साइट पर यह स्थित है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मद का प्रत्येक हिस्सा एक लागत के साथ, जो अलग से मूल्यह्रास वस्तु की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण है। हालांकि, मूल्यह्रास शुल्क का निर्धारण करने में समान उपयोगी जीवन और मूल्यह्रास पद्धति वाले पीपीई के एक मद के महत्वपूर्ण हिस्से को एक साथ समूहीकृत किया जाता है।

'मरम्मत और रखरखाव' के रूप में वर्णित दिन-प्रतिदिन की सर्विसिंग की लागतों को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है जिसमें वह खर्च किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण भागों को बदलने के बाद की लागत को मद की वहन राशि में मान्यता दी जाती है, यदि यह संभव है कि मद से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित होंगे; और वस्तु की लागत को मज़बूती से मापा जा सकता है। उन पुर्जों की वहन राशि जिन्हें प्रतिस्थापित किया गया है, उन्हें नीचे उल्लिखित मान्यता रद्द करने की नीति के अनुसार अमान्य कर दिया गया है।

जब प्रमुख निरीक्षण किया जाता है, तो इसकी लागत को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मद की वहन राशि में एक प्रतिस्थापन के रूप में मान्यता दी जाती है यदि यह संभव है कि मद से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित होंगे; और वस्तु की लागत को मज़बूती से मापा जा सकता है। पिछले निरीक्षण (भौतिक भागों से अलग) की लागत की किसी भी शेष वहन राशि को अमान्य कर दिया गया है।

संपत्ति, संयंत्र या उपकरण की एक वस्तु को निपटान पर या संपत्ति के निरंतर उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होने पर अमान्य कर दिया जाता है। संपत्ति संयंत्र और उपकरण के मद की ऐसी मान्यता से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि में मान्यता दी जाती है। फ्रीहोल्ड भूमि को छोड़कर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर लागत मॉडल के अनुसार निम्नानुसार प्रदान किया जाता है:

अन्य भूमि

(पट्टे की भूमि सहित): परियोजना की अवधि या पट्टे की अवधि जो भी कम हो

भवन	: 3-60 वर्ष
सड़कें	: 3-10 वर्ष
दूरसंचार	: 3-9 वर्ष
रेलवे साइडिंग	: 15 वर्ष
संयंत्र और उपकरण	: 5-30 वर्ष
कंप्यूटर और लैपटॉप	: 3 वर्ष
कार्यालय के उपकरण	: 3-6 वर्ष
फर्नीचर व फिक्सचर	: 10 वर्ष
वाहनों	: 8-10 वर्ष

तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, प्रबंधन का मानना है कि ऊपर दिया गया उपयोगी जीवन उस अवधि का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है जिस पर प्रबंधन परिसंपत्ति का उपयोग करने की अपेक्षा करता है। इसलिए संपत्ति का उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग सी के तहत निर्धारित उपयोगी जीवन से भिन्न हो सकता है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अवशिष्ट मूल्य को संपत्ति की मूल लागत का %5 माना जाता है, सिवाय कुछ मदों जैसे,कोयला टब, घुमावदार रस्सियों, ढुलाई रस्सियों, स्टोविंग पाइप और सुरक्षा लैंप आदि को छोड़कर, जिसके लिए तकनीकी रूप से अनुमानित उपयोगी जीवन एक वर्ष के साथ शून्य अवशिष्ट मूल्य के रूप में निर्धारित की जाती है।

वर्ष के दौरान जोड़ी गई/निपटान की गई संपत्ति पर मूल्यह्रास अतिरिक्त/निपटान के महीने के संदर्भ में आनुपातिक आधार पर प्रदान किया जाता है।

"अन्य भूमि" के मूल्य में कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) (सीबीए) अधिनियम, 1957, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार (आरएफसीटीएलएआर) अधिनियम, 2013, सरकारी भूमि का दीर्घकालिक हस्तांतरण आदि के तहत अधिग्रहित भूमि शामिल है, जिसे परियोजना के शेष जीवन के आधार पर परिशोधन किया जाता है; और लीजहोल्ड भूमि के मामले में ऐसा परिशोधन पट्टे की अवधि या परियोजना के शेष जीवन, जो भी कम हो, पर आधारित होता है।

सक्रिय उपयोग से निवृत पूरी तरह से मूल्यह्रास परिसंपत्तियों को संपत्ति, संयंत्र उपकरण के तहत इसके अवशिष्ट मूल्य पर सर्वेक्षण के रूप में अलग से प्रकट किया जाता है और हानि के लिए इसका परीक्षण किया जाता है।

कंपनी द्वारा कुछ संपत्तियों के निर्माण/विकास पर किए गए पूंजीगत व्यय जो उत्पादन, माल की आपूर्ति या कंपनी की किसी भी मौजूदा संपत्ति तक पहुंच के लिए आवश्यक हैं, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत सक्षम संपत्ति के रूप में पहचाने जाते हैं।

भारतीय लेखा मानक का संक्रमण

कंपनी ने लागत मॉडल के अनुसार वहन मूल्य चुना है (इसकी सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए जैसा कि वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त है, जैसा कि पिछले जीएएपी के अनुसार मापा गया है)।

2.8 <u>बंदी, कार्यस्थल का जीर्णोद्धार एवं डिकामिशनिंग बाध्यताएँ</u>

भूमि सुधार एवं संरचनाओं के निषेध के लिए कंपनी के कार्य में भू-तल एवं भूमिगत दोनों प्रकार के खदानों पर भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के निर्देशानुसार होने वाले खर्च सम्मिलित है। कंपनी खदान बंदी क्षेत्र की मरम्मत एवं निषेध कार्य के आंकलन से संबंधित कार्य पर भविष्य में होने वाली नगद खर्च एवं उस पर लगने वाले खर्च का विस्तृत लेखा जोखा तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर करती है। खदान बंदी व्यय अनुमोदित खदान बंदी योजना के अनुसार उपलब्ध करायी जाती है। खर्च के आंकलन मुद्रा स्फीति के अनुसार बढ़ते हैं एवं इसकी दर कम होने पर घटते है, जो मुद्रा और जोखिमों के समय मूल्य के वर्तमान बाजार के मूल्यांकन को सूचित करती है। यथा प्रावधान में वर्णित कार्य को सम्पन्न करने के लिए आवश्यक अनुमानित खर्च के वर्तमान मूल्य को सूचित किया जाता है। कंपनी सुधार एवं खदान बंदी के समापन के देय धन से संलग्न संपत्ति का लेखा जोखा रखती है। कार्य तथा संपत्ति देयधन को खर्च होने की समयावधि में मान्यता प्राप्त होती है। क्षेत्र के मरम्मत के समस्त मूल्य को सूचित करने वाली संपत्ति (केंद्रीय खनन योजना एवं डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड के आंकलन के अनुसार) खदान बंदी योजना के अनुसार पीपीई में एक भिन्न वस्तुओं

के रूप में जानी जाएगी तथा शेष परियोजना खदान के जीवनकाल के आधार पर परिशोधित होगी।

रियायत का प्रभाव खत्म होते ही समय के साथ प्रावधान का मूल्य उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है, एक खर्च के रूप में इसे वित्तीय खर्च माना जाता है।

इसके अलावा, अनुमोदित खदान बंदी योजना के अनुसार इस उद्देश्य के लिए एक विशिष्ट एस्क्रो फंड खाता रखा जाता है।

कुल खदान बंद करने की बाध्यता का हिस्सा बनने के लिए वर्ष-दर-वर्ष प्रगतिशील खनन बंद के खर्चों को शुरू में आधार पर एस्क्रो खाते से प्राप्त किया जाता है और उसके बाद उस वर्ष के दायित्व के साथ समायोजित किया जाता है जिसमें प्रमाणित एजेंसी की सहमति के बाद राशि वापस ले ली जाती है।

2.9 अन्वेषण और मूल्यांकन संपत्ति

अन्वेषित तथा मूल्यांकित परिसंपत्तियों में पूंजीगत लागत शामिल होती है जो कि कोयला और संबन्धित संसाधनो की खोज के कारण उत्पन्न होती है। तकनीकी व्यवहार्यता के निर्धारण और पहचान वाले संसाधन की व्यावसायिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन निम्न बातों को ध्यान में रख कर किया जाता है:

- अन्वेषण के अधिकारों का अधिग्रहण;
- ऐतिहासिक अन्वेषण डेटा का शोध और विश्लेषण;
- स्थलाकृतिक, भू-रासायनिक और भूभौतिकीय अध्ययनों के माध्यम से खोजपूर्ण डेटा एकत्र करना;
- खोजपूर्ण ड्रिलिंग, ट्रेंचिंग और सैंपलिंग;
- संसाधन की मात्रा और ग्रेड का निर्धारण और जांच करना।
- परिवहन और बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं का सर्वेक्षण करना;
- बाजार और वित्त अध्ययन आयोजित करना।

उपरोक्त में कर्मचारी पारिश्रमिक, सामग्री और उपयोग किए गए ईंधन की लागत, ठेकेदारों को भुगतान आदि शामिल हैं।

चूंकि अमूर्त घटक भविष्य में होने वाले शोषण से होने वाली और वसूल की जाने वाली कुल अपेक्षित मूर्त लागत के एक महत्वहीन/अप्रभेद्य हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है इसलिए इन लागतों को अन्य पूंजीकृत अन्वेषण लागतों के साथ अन्वेषण और मूल्यांकन संपत्ति के रूप में दर्ज किया जाता है।

अन्वेषण और मूल्यांकन लागत को परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के निर्धारण तक परियोजना-दर-परियोजना आधार पर पूंजीकृत किया जाता है और गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के तहत एक अलग लाइन आइटम के रूप में प्रकट किया जाता है। बाद में उन्हें संचित हानि/प्रावधान को घटाकर लागत पर मापा जाता है।

एक बार प्रमाणित भंडार निर्धारित हो जाने और खानों/परियोजना के विकास को मंजूरी मिलने के बाद, अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों को प्रगति पर पूंजीगत कार्य के तहत «विकास» में स्थानांतरित कर दिया जाता है। हालांकि, अगर साबित भंडार निर्धारित नहीं किया जाता है, तो अन्वेषण और मूल्यांकन संपत्ति को अमान्य कर दिया जाता है।

2.10 विकास व्यय

जब सिद्ध भंडार का निर्धारण किया जाता है और खानों/परियोजना के विकास को मंजूरी दी जाती है, पूंजीकृत अन्वेषण और मूल्यांकन लागत को निर्माणाधीन संपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है और «विकास» शीर्षक के तहत प्रगति पर पूंजीगत कार्य के एक घटक के रूप में खुलासा किया जाता है। बाद के सभी विकास व्यय भी पूंजीकृत हैं। पूंजीकृत विकास व्यय विकास चरण के दौरान निकाले गए कोयले की बिक्री से प्राप्त आय का शुद्ध है।

वाणिज्यिक संचालन

परियोजना/खानों को राजस्व में तब लाया जाता है; जब किसी परियोजना/खान की स्थायी आधार पर उत्पादन के लिए व्यावसायिक तैयारी या तो परियोजना रिपोर्ट में विशेष रूप से बताई गई शर्तों के आधार पर या निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर स्थापित की जाती है:

1. वित्तीय वर्ष की शुरुआत से उस वर्ष के तुरंत बाद जिसमें परियोजना अनुमोदित परियोजना रिपोर्ट के अनुसार निर्धारित क्षमता का %25 भौतिक उत्पादन प्राप्त करती है, या
2. कोयले के 2 साल के उत्पादन, या
3. वित्तीय वर्ष की शुरुआत से जिसमें उत्पादन का मूल्य कुल व्यय से अधिक है।

उपर्युक्त में जो भी पहले घटित हो;

राजस्व में लाए जाने पर, पूंजीगत कार्य के तहत चल रही संपत्ति को «अन्य खनन अवसंरचना» नाम के तहत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक घटक के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। अन्य खनन अवसंरचना का परिशोधन उस वर्ष से किया जाता है जब खदान को 20 वर्षों में राजस्व के तहत लाया जाता है या परियोजना का कार्य जीवन जो भी कम हो।

2.11 अमूर्त संपत्तियां

अर्जित की गई अमूर्त संपत्ति को लागत पर प्रारंभिक मान्यता पर मापा जाता है। एक व्यापार संयोजन में अर्जित अमूर्त संपत्ति की लागत अधिग्रहण की तारीख में उनका उचित मूल्य है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, अमूर्त संपत्ति को किसी भी संचित परिशोधन (उनके उपयोगी कार्यकाल में प्रत्यक्ष आधार पर गणना की जाती है) और संचित हानि यदि कोई हो, पर खर्च किए जाते हैं।

पूंजीकृत विकास लागतों को छोड़कर आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त वस्तुओं को पूंजीकृत नहीं हैं। इसके बजाय, संबंधित व्यय को उस अवधि में लाभ और हानि और अन्य व्यापक आय के विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें व्यय किया गया है। अमूर्त संपत्ति के उपयोगी जीवन का आकलन या तो परिमित या अनिश्चित के रूप में किया जाता है। परिमित जीवन के साथ अमूर्त संपत्ति को उनके उपयोगी आर्थिक जीवन पर परिशोधित किया जाता है और जब भी कोई संकेत मिलता है कि अमूर्त संपत्ति क्षीण हो सकती है, तो हानि के लिए मूल्यांकन किया जाता है है। परिशोधन अवधि और एक सीमित उपयोगी जीवन के साथ एक अमूर्त संपत्ति के लिए परिशोधन विधि की समीक्षा कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है। अपेक्षित उपयोगी जीवन में परिवर्तन या परिसंपत्ति में सन्निहित भविष्य के आर्थिक लाभों की खपत के अपेक्षित पैटर्न को परिशोधन अवधि या विधि को उपयुक्त के रूप में संशोधित करने के लिए माना जाता है, और इसे लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन के रूप में माना जाता है। परिमित जीवन के साथ अमूर्त संपत्ति पर परिशोधन व्यय को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है।

अनिश्चित उपयोगी जीवन के साथ एक अमूर्त संपत्ति का परिशोधन नहीं किया जाता है, लेकिन इसका प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर हानि के लिए परीक्षण किया जाता है।

एक अमूर्त संपत्ति की गैर-मान्यता से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि को शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है और लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

हालांकि, बिक्री के लिए पहचाने गए या बाहरी एजेंसियों को बेचे जाने के लिए प्रस्तावित ब्लॉकों के लिए उत्तरदायी अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां (अर्थात, सीआईएल के लिए चिह्नित नहीं किए गए ब्लॉक के लिए) को अमूर्त संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है और हानि के लिए उनका परीक्षण किया गया है।

अमूर्त संपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त सॉफ्टवेयर की लागत, उपयोग के कानूनी अधिकार की अवधि या तीन साल, जो भी कम हो, में शून्य अवशिष्ट मूल्य के साथ ।स्ट्रेट लाइन विधि पर परिशोधन किया जाता है।

अनुसंधान और विकास को व्यय होने पर व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.12 परिसंपत्ति की हानि (वित्तीय संपत्ति के अतिरिक्त)

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मूल्यांकन करती है कि क्या कोई संकेत है कि एक परिसंपत्ति खराब हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। एक परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि या नकदी-उत्पादक इकाई के मूल्य से अधिक है और इसका उचित मूल्य निपटान की लागत कम है, और एक व्यक्तिगत संपत्ति के लिए निर्धारित किया जाता है, जब तक कि परिसंपत्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो कि अन्य संपत्तियां या संपत्तियों के समूह से काफी हद तक स्वतंत्र हैं, जिस स्थिति में वसूली योग्य राशि का निर्धारण उस नकदी-उत्पादक इकाई के लिए किया जाता है जिससे परिसंपत्ति संबंधित है। कंपनी हानि के परीक्षण के उद्देश्य से अलग-अलग खानों को अलग नकद उत्पादन इकाइयों के रूप में मानती है।

यदि किसी संपत्तियों की वसूली योग्य राशि उसकी अग्रणीत राशि से कम होने का अनुमान लगाया जाता है, तो संपत्ति की अग्रणीत राशि को उसकी वसूली योग्य राशि तक घटा दिया जाता है और नुकसान को लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

2.13 <u>निवेश संपत्ति</u>

संपत्ति (भूमि या भवन या भवन का हिस्सा या दोनों) किराए पर या पूंजीगत प्रशंसा या दोनों के लिए, उत्पादन या वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने के बजाय; या व्यवसायों के सामान्य क्रम में बिक्री को निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

निवेश संपत्ति को शुरू में इसकी लागत पर मापा जाता है, जिसमें संबंधित लेनदेन लागत और जहां लागू उधार लागत शामिल है।

निवेश संपत्तियों को उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर आधारित स्ट्रेट लाइन पद्धति का उपयोग करके मूल्यह्रास किया जाता है।

2.14 <u>वित्तीय साधन</u>

एक वित्तीय साधन कोई भी अनुबंध है जो एक इकाई की वित्तीय संपत्ति और दूसरी इकाई की वित्तीय देयता या इक्विटी साधन को प्रदान करता है।

2.14.1 वित्तीय परिसंपत्तियाँ

2.14.1 प्रारंभिक मान्यता और माप

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, यदि वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं किया जाता है, साथ ही लेनदेन लागत जो वित्तीय संपत्ति के अधिग्रहण के कारण होती है। वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद या बिक्री जिसके लिए बाजार स्थान (नियमित तरीके से व्यापार) में विनियमन या सम्मेलन द्वारा स्थापित समय सीमा के भीतर परिसंपत्तियों की डिलीवरी की आवश्यकता होती है, को व्यापार तिथि पर मान्यता दी जाती है, अर्थात, जिस तारीख को कंपनी संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए प्रतिबद्ध होती है।

2.14.2 अनुवर्ती माप

अनुवर्ती माप के प्रयोजनों के लिए, वित्तीय संपत्तियों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- परिशोधन लागत पर ऋण साधन
- अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण साधन।
- लाभ या हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण साधन , डेरिवेटिव और इक्विटी साधन।
- अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा गया इक्विटी उपकरण।

2.14.2.1 परिशोधन लागत पर ऋण साधन

यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैं तो एक 'ऋण साधन' को परिशोधन लागत पर मापा जाता है:

1. परिसंपत्ति को एक व्यवसाय मॉडल के भीतर रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए संपत्ति रखना है, और
2. परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह को निर्दिष्ट तिथियों पर जन्म देती हैं जो बकाया मूलधन पर केवल मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) का भुगतान है।

प्रारंभिक माप के बाद, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके

परिशोधन लागत पर मापा जाता है। परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी भी छूट या प्रीमियम या शुल्क और लागत जो ईआईआर का एक अभिन्न अंग है, को ध्यान में रखकर की जाती है। ईआईआर परिशोधन को लाभ या हानि में वित्तीय आय में शामिल किया जाता है। हानि से उत्पन्न होने वाले नुकसान को भी लाभ या हानि में पहचाना जाता है।

2.14.2.2 एफवीटीओसीआई पर ऋण साधन

यदि निम्नलिखित दोनों मानदंड पूरे होते हैं तो एक 'ऋण साधन' को एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है:

1. व्यापार मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करके और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर दोनों से प्राप्त किया जाता है, और
2. परिसंपत्ति का संविदात्मक नकदी प्रवाह एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करता है।

एफवीटीओसीआई श्रेणी में शामिल ऋण साधनों को आरंभ में और साथ ही प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य पर मापा जाता है। उचित मूल्य संचलन को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्राप्त है। हालांकि, कंपनी पी एंड एल में ब्याज आय, हानि और उत्क्रमण और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को पहचानती है। परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त होने पर, ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को इक्विटी से पी एंड एल में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। एफवीटीओसीआई ऋण साधन रखने के दौरान अर्जित ब्याज को ईआईआर पद्धति का उपयोग करते हुए ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया जाता है।

2.14.2.3 एफवीटीपीएल पर ऋण साधन

एफवीटीपीएल ऋण साधनों के लिए एक अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण साधन, जो परिशोधन लागत पर या एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, उसे एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके अलावा, कंपनी एक ऋण साधन को नामित करने का चुनाव कर सकती है, जो जो अन्यथा एफवीटीपीएल के रूप में परिशोधन लागत या एफवीटीओसीआई मानदंडों को पूरा करता है। हालांकि, इस तरह के चुनाव की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब ऐसा करने से माप या मान्यता विसंगति कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है (जिसे 'लेखांकन बेमेल' कहा जाता है)। कंपनी ने एफवीटीपीएल के रूप में कोई ऋण साधन निर्दिष्ट नहीं किया है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल ऋण साधनों को लाभ एवं हानि में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

2.14.2.4 सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश

भारतीय लेखांकन मानक 101 (भारतीय लेखांकन मानक में प्रथम बार अंगीकरण) के अनुसार, संक्रमण की तारीख को पिछले जीएएपी के अनुसार इन निवेशों की वहन राशि को मानित लागत माना जाता है। इसके बाद सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश को लागत पर मापा जाता है।

समेकित वित्तीय विवरण के मामले में, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश का लेखा भारतीय लेखांकन मानक 28 के अनुच्छेद 10 में निर्धारित इक्विटी पद्धति के अनुसार किया जाता है।

2.14.2.5 अन्य इक्विटी निवेश

भारतीय लेखांकन मानक 109 के दायरे में अन्य सभी इक्विटी निवेशों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है।

अन्य सभी इक्विटी साधनों के लिए, कंपनी अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत करने के लिए उचित मूल्य में बाद में होने वाले परिवर्तनों के लिए एक अपरिवर्तनीय चुनाव कर सकती है। कंपनी ऐसे चुनाव इंस्ट्रूमेंट बाय-इंस्ट्रूमेंट के आधार पर करती है। वर्गीकरण प्रारंभिक मान्यता पर किया गया है और अपरिवर्तनीय है।

यदि कंपनी एफवीटीओसीआई के रूप में एक इक्विटी साधन को वर्गीकृत करने का निर्णय लेती है, तो लाभांश को छोड़कर, साधनों पर सभी उचित मूल्य परिवर्तनों को ओसीआई में मान्यता दी जाती है। निवेश की बिक्री पर भी ओसीआई से पी एंड एल तक की राशि का पुनर्चक्रण नहीं होता है। हालाँकि, कंपनी संचयी लाभ या हानि को इक्विटी के भीतर स्थानांतरित कर सकती है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी साधनों को पी एंड एल में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

2.14.2.6 मान्यता रद्द करना

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, एक वित्तीय परिसंपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह का हिस्सा) को प्राथमिक रूप से अमान्य कर दिया जाता है (यानी, तुलन पत्र से हटा दिया जाता है) जब:

- परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार समाप्त हो गए हों, या
- कंपनी ने परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया हो या एक 'पास-थ्रू' व्यवस्था के तहत किसी तीसरे पक्ष को भौतिक देरी के बिना प्राप्त नकदी प्रवाह का पूरा भुगतान करने का दायित्व ग्रहण किया हो; और या तो (क) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित कर दिया हो, या (ख) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो हस्तांतरित किया हो और न ही बरकरार रखा हो, लेकिन संपत्ति का नियंत्रण स्थानांतरित कर दिया हो।

जब कंपनी ने किसी परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया है या पास-थ्रू व्यवस्था में प्रवेश किया है, तो यह मूल्यांकन करता है कि क्या और किस हद तक उसने स्वामित्व के जोखिमों और पुरस्कारों को बरकरार रखा है। जब इसने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो हस्तांतरित किया है और न ही बरकरार रखा है, न ही परिसंपत्ति का नियंत्रण स्थानांतरित किया है, कंपनी कंपनी की निरंतर भागीदारी की सीमा तक हस्तांतरित संपत्ति को पहचानना जारी रखती है। उस मामले में, कंपनी एक संबद्ध दायित्व को भी पहचानती है। हस्तांतरित परिसंपत्ति और संबंधित देयता को उस आधार पर मापा जाता है जो कंपनी द्वारा बनाए गए अधिकारों और दायित्वों को दर्शाता है। हस्तांतरित परिसंपत्ति पर गारंटी का रूप लेने वाली निरंतर भागीदारी को परिसंपत्ति की मूल वहन राशि के निचले हिस्से में मापा जाता है और अधिकतम राशि जिसे कंपनी को चुकाने की आवश्यकता हो सकती है।

2.14.2.7 वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि (उचित मूल्यों के अतिरिक्त)

भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार, कंपनी निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों और क्रेडिट जोखिम जोखिम पर हानि की माप और पहचान के लिए अपेक्षित क्रेडिट लॉस (ईसीएल) मॉडल लागू करती है:

क) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण साधन हैं, और परिशोधन लागत पर मापी जाती हैं जैसे उधार, ऋण प्रतिभूति, जमा, व्यापार प्राप्य एवं बैंक शेष।

ख) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण साधन हैं और जिन्हें एफवीटीओसीआई के रूप में मापा जाता है।

ग) भारतीय लेखांकन मानक 17 के तहत पट्टा प्राप्य।

घ) व्यापार प्राप्य या नकद या अन्य वित्तीय संपत्ति प्राप्त करने का कोई संविदात्मक अधिकार जो कि भारतीय लेखांकन मानक 115 के दायरे में लेनदेन के परिणामस्वरूप होता है।

कंपनी निम्नलिखित पर हानि भत्ते की पहचान के लिए 'सरलीकृत दृष्टिकोण' का अनुसरण करती है:

- व्यापार प्राप्य या अनुबंध राजस्व प्राप्तियां; तथा
- भारतीय लेखांकन मानक 17 के दायरे में लेनदेन के परिणामस्वरूप सभी पट्टा प्राप्य।

सरलीकृत दृष्टिकोण के आवेदन के लिए कंपनी को क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन को ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बजाय, यह प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, इसकी प्रारंभिक मान्यता से ही, आजीवन ईसीएल के आधार पर हानि भत्ता को मान्यता देता है।

2.14.3 वित्तीय देयताएं

2.14.3.1 प्रारंभिक मान्यता और माप

कंपनी की वित्तीय देनदारियों में बैंक ओवरड्राफ्ट सहित व्यापार और अन्य देय, ऋण और उधार शामिल हैं।

ऋण और उधार के मामले में तथा विशेषकर लेनदेन की लागतों पर शुद्ध भुगतान करने हेतु वित्तीय देयताएँ प्रारम्भिक स्तर पर उचित मूल्य में दर्शायी जाती है।

2.14.3.2 आगामी माप

वित्तीय देनदारियों की माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करती है, जैसा कि नीचे वर्णित है :

2.14.3.3 लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियां

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों में व्यापार के लिए धारित वित्तीय देनदारियां और लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में प्रारंभिक मान्यता पर नामित वित्तीय देनदारियां शामिल हैं। वित्तीय देनदारियों को व्यापार के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के उद्देश्य से खर्च की जाती हैं। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा दर्ज किए गए व्युत्पन्न वित्तीय साधन भी शामिल हैं जिन्हें भारतीय लेखांकन मानक 109 द्वारा परिभाषित हेजिंग उपकरणों के रूप में नामित नहीं किया गया है। अलग-अलग एम्बेडेड डेरिवेटिव्स को भी ट्रेडिंग के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब तक कि उन्हें प्रभावी हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में नामित नहीं किया जाता है।

व्यापार के लिए रखी गई देनदारियों पर लाभ या हानि को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता पर निर्दिष्ट वित्तीय देनदारियों को मान्यता की प्रारंभिक तिथि पर निर्दिष्ट किया जाता है, और केवल तभी जब जब भारतीय लेखांकन मानक 109 के मानदंड संतुष्टीजनक पाये जाते हैं। एफवीटीपीएल के रूप में निर्दिष्ट देनदारियों के लिए, स्वयं के क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन के कारण उचित मूल्य लाभ/हानि को ओसीआई में मान्यता दी गई है। इन लाभों/हानियों को बाद में पी एंड एल में अंतरित नहीं किया जाता है। हालांकि, कंपनी इक्विटी के भीतर संचयी लाभ या हानि को स्थानांतरित कर सकती है। ऐसी देयता के उचित मूल्य में अन्य सभी परिवर्तनों को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। कंपनी ने लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में किसी भी वित्तीय देयताओं को नामित नहीं किया है।

2.14.3.4 परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएँ

प्रारंभिक मान्यता के बाद, इन्हें बाद में प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है। जब प्रभावी ब्याज पर परिशोधन की प्रक्रिया द्वारा देयताओं को वापस लिया जाता है, तब लाभ या हानि में नफा या नुकसान को पहचाना जाता है। परिशोधित लागत का आंकलन अधिग्रहण और शुल्क या लागतों पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए की जाती है, जो कि प्रभावी ब्याज दर का अभिन्न हिस्सा है। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है। यह श्रेणी आम तौर पर उधार लेने पर लागू होती है।

2.14.3.5 मान्यता रद्द करना

एक वित्तीय देयता की मान्यता को तब वापस लिया जाता है जब देयताओं के तहत दायित्व का निर्वहन रद्द या समाप्त हो गया हो। जब वित्तीय देयताओं को समान ऋणदाता के साथ विभिन्न शर्तों पर पुन:प्रतिस्थापित किया जाता है या मौजूदा देयता की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो इस तरह के विनियम या संशोधन को मूल दायित्व की मान्यता और एक नई देयता की पहचान के रुप में माना जाएगा। किसी अन्य पार्टी को समझाए गए या हस्तांतरित किये गये वित्तीय लेनदेन राशि और उसमें से किसी भी हस्तांतरित परिसंपत्तियों या दायित्वों सहित भुगतान किए गए विचारों को लाभ व हानि के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

2.14.4 वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्वर्गीकरण

कंपनी प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय संपत्तियों और देयताओं का वर्गीकरण करती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद वित्तीय परिसंपत्तियाँ, जो कि इक्विटी साधन एवं वित्तीय देयताएं हैं उसे पुन:वर्गीकृत नहीं किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए जो ऋण साधन हैं, पुनर्वर्गीकरण केवल तभी किया जाता है जब उन परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यवसाय मॉडल में बदलाव होता है। व्यापार मॉडल में अक्सर परिवर्तन होने की उम्मीद है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन बाहरी या आंतरिक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप व्यापार मॉडल में परिवर्तन निर्धारित करता है जो कंपनी के संचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस तरह के बदलाव बाहरी पार्टियों के लिए स्पष्ट हैं। व्यवसाय मॉडल में बदलाव तब होता है जब कंपनी या तो कोई ऐसी गतिविधि शुरू करती है या बंद कर देती है जो उसके संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। यदि कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को पुन: वर्गीकृत करती है, तो यह पुनर्वर्गीकरण तिथि से भावी प्रभाव से पुनर्वर्गीकरण लागू करती है जो व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन के बाद तुरंत अगली रिपोर्टिंग अवधि का पहला दिन है। कंपनी पहले से स्वीकृत किसी लाभ हानि (लाभ व हानि में कमी सहित) या ब्याज को पुन:वर्णित नहीं करती है।

निम्न तालिका विभिन्न पुनर्वर्गीकरण और उनके लेखा-जोखा को दर्शाती है :

वास्तविक वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखांकन विधि
परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	पुन:वर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य को मापा जाता है। पिछले परिशोधित लागत तथा उचित मूल्य के अंतर को पी एंड एल के रुप में पहचाना जाता है।
एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	पुन:वर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य उनके वर्तमान में जारी कुल राशि का प्रतिनिधित्व करती है। ईआईआर की गणना नये जारी किये गये राशि के आधार पर की जाती है।
परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	पुन:वर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य को मापा जाता है। पिछले परिशोधित लागत तथा उचित मूल्य के अंतर को ओसीआई में पहचाना जाता है। पुनर्वर्गीकरण के कारण ईआईआर में बदलाव नहीं किया गया।
एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य उसकी नई परिशोधित लागत वाली राशि होगी। हालांकि ओसीआई में लाभ या हानि को उचित मूल्य के हिसाब से समायोजित किया गया है। जिसके फलस्वरूप आस्तियों को मापा जाता है जिस तरह वे हमेशा से परिशोधित मूल्य पर मापे जाते हैं।
एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	पुन:वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य उसकी नई जारी की गई राशि होगी, जिसमें किसी अन्य राशि के समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी।
एफवीटीओसीआई	एफवीटीपीपीएल	परिसंपत्तियाँ उचित मूल्य पर ही मापी जाएंगी। ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को पुन: जमा करने की तिथि में पी एंड एल के रुप वर्गीकृत किया गया।

2.14.5 वित्तीय साधनों की ऑफ़सेटिंग

वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय देनदारियों की भरपाई की जाती है और समेकित तुलनपत्र में शुद्ध राशि की सूचना दी जाती है। यदि मान्यता प्राप्त राशियों की भरपाई करने का वर्तमान में लागू करने योग्य कानूनी अधिकार है और परिसंपत्तियों और देनदारियों को एक साथ निपटाने के लिए शुद्ध आधार पर निपटान करने का इरादा है।

2.14.6 नकद और नकद समकक्ष

तुलन पत्र में नकद और नकद समकक्ष में बैंकों और हाथ में नकद और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमा शामिल हैं, जो मूल्य में परिवर्तन के एक महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं। नकदी प्रवाह के समेकित विवरण के प्रयोजन के लिए, नकद और नकद समकक्षों में नकद और अल्पकालिक जमा, बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट का शुद्ध शामिल हैं, जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है, क्योंकि उन्हें कंपनी के नकद प्रबंधन का एक अभिन्न अंग माना जाता है।

2.15 उधार लागत

उधार लेने की लागत तब खर्च की जाती है जब तक कि वे सीधे योग्यता परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं, यानी, ऐसी संपत्तियां जो अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लेती हैं, इस स्थिति में उन्हें उन परिसंपत्तियों की लागत के हिस्से के रूप में उस तारीख तक पूंजीकृत किया जाता है जब योग्य संपत्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होती है।

2.16 कर निर्धारण

आयकर व्यय वर्तमान में देय और आस्थगित कर के योग का प्रतिनिधित्व करता है।

वर्तमान कर एक अवधि के लिए कर योग्य लाभ (कर हानि) के संबंध में देय (वसूली योग्य) आयकर की राशि है। कर योग्य लाभ «आयकर से पूर्व लाभ» से भिन्न होता है जैसा कि लाभ और हानि और अन्य व्यापक आय के विवरण में बताया गया है क्योंकि इसमें आय या व्यय की वस्तुओं को

शामिल नहीं किया गया है जो अन्य वर्षों में कर योग्य या कटौती योग्य हैं और इसमें उन वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया है जो कभी भी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं हैं। वर्तमान कर के लिए कंपनी की देयता की गणना उन कर दरों का उपयोग करके की जाती है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या वास्तविक रूप से अधिनियमित किए गए हैं।

आस्थगित कर देनदारियों को आम तौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को आम तौर पर सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए इस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभव है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगें, जिसके विरुद्ध उन कटौती योग्य अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सकता है। ऐसी संपत्ति और देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है यदि अस्थायी अंतर सद्भावना से या अन्य परिसंपत्तियों और देनदारियों की प्रारंभिक मान्यता (व्यापार संयोजन के अलावा) से उत्पन्न होता है जो न तो कर योग्य लाभ और न ही लेखांकन लाभ को प्रभावित करता है।

आस्थगित कर देनदारियों को सहायक कंपनियों और सहयोगियों में निवेश से जुड़े कर योग्य अस्थायी अंतर के लिए मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि जहां कंपनी अस्थायी अंतर के उत्क्रमण को नियंत्रित करने में सक्षम है और यह संभव है कि अस्थायी अंतर निकट भविष्य में उलट नहीं होगा। ऐसे निवेशों और हितों से जुड़े कटौती योग्य अस्थायी अंतरों से उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल इस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभव है कि पर्याप्त कर योग्य लाभ होगा जिसके विरुद्ध अस्थायी अंतरों के लाभों का उपयोग किया जा सके।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है और इस हद तक कम कर दी जाती है कि अब यह संभव नहीं है कि संपत्ति के सभी या कुछ हिस्से को पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा। गैर-मान्यता प्राप्त आस्थगित कर परिसंपत्तियों का प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और इस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावित हो गया है कि आस्थगित कर संपत्ति के सभी या कुछ हिस्से को वसूल करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं को कर दरों पर मापा जाता है और इसे उस अवधि में लागू करने की अपेक्षा भी की जाती है, जिससे कि कर दरों (तथा कर कानून) पर आधारित देयताओं व आस्तियों का निपटारा किया जा सके। इसे रिपोर्टिंग तिथि के अंत तक लागू या मूल रूप से अधिनियमित किया जाता है।

आस्थगित कर देयताओं और परिसंपत्तियों की माप उसके कर परिणामों को दर्शाती है, जो इस रीति का अनुसरण करती है जिसमें कंपनी को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिसंपत्तियों और देयताओं की संख्या को व्यवस्थित करने की उम्मीद होती है।

वर्तमान और आस्थगित कर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है, सिवाय जब वे अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित होते हैं, इस मामले में, वर्तमान और आस्थगित कर को अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में भी मान्यता दी जाती है। जहां वर्तमान कर या आस्थगित कर व्यवसाय संयोजन के लिए प्रारंभिक लेखांकन से उत्पन्न होता है, कर प्रभाव को व्यवसाय संयोजन के लिए लेखांकन में शामिल किया जाता है।

2.17 कर्मचारी हितलाभ

2.17.1 अल्पकालिक लाभ

सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभ उस अवधि में पहचाने जाते हैं जिसमें वे खर्च किए जाते हैं।

2.17.2 रोजगार पश्चात लाभ और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

2.17.2.1 परिभाषित योगदान योजनाएं

पारिभाषित योगदान योजनाएं भविष्य निधि एवं पेंशन के लिए रोजगार पश्चात् प्राप्त होने वाली लाभ योजनाएं है, जिसके अंतर्गत कंपनी कानून के अधिनियमन के तहत् गठित एक अलग सांविधिक निकाय द्वारा रखी गई निधि में निश्चित योगदान का भुगतान करती है और कंपनी के पास आगे की राशियों के भुगतान हेतु कोई भी कानून एवं रचनात्मक दायित्व नहीं होता है। परिभाषित योगदान योजनाओं में योगदान के दायित्वों को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसके दौरान कर्मचारियों द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

2.17.2.2 परिभाषित लाभ योजनाएं

एक परिभाषित लाभ योजना एक परिभाषित योगदान योजना के अलावा रोजगार पश्चात लाभ योजना भी है। परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी के शुद्ध दायित्व की गणना कर्मचारियों द्वारा वर्तमान और पूर्व अवधि में उनकी सेवा के बदले अर्जित भविष्य के लाभ की मात्रा का अनुमान लगाकर की जाती है। लाभ को उसके वर्तमान मूल्य को निर्धारित करने के लिए छूट दी जाती है और उसे योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य, यदि कोई हो, से घटाया जाता है। छूट की दर रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार भारत सरकार की प्रतिभूतियों की मौजूद बाजार पर आधारित होती है, जिनकी परिपक्वता तिथियां कंपनी के दायित्वों की शर्तों के अनुरूप होती हैं और उन्हें उसी मुद्रा में दर्शाया जाता है जिसमें लाभ का भुगतान होने की उम्मीद होती है।

बीमांकिक मूल्यांकन के अनुप्रयोग में छूट दर, संपत्ति पर रिटर्न की अपेक्षित दर, भविष्य में वेतन वृद्धि, मृत्यु दर आदि के बारे में धारणाएं शामिल है। इन योजनाओं की दीर्घकालिक प्रकृति के कारण, ऐसे अनुमान अनिश्चितताओं के अधीन हैं। गणना प्रत्येक तुलनपत्र पर अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकन द्वारा की जाती है। जब गणना समूह के हित में हों, तो भविष्य में योजना के योगदान में कमी या योजना से धन वापसी के रूप में आर्थिक लाभों में स्वीकृत परिसंपत्तियों को उपलब्ध वर्तमान मूल्य पर सीमित किया जाता है। यदि योजना देयताओं के समाधान पर या योजना के दौरान वसूली योग्य हो तो कंपनी को आर्थिक लाभ उपलब्ध होगा।

कुल परिभाषित लाभ देयता का पुन: माप, जिसमें योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (ब्याज को छोड़कर) पर विचार करते हुए बीमांकिक लाभ और हानि शामिल है और परिसंपत्ति सीमा (ब्याज को छोड़कर, यदि कोई हो) के प्रभावों को अन्य व्यापक आय में तुरंत मान्यता दी जाती है। कंपनी योगदान और लाभ भुगतान के परिणामस्वरूप अवधि के दौरान शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) में किसी भी बदलाव को ध्यान में रखते हुए, वार्षिक अवधि की शुरुआत में परिभाषित लाभ दायित्व को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दर को लागू करके अवधि के लिए शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज व्यय (आय) निर्धारित करती है। परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित शुद्ध ब्याज व्यय और अन्य खर्चों को लाभ और हानि में पहचाना जाता है।

जब योजना के लाभों में बढ़ोत्तरी होती है, तो कर्मचारियों द्वारा पिछली सेवा से संबंधित बढ़े हुए लाभ के हिस्से को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत व्यय के रूप में दर्शाया जाता है।

2.17.3 अन्य कर्मचारी लाभ

कुछ अन्य कर्मचारी लाभ जैसे एलटीए, एलटीसी, जीवन बीमा योजना, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, निपटान भत्ता, सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ योजना और खदान दुर्घटनाओं में मृतक के आश्रितों को मुआवजा आदि परिभाषित लाभ योजना के लिए ऊपर वर्णित आधार पर मान्यता दी गई है। इन लाभों के लिए विशिष्ट वित्तपोषण (फंडिंग) नहीं है।

2.18 विदेशी मुद्रा

कंपनी की मुद्रा और इसके अधिकांश परिचालनों के लिए कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपये (आईएनआर) में है, जो उस आर्थिक वातावरण की प्रमुख मुद्रा है जिसमें यह संचालित होती है।

लेन-देन की तारीख में प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करके विदेशी मुद्राओं में लेनदेन को कंपनी की मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित मौद्रिक परिसंपत्तियों और देनदारियों को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित विनिमय दरों में परिवर्तित किया जाता है। मौद्रिक परिसंपत्तियों और देनदारियों के निपटान पर या मौद्रिक परिसंपत्तियों और देनदारियों के उन दरों से भिन्न दरों पर परिवर्तन करने पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर, जिन पर उन्हें अवधि के दौरान प्रारंभिक मान्यता पर या पिछले वित्तीय विवरणों में परिवर्तित किया गया था, अवधि में लाभ और हानि के विवरण में पहचाने जाते हैं जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित गैर-मौद्रिक मदों का मूल्यांकन लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों पर किया जाता है।

2.19 स्ट्रिपिंग गतिविधि व्यय/समायोजन

खुली खदान खनन के मामले में, कोयला अपशिष्ट सामग्री («ओवरबर्डन») जिसमें कोयला सीम के शीर्ष पर मिट्टी और चट्टान होती है, को कोयले और इसके निष्कर्षण तक पहुंचने के लिए हटाने की आवश्यकता होती है। अपशिष्ट हटाने की इस गतिविधि को 'स्ट्रीपिंग' के रूप में जाना जाता है। खुली खदानों में कंपनी को खानों की सुरक्षा (तकनीकी रूप से आकलित) करने हेतु ऐसे खर्च उठाने पड़ते हैं।

इसलिए एक नीति के अंतर्गत प्रतिवर्ष 1 मिलियन टन की क्षमता के साथ खानों में स्ट्रिपिंग की लागत पर, स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति और अनुपात विवरण के समायोजन पर एवं प्रत्येक खदान पर तकनीकी मूल्यांकन वाले औसत स्ट्रिपिंग अनुपात (ओबी:कोयला) के रूप में खर्च किया जाता है। खानों के बाद खाते को राजस्व में लाया जाता है।

स्ट्रिपिंग गतिविधियों के तहत परिसंपत्ति एवं तुलन पत्र की तिथि में अनुपात भिन्नता की कुल शेष राशि को गैर वर्तमान प्रावधान/अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियों के शीर्ष के अंतर्गत स्ट्रिपिंग गतिविधि के समायोजन के रूप में अंकित किया जाता है।

रिकॉर्ड के अनुसार प्रतिवेदित अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा ओबीआर लेखांकन अनुपात जहां प्रतिवेदित मात्रा एवं मापी गई मात्रा में भिन्नता हो को दो वैकल्पिक अनुमेय सीमा के भीतर गणना हेतु ध्यान में लाया जाता है जैसा कि नीचे उल्लेखित है।:-

खान के ओबीआर का वार्षिक परिमाण	विचरण की अनुमेय सीमा (%)
1 मिलियन घन-मीटर से कम	+/- 5%
1 से 5 मिलियन घन-मीटर के बीच	+/- 3%
5 मिलियन घन-मीटर से अधिक	+/- 2%

हालांकि, जहां विचरण उपरोक्त रूप में अनुमेय सीमा से परे है, वहाँ मापी गई मात्रा पर विचार किया जाता है।

एक मिलियन टन से कम की क्षमता वाले खानों के मामले में, उपरोक्त नीति लागू नहीं की जाती है और वर्ष के दौरान होने वाली स्ट्रिपिंग गतिविधि की वास्तविक लागत को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.20 वस्तु सूची

2.20.1 कोयले का भंडार

कोयले/कोक की सूची कम लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर बताई गई है। इन्वेंट्री की लागत की गणना भारित औसत पद्धति का उपयोग करके की जाती है। शुद्ध वसूली योग्य मूल्य माल की अनुमानित बिक्री मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें पूरा होने की सभी अनुमानित लागत और बिक्री करने के लिए आवश्यक लागत शामिल है।

कोल आरक्षित स्टॉक खाते में यह माना जाता है कि जहाँ आरक्षित स्टॉक और मापी गई स्टॉक के बीच का अंतर +/-5% तक हो या ऐसे मामलों में जहां अंतर +/-5%से अधिक हो वहां उसे मापा हुआ स्टॉक माना जायेगा। शुद्ध वास्तविक मूल्य या लागत में से जो भी कम हो, ऐसे स्टॉक मूल्यवान समझे जायेंगे।

कोयले और कोक-फाइन का मूल्य कम लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है और इसे कोयले के स्टॉक का एक हिस्सा माना जाता है।

स्लरी (कोकिंग/सेमी-कोकिंग), वाशरियों के बीच में और उत्पादों द्वारा शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है और इसे कोयले के स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।

2.20.2 भंडार एवं पुर्जे

केन्द्रीय और क्षेत्रीय भंडार में स्टोर और स्पेयर पार्ट्स (जिसमें ढीले उपकरण भी शामिल हैं) के स्टॉक को मूल्य स्टोर लेज़र में प्रदर्शित शेष राशि के अनुसार माना जाता है और भारित औसत पद्धति के आधार पर गणना की गई लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। कोलियरी/उप-स्टोर/ड्रिलिंग कैंप/उपभोक्ता केंद्रों पर पड़े स्टोर और स्पेयर पार्ट्स की सूची को वर्ष के अंत में केवल भौतिक रूप से सत्यापित स्टोर के अनुसार माना जाता है और लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

अनुपयोगी, क्षतिग्रस्त और अप्रचलित स्टोर और पुर्जो के लिए 100% की दर से और 5 वर्षों से स्थानांतरित नहीं किए गए स्टोर और पुर्जो के लिए 50% की दर से प्रावधान किए गए हैं।

2.20.3 अन्य वस्तु-सूची

प्रगतिरत कार्य सहित कार्यशाला के कार्यों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है। प्रेस कार्यों (कार्य प्रगति के साथ) और प्रिंटिंग प्रेस में स्टेशनरी और केंद्रीय अस्पताल में दवाओं के स्टॉक का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

हालांकि स्टेशनरी (प्रिंटिंग प्रेस में लाने के अलावा) ईंटों ,रेत, दवाइयों (केंद्रीय अस्पताल को छोड़कर) विमान के पुर्जो और स्क्रैप आदि को सूची में उल्लेखित नहीं किया जाता है क्योंकि उनका मूल्य महत्वपूर्ण नहीं होता।

2.21 प्रावधान, आकस्मिक परिसंपत्ति एवं देयताऐं

प्रावधान तब मान्य होते हैं जब कंपनी की पिछली घटना के परिणामस्वरुप वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) उसे प्राप्त हो और यह संभव है कि दायित्वों का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभों की आवश्यकता है और उसे दायित्वों की विश्वसनीयता के रूप में भी लिया जा सकता है। जहां समय मूल्यवान है वहाँ दायित्व का निपटान करने के लिए अपेक्षित व्यय को वर्तमान मूल्य के अनुरूप रखा जाता है।

सभी प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र तिथि पर की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमान को दर्शाने के लिए उसका समायोजन किया जाता है।

जहाँ यह संभव ना हो कि आर्थिक लाभों का आउटफ्लों आवश्यक होगा या राशि का सटीक रूप से अनुमान नहीं लगाया गया हो, तो वहाँ दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में प्रकट किया जाना प्रासंगिक हो जाता है जब तक कि आर्थिक लाभ के आउटफ्लों की संभावना दूर नहीं होती। संभावित दायित्व के अस्तित्व की केवल एक या अधिक भावी अनिश्चित घटनाओं की उपस्थिति या गैर-घटना से पुष्टि की जाएगी, जो कि पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं होगी एवं जब तक कि आर्थिक लाभ के आउटफ्लों की संभावना दूर नहीं होती, तब तक उन्हें प्रासंगिक देयताओं के रूप में प्रकट किया जाएगा।

आकस्मिक संपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त नहीं है। हालांकि जब आय की प्राप्ति लगभग निश्चित होती है, तो संबंधित संपत्ति एक आकस्मिक संपत्ति नहीं होती है और इसकी मान्यता यथोचित होती है।

2.22 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कर के पश्चात शुद्ध लाभ को विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर मंदित आय की गणना कर के बाद लाभ को प्रति शेयर मूल आय प्राप्त करने के लिए विचार किए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है और इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जो सभी मंदित संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी की जाती है।

2.23 निर्णय, आकलन और धारणाएं

भारतीय लेखांकन मानक के अनुरुप वित्तीय विवरण को तैयार करने के लिए प्रबंधन को अनुमान, आकलन और अभिधारणा की आवश्यकता होती है जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग एवं परिसंपत्तियों और देनदारियों की प्रतिवेदित राशियों, वित्तीय विवरण की तारीख को आकस्मिक परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के प्रकटीकरण तथा प्रतिवेधित अवधि के दौरान राजस्व एवं व्यय राशि को प्रभावित करती है। जटिल और व्यक्तिपरक निर्णयों से जुड़े लेखांकन नीतियों का उपयोग और इन वित्तीय विवरणों में धारणाओं के उपयोग का खुलासा किया गया है। लेखांकन परिणाम समय-समय पर परिवर्तित होते रहते हैं। वास्तविक परिणाम अनुमानित लागत से भिन्न होते हैं। अनुमान के आधार पर इनकी निरंतर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमान में संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुमान संशोधित किए जाते हैं और, यदि महत्वपूर्ण हो, तो उनके प्रभावों को वित्तीय विवरणों के नोट्स में प्रकट किया जाता है।

2.23.1 निर्णय

कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में प्रबंधन ने निम्नलिखित फैसले लिए हैं, जिसका वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है:

2.23.1.1 लेखांकन नीतियों का निर्माण –

लेखांकन नीतियां ऐसे वित्तीय वक्तव्य हैं जिसमें लेनदेन, अन्य घटनाओं और शर्तो के बारे में प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है, जिसके लिए वे आवेदन करते हैं। जिन नीतियों का प्रभाव अव्यवस्थित हो उन नीतियों को लागू करने की आवश्यकता नहीं होती।

प्रबंधन ने किसी लेनदेन, अन्य घटना या स्थिति पर विशेष रूप से लागू होने वाले भारतीय लेखांकन मानक की अनुपस्थिति में, एक लेखांकन नीति विकसित करने और उसे लागू करने में अपने निर्णय का उपयोग किया है जिसके परिणामस्वरूप जानकारी मिलती है:

1) उपयोगकर्ताओं की आर्थिक निर्णय लेने की जरूरतों के लिए प्रासंगिक और

2) उस वित्तीय विवरणों में विश्वसनीय:

i. कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का ईमानदारी से प्रतिनिधित्व करते हैं;

ii. लेन-देन, अन्य घटनाओं और शर्तो के आर्थिक सार को प्रतिबिंबित करें, न कि केवल कानूनी रूप को;

iii. तटस्थ हैं; यानी पूर्वाग्रह से मुक्त हैं;

iv. विवेकपूर्ण हैं; तथा

v. निरंतर आधार पर सभी भौतिक मामलों में पूर्ण हैं

निर्णय लेने में प्रबंधन निम्नलिखित स्रोतों को अवरोही क्रम में संदर्भित करता है, और उनकी उपयोगिता पर विचार करता है:

1. समान और संबंधित मुद्दों से निपटने वाले भारतीय लेखांकन मानक में आवश्यकताएं; तथा

2. ढांचे में संपत्ति, देनदारियों, आय और व्यय के लिए परिभाषाएं, मान्यता मानदंड और माप अवधारणाएं।

निर्णय लेने के लिए प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड की सबसे हाल की घोषणाओं पर विचार करती है और उनकी अनुपस्थिति में अन्य मानक स्थापित निकायों जो कि सामान्य विचारात्मक तंत्र का उपयोग करते हुए लेखांकन मानकों और अन्य लेखांकन साहित्य और स्वीकृत उद्योग कार्य का विकास करती है जिससे कि उपरोक्त अनुच्छेद में स्रोतों के साथ विवाद की स्थिति न पैदा हो।

कंपनी खनन क्षेत्र का संचालन करती है (एक ऐसा क्षेत्र जहां अन्वेषण, मूल्यांकन, उत्पादन चरण का विकास विभिन्न स्थलाकृति और भू-क्षेत्र के इलाकों पर आधारित है, जो दशकों से चल रहे पट्टे में फैला हुआ है और जहां लगातार परिवर्तन की संभावनाएं होती है) जहां लेखांकन नीतियों की वृद्धि हुई है। पिछले कई दशकों से अनुसंधान समितियों द्वारा विशिष्ट उद्योग प्रथाओं की नियमावली के रूप में उसे अनुमोदित किया गया है। कंपनी

लेखांकन साहित्य के विकास के साथ –साथ लेखांकन नीतियों के भी विकास का प्रयास करती है और इसमें भरतीय लेखांकन मानक 8 के विकास का विशेष रुप से ध्यान दिया जाता है।

वित्तीय विवरण को लेखांकन के प्रोद्भवन का उपयोग करते हुए ऑन-गोइनिंग–कंसर्न आधार पर तैयार किया जाता है।

2.23.1.2 सामग्री

भारतीय लेखांकन मानक सामग्रीयुक्त वस्तुओं का उपयोग करती है। प्रबंधन विचार करते हुए यह निर्णय लेते है कि एकीकृत वस्तुओं या वस्तुओं के समूह को वित्तीय विवरणों में सामग्री के रूप में लिया जा सकता है। सामग्री का आंकलन, वस्तुओं के आकार और प्रकृति के अनुरूप किया जाता है। निर्णायक कारक यह है कि उपयोगकर्ता वित्तीय निर्णयों के आधार पर निर्णय लेते हैं जो कि भूलचूक से आर्थिक निर्णय को प्रभावित भी करते हैं। प्रबंधन भारतीय लेखांकन मानक के मदों का निर्धारण करते हुए आवश्यकताओं को पूर्ण करती है एवं किसी विशेष परिस्थिति में या तो प्रकृति या किसी मद की मात्रा या कुल वस्तुओं का निर्धारण भी करती है। इसके अलावा कंपनी अपने जरूरत के अनुरूप मौजूदा सभी वस्तुओं को अलग से रखती है ताकि नियमानुरूप जब उन्हें इनकी आवश्यकता हो तब इनका उपयोग किया जा सके।

दिनांक 01.04.2019 से प्रभावी पूर्व अवधि से संबंधित मौजूदा वर्ष में पाई गई त्रुटियां/चूक को वर्तमान वर्ष के दौरान सारहीन और समायोजित माना जा सकता है, यदि कुल मिलाकर ऐसी सभी त्रुटियां और चूक कंपनी के पिछले ऑडिट वित्तीय विवरण के अनुसार कुल संपत्ति का %1 से अधिक न हों।

2.23.1.3 परिचालन पट्टा

कंपनी ने पट्टा समझौते में प्रवेश किया है। कंपनी शर्तों और निबंधन समझौते के मूल्यांकन के आधार पर यह निर्धारित करती है कि पट्टे आर्थिक जीवन के वाणिज्यिक संपत्ति का मुख्य भाग और आस्ति के उचित मूल्य के रूप में गठित नहीं किए जा सकते हैं, ताकि जो बरकरार है वे सभी महत्वपूर्ण जोखिमों, स्वामित्व और परिचालन पट्टे को अनुबंध खाते में रखे जा सके।

2.23.2 आकलन और धारणाएँ-

रिपोर्टिंग तिथि में भावी भविष्य और अन्य महत्वपूर्ण स्त्रोतों के बारे में मुख्य धारणाएँ दी गई है, जो कि अगले वित्तीय वर्ष में परिसंपत्तियों और देनदारियों की मात्रा के रूप में समायोजित किए जायेंगे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है। कंपनी ने समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय उपलब्ध मापदंडों पर अपनी मान्यताओं और अनुमानों को आधारित किया। हालांकि, भविष्य के विकास के बारे में मौजूदा परिस्थितियां और धारणाएं बाजार में परिवर्तन या उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों के कारण बदल सकती हैं जो कंपनी के नियंत्रण से परे हैं। ऐसे परिवर्तन घटित होने पर धारणाओं में परिलक्षित होते हैं।

2.23.2.1 गैर वित्तीय परिसम्पत्तियों की हानि –

यदि किसी परिसंपत्ति या नकदी उत्पन्न करने वाली इकाई का वहन मूल्य उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक है, जो निपटान की लागत और उपयोग में उसके मूल्य को घटाकर उसके उचित मूल्य से अधिक है, तो हानि का संकेत होता है। कंपनी हानि के परीक्षण के उद्देश्य से अलग-अलग खानों को अलग नकदी उत्पन्न करने वाली इकाई मानती है। उपयोग गणना में मूल्य डीसीएफ मॉडल पर आधारित है। नकदी प्रवाह अगले पांच वर्षों के लिए बजट से प्राप्त होता है और इसमें पुनर्गठन गतिविधियां शामिल नहीं होती हैं जिनके लिए कंपनी अभी तक प्रतिबद्ध नहीं है या जिसमें सीजीयू की आस्तियों के प्रदर्शनों का भविष्य में उपयोग किया जा सके। वसूली योग्य राशि डीसीएफ मॉडल के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दर के साथ-साथ अपेक्षित भविष्य के नकदी-प्रवाह और बाह्य गणक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली विकास दर के प्रति संवेदनशील है। ये अनुमान अन्य खनन अवसंरचनाओं के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक हैं। विभिन्न सीजीयू के लिए वसूली योग्य राशि निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख धारणाओं का खुलासा किया गया है और जिसे संबंधित टिप्पणियों में आगे बताया गया है।

2.23.2.2 कर

आस्थगित कर संपत्तियों को अप्रयुक्त कर हानियों के लिए इस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभव है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध नुकसान का उपयोग किया जा सकता है। संभावित समय और भविष्य की कर नियोजन रणनीतियों के साथ-साथ भविष्य के कर योग्य मुनाफे के स्तर के आधार पर, पहचानी जा सकने वाली स्थगित कर संपत्तियों की मात्रा निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है।

2.23.2.3 परिभाषित लाभ योजनाएं

परिभाषित लाभ उपदान योजना की लागत और अन्य रोजगार पश्चात चिकित्सा लाभ और उपदान दायित्व का वर्तमान मूल्य बीमांकिक मूल्यांकन का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। एक बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ बनाना शामिल है जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती हैं। इनमें छूट दर का निर्धारण, भविष्य में वेतन वृद्धि और मृत्यु दर शामिल है।

मूल्यांकन में शामिल जटिलताओं और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति के कारण, एक परिभाषित लाभ दायित्व इन मान्यताओं में परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर सभी मान्यताओं की समीक्षा की जाती है। सबसे अधिक परिवर्तन के अधीन छूट दर है। भारत में संचालित योजनाओं के लिए उचित छूट दर निर्धारित करने में, प्रबंधन रोजगार के बाद के लाभ दायित्व की मुद्राओं के अनुरूप मुद्राओं में सरकारी बॉन्ड की ब्याज दरों पर विचार करता है।

मृत्यु दर देश की सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मृत्यु दर तालिकाओं पर आधारित है। जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के प्रतिउत्तर में उन मृत्यु दर तालिकाओं में अंतराल पर ही परिवर्तन होता है। भविष्य में वेतन वृद्धि और ग्रेच्युटी वृद्धि अपेक्षित भविष्य की मुद्रास्फीति दर पर आधारित होती है।

2.23.2.4 वित्तीय साधनों का उचित मूल्य माप

जब तुलन पत्र में दर्ज वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्य को सक्रिय बाज़ारों में उद्धृत कीमतों के आधार पर मापा नहीं जा सकता, तो उनका उचित मूल्य डीसीएफ मॉडल के साथ आम तौर पर स्वीकृत मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके मापा जाता है। जहां संभव हो, इन मॉडलों के इनपुट बाज़ारों से लिए जाते हैं, लेकिन जहां यह संभव नहीं है, वहां उचित मूल्यों की स्थापना के लिए कुछ हद तक निर्णय की आवश्यकता होती है। निर्णय में नगदी की जोखिम, क्रेडिट जोखिम, अस्थिरता और अन्य प्रासंगिक इनपुट जैसे विचाराधीन निवेश शामिल होते हैं। इन कारकों के बारे में धारणाओं और अनुमानों में परिवर्तन वित्तीय साधनों के रिपोर्ट किए गए उचित मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं।

2.23.2.5 विकास के तहत अमूर्त संपत्ति

कंपनी लेखांकन नीति के अनुसार किसी परियोजना के लिए विकासाधीन अमूर्त संपत्ति का पूंजीकरण करती है। आम तौर पर जब एक परियोजना रिपोर्ट तैयार और अनुमोदित की जाती है तथा तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता की पुष्टि की जाती है तब लागत का प्रारंभिक पूंजीकरण प्रबंधन के निर्णय पर आधारित होता है।

2.23.2.6 खदान बन्दी, साइट पुनर्स्थापना व डीकमिशनिंग दायित्वों के लिए प्रावधान

खदान बंदी, साइट पुनर्स्थापना व डीकमिशनिंग दायित्व के प्रावधान के उचित मूल्य के निर्धारण में छूट दर, साइट पुन: स्थापना और निर्वहन तथा इन लागतों में अनुमानित समय के आधार पर अनुमान और प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं। कंपनी परियोजना/खदान के जीवन को ध्यान में रखते हुए डीसीएफ पद्धति का उपयोग करके प्रावधान का अनुमान लगाती है।

- कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों में यथा-निर्दिष्ट अनुमानित लागत प्रति हेक्टर होगी।
- छूट की दर (पूर्व कर दर) जो समय के वर्तमान मूल्यों के मूल्यांकन और देयताओं के लिए मौजूदा बाजार द्वारा किए गए आकलन को दर्शाती है।

2.24 संक्षेपों का प्रयोग:

क.	सीजीयू	नकद उत्पादक इकाई	ड	ईसीएल	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
ख.	डीसीएफ	रियायती नकदी प्रवाह	ढ	बीसीसीएल	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
ग.	एफवीटीओसीआई	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	ण	सीसीएल	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
घ.	एफवीटीपीएल	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य	त	एसईसीएल	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
ड़.	जीएएपी	आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांत	थ	एमसीएल	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
छ.	भा.लेखा.मा.	भारतीय लेखांकन मानक	द.	एनसीएल	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
ज.	ओसीआई	अन्य व्यापक आय	ध.	डब्ल्यूसीएल	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
झ.	पी एंड एल	लाभ एवं हानि	न.	सीएमपीडी आईएल	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड
ञ.	पीपीई	सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण	प.	एनईसी	नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स
ट.	एसपीपीआई	केवल मूलधन और ब्याज का भुगतान	फ़	आईआईसीएम	इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ कोल मेनेजमेंट
ठ.	ईआईआर	प्रभावी ब्याज दर	ब.	सीआईएल	कोल इंडिया लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 3.1 : संपत्ति, सयंत्र एवं उपकरण

(₹ लाख में)

	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	अन्य भूमि	भूमि सुधार/ स्थल पुनर्स्थापन लागत	भवन (जल की आपूर्ति, सड़कों और पुलियों सहित)	संयंत्र एवं उपकरण	दूरसंचार	रेलवे साईडिंग	फ़र्निचर व फिक्सचर	कार्यालय उपकरण	वाहनों	अन्य खनन अवसंरचना	सर्वेक्षण किए गए संपत्तियां	रेल कॉरिडोर	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:															
1 अप्रैल 2023 तक								23.13							23.13
योग															-
विलोपन/समायोजन															-
31 मार्च 2024 तक	-	-	-	-	-	-	-	23.13	-	-	-	-	-	-	23.13
1 अप्रैल 2024 तक	-	-	-	-	-	-	-	23.13	-	-	-	-	-	-	23.13
योग															-
विलोपन/समायोजन															-
31 मार्च 2025 तक	-	-	-	-	-	-	-	23.13	-	-	-	-	-	-	23.13
संचित मूल्यह्रास और हानि															
1 अप्रैल 2023 तक								22.84							22.84
वर्ष के लिए शुल्क								0.22							0.22
विलोपन/समायोजन															-
31 मार्च 2024 तक	-	-	-	-	-	-	-	23.06	-	-	-	-	-	-	23.06
1 अप्रैल 2024 तक	-	-	-	-	-	-	-	23.06	-	-	-	-	-	-	23.06
वर्ष के लिए शुल्क															-
विलोपन/समायोजन															-
31 मार्च 2025 तक	-	-	-	-	-	-	-	23.06	-	-	-	-	-	-	23.06
संचित हानि															
1 अप्रैल 2023 तक															-
वर्ष के लिए शुल्क															-

विलोपन/समायोजन															-
31 मार्च 2024 तक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 अप्रैल 2024 तक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए शुल्क															-
विलोपन/समायोजन															-
31 मार्च 2025 तक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
शुद्ध वहन राशि															
31 मार्च 2025 तक	-	-	-	-	-	-	-	0.07	-	-	-	-	-	-	0.07
31 मार्च 2024 तक	-	-	-	-	-	-	-	0.07	-	-	-	-	-	-	0.07

1. नोट 2.7 में उल्लिखित उपयोगी कार्यकाल के आधार पर मूल्यह्रास दिया गया है। हालाँकि एक अलग श्रेणी की संपत्ति में निहित कुछ परिसंपत्तियों के मूल्य को अलग करने के लिए तकनीकी मूल्यांकन पूरा होने तक इन परिसंपत्तियों पर गैर-अलग श्रेणी की परिसंपत्तियों के उपयोगी कार्यकाल के आधार पर मूल्यह्रास दिया गया है।

2. अन्य में सौर परियोजना शामिल है।

3. समिति की दिनांक 17.04.2017 को की गई सिफारिश के अनुसार सीआईएल द्वारा परिचालित घटक लेखांकन का पालन किया जा रहा है।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी 3.2 : पूंजीगत कार्य प्रगति पर है

(₹ लाख में)

	वन (पानी की आपूर्ति, सड़कों और पुलियों सहित)	संयंत्र और उपकरण	रेलवे साइडिंग	अन्य खनन अवसंरचना/विकास	निर्माणाधीन रेल कॉरिडोर	सौर परियोजना	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:								
1 अप्रैल 2023 तक								-
परिवर्धन								-
कैपिटलाइज़ेशन/विलोपन								-
31 मार्च 2024 तक	-	-	-	-	-	-	-	-
1 अप्रैल 2024 तक	-	-	-	-	-	-	-	-
परिवर्धन								-
कैपिटलाइज़ेशन/विलोपन								-
31 मार्च 2025 तक	-	-	-	-	-	-	-	-
संचित हानि								
1 अप्रैल 2023 तक								-
वर्ष के लिए शुल्क								-
विलोपन/समायोजन								-
31 मार्च 2024 तक	-	-	-	-	-	-	-	-
1 अप्रैल 2024 तक	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए शुल्क								-
विलोपन/समायोजन								-
31 मार्च 2025 तक	-	-	-	-	-	-	-	-
शुद्ध निवल राशि								
31 मार्च 2025 तक	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2024 तक	-	-	-	-	-	-	-	-

1. पूंजीगत कार्य-प्रगति की आयु निर्धारण अनुसूची (सकल):					
	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि 31.03.2025 तक				
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
परियोजनाएं प्रगति पर हैं:					
भवन (जल की आपूर्ति, सड़कों और पुलियों सहित)					-
संयंत्र और उपकरण					-
रेलवे साइडिंग					-
अन्य खनन अवसंरचना/विकास					-
निर्माणाधीन रेल कॉरिडोर					-
सौर परियोजना					-
अन्य					-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं:					
(शीर्ष का नाम (अर्थात भवन/संयंत्र और उपकरण) का उल्लेख करें।					-
संयंत्र और उपकरण					-
रेलवे साइडिंग					-
अन्य खनन अवसंरचना/विकास					-
कुल	-	-	-	-	-
	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि 31.03.2024 तक				
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
परियोजनाएं प्रगति पर हैं:					
भवन (जल की आपूर्ति, सड़कों और पुलियों सहित)					-
संयंत्र और उपकरण					-
रेलवे साइडिंग					-
अन्य खनन अवसंरचना/विकास					-
निर्माणाधीन रेल कॉरिडोर					-
सौर परियोजना					-
अन्य					-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं:					
(शीर्ष का नाम (अर्थात भवन/संयंत्र और उपकरण) का उल्लेख करें।					-
संयंत्र और उपकरण					-
रेलवे साइडिंग					-
अन्य खनन अवसंरचना/विकास					-
कुल	-	-	-	-	-
किसी भी चालू परियोजना के लिए वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि को, परियोजना की आयु बढ़ाने के उद्देश्य से, परियोजना के आरंभ के वर्ष में किया गया व्यय माना जाएगा।					

पूंजी-कार्य प्रगति में (सीडब्ल्यूआईपी)(सकल)

2. भौतिक पूंजीगत कार्य-प्रगति हेतु अतिदेय (सकल):

	में पूरा किया जाना है			
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
परियोजनाएं प्रगति पर हैं:				
भवन (जल की आपूर्ति, सड़कों और पुलियों सहित)				
संयंत्र और उपकरण				
रेलवे साइडिंग				
अन्य खनन अवसंरचना/विकास				
निर्माणाधीन रेल कॉरिडोर				
अन्य				
	-	-	-	-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं:				
शीर्ष का नाम बताएं अर्थात भवन/संयंत्र एवं उपकरण				
	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-
परियोजनाएं प्रगति पर हैं:				
भवन (जल की आपूर्ति, सड़कों और पुलियों सहित)				
परियोजना का नाम				
परियोजना का नाम				
परियोजना का नाम				
संयंत्र और उपकरण				
परियोजना का नाम				
परियोजना का नाम				
रेलवे साइडिंग				
परियोजना का नाम				
अन्य खनन अवसंरचना/विकास				
परियोजना का नाम				
परियोजना का नाम				
रेल कॉरिडोर निर्माणाधीन				
परियोजना का नाम				
परियोजनाएं अस्थायी रूप से स्थगित				
परियोजना का नाम				
परियोजना का नाम				
कुल	-	-	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

<u>टिप्पणी 3.3: अन्वेषण और मूल्यांकन संपत्ति</u>

	(₹ लाख में) अन्वेषण और मूल्यांकन लागत
सकल वहन राशि:	
1 अप्रैल 2023 तक	
परिवर्धन	
पीपीई में स्थानांतरण/प्रगतिशील पूंजीगत कार्य/विलोपन	
31 मार्च 2024 तक	-
1 अप्रैल 2024 तक	-
परिवर्धन	
पीपीई में स्थानांतरण/प्रगतिशील पूंजीगत कार्य/विलोपन	
31 मार्च 2025 तक	-
संचित हानि	
1 अप्रैल 2023 तक	
वर्ष के लिए शुल्क	
विलोपन/ समायोजन	
31 मार्च 2024 तक	-
1 अप्रैल 2024 तक	-
वर्ष के लिए शुल्क	
विलोपन/ समायोजन	
31 मार्च 2025 तक	-
निवल वहन राशि	
31 मार्च 2025 तक	-
31 मार्च 2024 तक	-

अन्वेषण और मूल्यांकन

1. आयु निर्धारण अनुसूची अन्वेषण और मूल्यांकन (सकल)

	31.03.2025 अन्वेषण और मूल्यांकन में राशि				
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगति पर परियोजनाएँ:					
अन्वेषण और मूल्यांकन					-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ:					
अन्वेषण और मूल्यांकन					-
कुल	-	-	-	-	-
31.03.2024 अन्वेषण और मूल्यांकन में राशि					
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगति पर परियोजनाएँ:					
अन्वेषण और मूल्यांकन					-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ:					
अन्वेषण और मूल्यांकन					-
कुल	-	-	-	-	-
2. अतिदेय सामग्री अन्वेषण और मूल्यांकन					
		में पूरा किया जाना है			
		एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
प्रगति पर परियोजनाएं					
कुल		-	-	-	-

किसी भी चालू परियोजना के लिए वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि को, परियोजना की आयु बढ़ाने के उद्देश्य से, परियोजना के प्रारम्भ के वर्ष में किया गया व्यय माना जाएगा

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी 3.4: अमूर्त संपत्ति

(₹ लाख में)

	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	अमूर्त खोजपूर्ण संपत्ति	रेल कोरीडोर	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:					
1 अप्रैल 2023 तक					-
परिवर्धन					-
समायोजन/ विलोपन					-
31 मार्च 2024 तक	-	-	-	-	-
1 अप्रैल 2024 तक	-	-	-	-	-
परिवर्धन					-
समायोजन/ विलोपन					-
31 मार्च 2025 तक	-	-	-	-	-
संचित परिशोधन					
1 अप्रैल 2023 तक					-
वर्ष के लिए शुल्क					-
विलोपन/ समायोजन	-	-	-	-	-
31 मार्च 2024 तक	-	-	-	-	-
1 अप्रैल 2024 तक	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए शुल्क					-
विलोपन/ समायोजन					-
31 मार्च 2025 तक	-	-	-	-	-
संचित हानि					
1 अप्रैल 2023 तक					-
वर्ष के लिए शुल्क					-
विलोपन/ समायोजन					-
31 मार्च 2024 तक	-	-	-	-	-
1 अप्रैल 2024 तक	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए शुल्क					-
विलोपन/ समायोजन					-
31 मार्च 2025 तक	-	-	-	-	-
निवल वहन राशि					
31 मार्च 2025 तक	-	-	-	-	-
31 मार्च 2024 तक	-	-	-	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

<u>टिप्पणी 3.5: विकास के तहत अमूर्त संपत्ति</u>

(₹ लाख में)

	विकास के तहत ईआरपी	विकास के तहत रेल कॉरीडोर	कुल
वहन राशि :			
1 अप्रैल 2023 तक			-
परिवर्धन			-
पूंजीकरण/ विलोपन			-
31 मार्च 2024 तक	-	-	-
1 अप्रैल 2024 तक	-	-	-
परिवर्धन			-
पूंजीकरण/ विलोपन			-
31 मार्च 2025 तक	-	-	-
संचित परिशोधन और हानि			
1 अप्रैल 2023 तक	-	-	-
वर्ष के लिए शुल्क			-
विलोपन/ समायोजन			-
31 मार्च 2024 तक	-	-	-
1 अप्रैल 2024 तक	-	-	-
वर्ष के लिए शुल्क			-
विलोपन/ समायोजन			-
31 मार्च 2025 तक	-	-	-
निवल वहन राशि			
31 मार्च 2025 तक	-	-	-
31 मार्च 2024 तक	-	-	-

विकास के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियाँ

1. आयु निर्धारण अनुसूची विकास के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियाँ

	31.03.2025 तक विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों की राशि				
	एक वर्ष से कम	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
प्रगति पर परियोजनाएँ:					
ईआरपी विकासाधीन					-
रेल कॉरिडोर विकासाधीन					-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ:					
परियोजना का नाम					
कुल	-		-	-	-
	31.03.2024 तक विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों की राशि				
	एक वर्ष से कम	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
प्रगति पर परियोजनाएँ:					
ईआरपी विकासाधीन					-
रेल कॉरिडोर विकासाधीन					-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ:					
परियोजना का नाम					
कुल	-	-	-	-	-
2. विकास के अंतर्गत अतिदेय भौतिक अमूर्त संपत्तियां					
		.... में पूरा किया जाना है			
		एक वर्ष से कम	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**
विकासाधीन ईआरपी					
कुल		-	-	-	-

किसी भी चालू परियोजना के लिए वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि को, परियोजना की आयु बढ़ाने के उद्देश्य से, परियोजना के प्रारम्भ के वर्ष में किया गया व्यय माना जाएगा।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

(₹ लाख में)

नोट - 4.1 : निवेश	-	-	होल्डिंग का %	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
गैर-चालु	-	-			
सहकारी शेयरों में निवेश (अउद्धृत)				-	-
सुरक्षित बांड में निवेश (उद्धृत)				-	-
कुल				-	-

वर्तमान	-	-	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
म्यूचुअल फंड (अनकोटेड)	**इकाई**	**एनएवी (₹)**		
यूटीआई म्यूचुअल फंड	___ (पिछला वर्ष .____)	___ (पिछला वर्ष .____)	-	
एलआईसी म्यूचुअल फंड	___ (पिछला वर्ष .____)	___ (पिछला वर्ष .____)	-	
			-	-
अन्य				
अन्य (सुरक्षित बांड में निवेश- उद्धृत)			-	-
कुल			-	-

अउद्धृत निवेश की कुल राशि:	-	-	-	-
उद्धृत निवेशों की कुल राशि:	-	-	-	-
उद्धृत निवेशों का बाजार मूल्य:	-	-	-	-
निवेशों के मूल्य में हानि की कुल राशि:	-	-	-	-

4.1.4 सुरक्षित बॉन्ड में निवेश (उद्धृत)

7.55% सुरक्षित गैर परिवर्तनीय IRFC कर मुक्त 2021 सीरीज 79 बॉन्ड

8% सुरक्षित गैर परिवर्तनीय IRFC बॉन्ड कर मुक्त

7.22% सुरक्षित गैर-परिवर्तनीय IRFC बॉन्ड कर मुक्त

7.22% सुरक्षित रिडीमेबल REC बॉन्ड कर मुक्त

नोट - 4.2: ऋण	-	-	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
गैर-वर्तमान	-	-		
संबंधित पक्षों को ऋण				
- सुरक्षित, अच्छा माना जाता है			-	
- असुरक्षित, अच्छा माना जाता है			-	
- ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है			-	
- ऋण खराब हुआ है			-	
			-	-
घटाव: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता			-	
			-	-

निगमित निकायों और कर्मचारियों को ऋण		
- सुरक्षित माना जाने वाला सामान	-	
- असुरक्षित माना जाने वाला सामान	-	
- जोखिम ऋण में उल्लेखनीय वृद्धि	-	
- खराब ऋण	-	
	-	-
घटाव: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता4.2.1	-	-
	-	-
ब्याज रहित अग्रिम पर आस्थगित परिसंपत्ति	-	-
कुल	-	-

चालु		
संबंधित पक्षों को ऋण		
- सुरक्षित माना जाने वाला सामान	-	-
- असुरक्षित माना जाने वाला सामान	-	-
- जोखिम ऋण में उल्लेखनीय वृद्धि	-	-
- खराब ऋण	-	-
	-	-
घटाव: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता4.2.1	-	-
	-	-
संबंधित पक्षों के अलावा अन्य को ऋण		
निगम और कर्मचारियों को ऋण		
- सुरक्षित माना जाने वाला सामान	-	
- असुरक्षित माना जाने वाला सामान	-	-
- जोखिम ऋण में उल्लेखनीय वृद्धि	-	-
- खराब ऋण	-	-
	-	-
घटाव: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	-	
कुल	-	-
	-	-
4.2.1 संदिग्ध ऋण शेष राशि (चालू और गैर-चालू) के लिए भत्ते में चलन का विवरण	-	-
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त	-	-
अवधि के दौरान उपयोग की गई	-	-
अवधि के अंत में शेष राशि	-	-

4.2.2 संबंधित पक्षों को ऋण के लिए - नोट 16 - (2)(viii) देखें

नोट - 4.3: व्यापार प्राप्य	**31.03.2025 तक**	**31.03.2024 तक**
- सुरक्षित माना जाने वाला सामान	-	
- असुरक्षित माना जाने वाला सामान	-	
- जोखिम ऋण में उल्लेखनीय वृद्धि	-	
- खराब ऋण	-	
	-	-
घटाव: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता4.3.1	-	
कुल	-	-

4.3.1 अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ते में परिवर्तन का विवरण (चालू एवं गैर-चालू)

वर्ष की शुरुआत में शेष राशि				-		
अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त				-		-
अवधि के दौरान उपयोग की गई				-		
अवधि के अंत में शेष राशि				-		-

4.3.2 निदेशकों से बकाया के लिए - नोट 16- (2)(viii) देखें

4.3.4 उपरोक्त व्यापार प्राप्य में ₹____ लाख की अनुमानित पीआई और मुआवजा राशि शामिल है।

4.3.5 व्यापार प्राप्य में एनटीपीसी से फरवरी 2018 से अगस्त 2020 तक की अवधि के लिए 0-3 किलोमीटर की लीड दूरी के लिए कोयले की आपूर्ति के लिए सतही परिवहन शुल्क (एसटीसी) के कारण वसूली योग्य राशि शामिल है, जो एएमआरसीडी (सार्वजनिक उद्यम विभाग के तहत तंत्र) में निर्णय के लिए लंबित है, जहां प्रबंधन को अनुकूल परिणाम की उम्मीद है।

4.3.6 कंपनी ने व्यापार प्राप्तियों के क्रेडिट घाटे के लिए भत्ता निर्धारित करने में प्रावधान मैट्रिक्स के आधार पर अपेक्षित क्रेडिट हानि भत्ते की गणना करके व्यावहारिक सुविधा का उपयोग किया है। प्रावधान मैट्रिक्स ऐतिहासिक क्रेडिट हानि अनुभव और भविष्य की जानकारी को ध्यान में रखता है। अपेक्षित क्रेडिट हानि भत्ता देय प्राप्तियों की आयु और प्रावधान मैट्रिक्स में उपयोग की जाने वाली दरों पर आधारित है।

7. व्यापार प्राप्य आयु निर्धारण अनुसूची						
31.03.2025 तक						
	लेन-देन की तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					
विवरण	**6 महीने से कम**	**6 महीने -1 वर्ष**	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - समुचित						-
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है						-
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - क्रेडिट खराब						-
(iii) विवादित व्यापार प्राप्य - समुचित						-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है						-
(v) विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट खराब						-
(vi) कोयला गुणवत्ता भिन्नता और नमी प्रावधान						
कुल	-	-	-	-	-	-
बिना बिल वाली बकाया राशि						-
खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता						-
अपेक्षित क्रेडिट घाटा (हानि भत्ता प्रावधान) - %	0%	0%	0%	0%	0%	0%
31.03.2024 तक						
व्यापार प्राप्य वृद्धि निर्धारण अनुसूची	**लेन-देन की तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया**					
विवरण	**6 महीने से कम**	**6 महीने -1 वर्ष**	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है						-
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है						-
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - क्रेडिट खराब						-
(iii) विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है						-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है						-
(v) विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट खराब						-
(vi) कोयला गुणवत्ता भिन्नता और नमी प्रावधान						
कुल	-	-	-	-	-	-

बिना बिल वाली बकाया राशि						-
खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता						-
अपेक्षित क्रेडिट घाटा (हानि भत्ता प्रावधान) - %	0%	0%	0%	0%	0%	0%

नोट - 4.4 : नकद और नकद समतुल्य				**31.03.2025 तक**		**31.03.2024 तक**
बैंकों के पास शेष राशि						
-जमा खातों में				-		-
-चालू खातों में				-		-
भारत के बाहर बैंक शेष				-		-
प्राथमिक डीलरों के साथ आईसीडी[4.4.1]				-		-
चेक, ड्राफ्ट और टिकट हाथ में				-		-
हस्तगत नकदी				-		
भारत के बाहर में नकदी				-		-
अन्य[4.4.2]				-		-
कुल				-		-

4.4.1 प्राथमिक डीलरों के साथ आईसीडी प्राथमिक डीलरों द्वारा स्वीकार किए जाने वाले अंतर-कॉर्पोरेट जमा हैं, जिनकी मूल परिपक्वता निवेश की तारीख से 7 से 15 दिनों के बीच होती है।

4.4.2 अन्य में ई-प्रोक्योरमेंट खाता, जीईएम खाता, अग्रदाय शेष शामिल हैं।

4.4.3 नकदी और नकदी समतुल्य में हाथ में नकद, बैंक, स्वीप खाते और बैंकों में रखी गई सावधि जमाएं शामिल हैं, जिनकी मूल परिपक्वता अवधि तीन महीने या उससे कम है।

नोट - 4.5 : अन्य बैंक शेष			**31.03.2025 तक**	**31.03.2024 तक**
	-	-		
बैंकों के पास शेष				
जमा खाते			4,037.79	2,222.32
जमा खाते (विशिष्ट प्रयोजनों के लिए [4.5.1])			-	-
कुल			**4,037.79**	**2,222.32**

4.5.1 4.5.1 विशिष्ट प्रयोजनों के लिए जमा राशि वे बैंक जमाराशियां हैं जो न्यायालय के आदेश के अनुसार ग्रहणाधिकार के तहत रखी गई हैं/चिह्नित हैं तथा अन्य विशिष्ट प्रयोजनों के लिए हैं।

4.5.2 अन्य बैंक शेष में जमाराशियां - विशिष्ट प्रयोजनों के लिए और बैंक जमाराशियां, जिनकी रिपोर्टिंग तिथि के बाद 12 महीनों के भीतर नकदी में वसूली होने की उम्मीद है,शामिल हैं। - नोट 16 के पैरा 4(डी) का संदर्भ लें।

नोट - 4.6 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ			**31.03.2025 तक**	**31.03.2024 तक**
	-	-		
गैर-चालु	-	-		
सुरक्षा जमा			-	
घटाव : संदिग्ध सुरक्षा जमा के लिए भत्ता4.6.1			-	-
			-	-
12 महीने से अधिक परिपक्वता वाली बैंक जमाराशियां			-	
खदान बंद करने की योजना के तहत बैंक में जमा राशि[4.6.2]			-	
			-	-

वित्त पट्टा प्राप्तियां4.6.4			-	-
अन्य जमा और प्राप्य4.6.5			-	
घटाव : संदिग्ध जमा और प्राप्य के लिए भत्ता4.6.1			-	
			-	-
कुल			-	-

चालु	-	-	**31.03.2025 तक**	**31.03.2024 तक**
सुरक्षा जमा			-	-
घटाव : संदिग्ध जमा और प्राप्य के लिए भत्ता4.6.1			-	-
			-	-
मुख्यालय, होल्डिंग कंपनी और सहायक कंपनियों के साथ चालू खाता शेष			0.00	-
घटाव: सहायक कंपनियों के साथ संदिग्ध शेष के लिए भत्ता			-	-
			0.00	-
-	-	-		
आईआईसीएम के पास शेष राशि			-	-
अर्जित ब्याज			123.83	70.28
वित्त पट्टा प्राप्तियां			-	-
अन्य जमा और प्राप्तियां			4,125.23	5,657.15
घटाव : संदिग्ध जमा और प्राप्य के लिए भत्ता4.6.1			-	-
			4,125.23	**5,657.15**
कुल			**4,249.07**	**5,727.43**

4.6.1 गैर-भुगतान योग्य एवं संदिग्ध जमा तथा प्राप्य (चालू एवं गैर-चालू) के लिए भत्ते में परिवर्तन का विवरण

वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	
अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त	-	-
अवधि के दौरान उपयोग की गई	-	-
अवधि के अंत में शेष राशि	-	-

	31.03.2025 तक	**31.03.2024 तक**
एस्क्रो खाते में प्रारंभिक शेष राशि	-	
जोड़ें: वर्ष के दौरान जमा की गई राशि		
जोड़ें: वर्ष के दौरान जमा किया गया ब्याज (टीडीएस घटाकर)		
घटाव: वर्ष के दौरान निकाली गई राशि		
समापन तिथि पर एस्क्रो खाते में शेष राशि	-	-

4.6.4 पट्टा	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

वित्त पट्टा

(i) पट्टा प्राप्य के संबंध में लाभ और हानि खाते में चिन्हित राशियाँ:

विवरण					**31.03.2025 तक**	**31.03.2024 तक**
लीज़ आय					-	-
परिवर्तनीय पट्टा भुगतान से संबंधित आय जो किसी सूचकांक या दर पर निर्भर नहीं होती					-	-

कुल					-	-
(ii)पहले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के लिए न्यूनतम वार्षिक आधार पर तथा शेष वर्षों के लिए बिना छूट वाले पट्टा भुगतान प्राप्त किए जाएंगे:						
विवरण					**31.03.2025 तक**	**31.03.2024 तक**
एक वर्ष से कम					-	-
एक से दो वर्ष के बीच					-	-
दो से तीन वर्ष के बीच					-	-
तीन से चार वर्ष के बीच					-	-
चार से पांच वर्ष के बीच					-	-
पांच वर्ष से अधिक					-	-
कुल					-	-

परिचालन पट्टा

(iii) पट्टा प्राप्तियों के संबंध में लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त राशियाँ:

विवरण					**31.03.2025 तक**	**31.03.2024 तक**
पट्टा आय					-	-
परिवर्तनीय पट्टा भुगतानों से संबंधित आय जो किसी सूचकांक या दर पर निर्भर नहीं करती है					-	-
कुल					-	-
(iv) पहले पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के लिए न्यूनतम वार्षिक आधार पर तथा शेष वर्षों के लिए बिना छूट वाले पट्टा भुगतान प्राप्त किए जाएंगे:						
वरण					**31.03.2025 तक**	**31.03.2024 तक**
एक वर्ष से कम					-	-
एक से दो वर्ष के बीच					-	-
दो से तीन वर्ष के बीच					-	-
तीन से चार वर्ष के बीच					-	-
चार से पांच वर्ष के बीच					-	-
पांच वर्ष से अधिक					-	-
कुल					-	-

(v) 31.03.2025 तक परिचालन पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों के वहन मूल्य में परिवर्तन:

विवरण		**वर्ष की शुरुआत में शुद्ध वहन मूल्य**	**वर्ष/ अवधि के दौरान वृद्धि**	**वर्ष/ अवधि के दौरान विलोपन**	**वर्ष के समापन पर शुद्ध वहन मूल्य**	**वर्ष के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन**
भूमि		-	-	-	-	-
भवन		-	-	-	-	-
संयंत्र और उपकरण		-	-	-	-	-
फर्नीचर और फिक्स्चर		-	-	-	-	-
वाहन		-	-	-	-	-
कार्यालय उपकरण		-	-	-	-	-
दूरसंचार		-	-	-	-	-
रेलवे साइडिंग		-	-	-	-	-
रेल कॉरिडोर		-	-	-	-	-
अमूर्त संपत्ति		-	-	-	-	-

(vi) 31.03.2024 तक परिचालन पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों के वहन मूल्य में परिवर्तन:

विवरण		वर्ष की शुरुआत में शुद्ध वहन मूल्य	वर्ष / अवधि के दौरान वृद्धि	वर्ष / अवधि के दौरान विलोपन	वर्ष के समापन पर शुद्ध वहन मूल्य	वर्ष के लिए मूल्यह्रास/परिशोधन
भूमि		-	-	-	-	-
भवन		-	-	-	-	-
संयंत्र और उपकरण		-	-	-	-	-
फर्नीचर और फिक्स्चर		-	-	-	-	-
वाहन		-	-	-	-	-
कार्यालय उपकरण		-	-	-	-	-
दूरसंचार		-	-	-	-	-
रेलवे साइडिंग		-	-	-	-	-
रेल कॉरिडोर		-	-	-	-	-
अमूर्त संपत्ति		-	-	-	-	-

4.6.6 निदेशकों से बकाया के लिए - नोट 16 - (2)(viii) देखें

नोट - 5.1 : इन्वेंटरी	**31.03.2025 तक**	**31.03.2024 तक**
कोयला (तैयार माल)	-	
विकास परियोजनाओं में कोयला	-	-
घटाव: मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	-	-
	-	-
भंडार, पुर्जे और अन्य सूची (शुद्ध) [5.1.3]	-	-
घटाव: धीमी गति से चलने वाली, अचल और अप्रचलित इन्वेंट्री के लिए प्रावधान		
	-	-
कुल	-	-

5.1.1 मूल्य में कमी के लिए प्रावधान में परिवर्तन का ब्यौरा

वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त	-	-
वर्ष के दौरान अमान्य	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	-	-

5.1.2स्टोर और स्पेयर्स की सूची में वे आइटम शामिल हैं जो धीमी गति से चलने वाले, अचल और अप्रचलित श्रेणियों में आते हैं। कंपनी की नीति के अनुसार इन वस्तुओं के लिए प्रावधानों को मान्यता दी जाती है। धीमी गति से चलने वाले, अचल और अप्रचलित स्टोर, स्पेयर्स और अन्य इन्वेंट्री के लिए प्रावधानों में संचालन का विवरण:

वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त		
वर्ष के दौरान अमान्य		
वर्ष के अंत में शेष राशि	-	-

5.1.3 उपरोक्त अन्य सूची में कार्यशाला कार्य, स्टेशनरी, दवा, प्रेस कार्य आदि का स्टॉक शामिल है।

नोट - 6.1: अन्य गैर-चालु परिसंपत्तियां	**31.03.2025 तक**	**31.03.2024 तक**
अग्रिम पूंजी	-	
घटाव : संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ता[6.1.1]	-	
	-	-
अग्रिम पूंजी के अलावा अन्य अग्रिम	-	
अन्य जमा और अग्रिम	-	
घटाव : संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ता[6.1.1]	-	
	-	-
प्रगतिशील खदान बंद होने पर होने वाला व्यय[6.1.2]	-	
संबंधित पक्षों को अग्रिम राशि	-	-
कुल	-	-

6.1.1 गैर भुगतान योग्य और संदिग्ध जमा तथा प्राप्य (गैर-चालू) के लिए भत्ते में संचालन का विवरण

वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	
अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त	-	-
अवधि के दौरान उपयोग की गई	-	-
अवधि के अंत में शेष राशि	-	-

6.1.2 उपरोक्त विवरण, खदान बंद करने की योजना तैयार करने के लिए कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार मान्यता प्राप्त समवर्ती व्यय को दर्शाता है।

6.1.3 निदेशकों से बकाया के लिए - नोट 16 - (2)(viii) देखें

<u>नोट - 6.2: अन्य चालू परिसंपत्तियाँ</u>	**31.03.2025 तक**	**31.03.2024 तक**
अग्रिम पूंजी के अलावा अन्य अग्रिम		
वैधानिक बकाया का अग्रिम भुगतान	-	
घटाव : संदिग्ध वैधानिक बकाया के लिए भत्ता[6.2.1]	-	
	-	-
अन्य जमा और अग्रिम[6.2.2 and 6.2.3]	86.39	86.39
घटाव : संदिग्ध अन्य जमा और अग्रिम के लिए भत्ता[6.2.1]	-	
	86.39	**86.39**
प्रगतिशील खदान बंद होने पर होने वाला व्यय[6.1.2]	-	
इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्य[6.2.4]	-	
कुल	**86.39**	**86.39**

6.2.1 गैर-भुगतान योग्य एवं संदिग्ध अग्रिमों तथा जमाओं के लिए भत्ते में परिवर्तन का विवरण (वर्तमान)

वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	
अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त	-	-
अवधि के दौरान उपयोग की गई	-	
अवधि के अंत में शेष राशि	-	-

6.2.2 इसमें विरोध के तहत जमा राशि और निपटाए गए मामलों के लिए अभी तक प्राप्त नहीं होने वाली रिफंड शामिल है:- आयकर ₹ 86.39 लाख।

<u>नोट - 7.1: इक्विटी शेयर पूंजी</u>	**31.03.2025 तक**	**31.03.2024 तक**
जारी, सब्सक्राइब और पेड-अप शेयर पूंजी		
9,51,00,000 इक्विटी शेयर ₹10/- प्रत्येक पूर्णतः भुगतान किए गए	9,510.00	9,510.00
कुल	**9,510.00**	**9,510.00**

7.1.1 कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित शेयर

<u>नोट - 7.2 : अन्य इक्विटी</u>

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
पूंजी मोचन रिजर्व	-	-
पूंजी रिजर्व	-	-
सामान्य रिजर्व	-	-
प्रतिधारित आय	(1,825.50)	(1,960.03)
अन्य व्यापक आय जिसे लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा	-	-
कुल	**(1,825.50)**	**(1,960.03)**

(a) पूंजी मोचन रिजर्व

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	
अवधि के दौरान वृद्धि	-	-
अवधि के दौरान समायोजन		-
अवधि के अंत में शेष राशि	-	-

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, पूंजी प्रतिदान रिजर्व तब बनाया जाता है जब कंपनी अपने शेयर फ्री रिजर्व या सिक्योरिटीज प्रीमियम से खरीदती है, इस तरह खरीदे गए शेयरों के नाममात्र मूल्य के बराबर राशि पूंजी मोचन रिजर्व में स्थानांतरित कर दी जाती है। रिजर्व का उपयोग कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 69 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

(ii) पूंजी मोचन रिजर्व का विवरण

विवरण	रुपये(₹ लाख में)	वर्ष
इक्विटी शेयर की पुनर्खरीद		
कुल	**0**	

(b) पूंजी रिजर्व

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
अवधि के दौरान वृद्धि	-	-
बोनस शेयर जारी करना	-	-
अवधि के दौरान समायोजन	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	-	-

(c) सामान्य रिजर्व

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	
अवधि के दौरान वृद्धि	-	-
बोनस शेयर जारी करना		-
अवधि के दौरान समायोजन	-	
वर्ष के अंत में शेष राशि	**-**	-

उपरोक्त पूंजी रिजर्व में सहायक कंपनियों में निवेश और सहायक कंपनियों की शेयर पूंजी के बीच का अंतर शामिल है, जिसे वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल), महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल), साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) और सीएमपीडीआईएल द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बोनस शेयर जारी करने के लिए समेकन पर मान्यता दी गई है। सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल) के मामले में, एक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में एसएंडटी, पीआरई, ईएमएससी, सीसीडीए आदि के तहत प्राप्त अनुदान / निधि और परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने को कैपिटल रिजर्व माना जाता है और उस पर मूल्यह्रास कैपिटल रिजर्व खाते में डेबिट किया जाता है। अनुदान के माध्यम से बनाई गई संपत्ति का स्वामित्व उस प्राधिकारी के पास होता है, जिससे अनुदान प्राप्त होता है। 31.03.2023 और 31.03.2022 तक अनुदान का संतुलन क्रमशः ₹20.13 लाख और ₹18.90 लाख है।

(d) (i)प्रतिधारित आय

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	(1,960.03)	(2,026.05)
अवधि के लिए लाभ	134.53	66.02
अंतरिम लाभांश	-	
अंतिम लाभांश	-	
वर्ष के दौरान समायोजन (मुख्यालय में स्थानांतरण)	-	-
सामान्य रिज़र्व में स्थानांतरण	-	
अवधि के अंत में शेष राशि	**(1,825.50)**	**(1,960.03)**

(d) (ii) अन्य व्यापक आय मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा (i)

वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
अवधि के दौरान अन्य व्यापक आय	-	-
संयुक्त उद्यमों की अन्य व्यापक आय/(व्यय) का हिस्सा	-	-
अवधि के दौरान समायोजन	-	-
अवधि के अंत में शेष राशि	-	-
कुल (d(i) + (ii))	**(1,825.50)**	**(1,960.03)**

(i) परिभाषित लाभ योजनाओं पर शुद्ध बीमांकिक लाभ/(हानि) (कर के बाद शुद्ध)शामिल है।

(ii) प्रतिधारित आय कंपनी का आज तक अर्जित संचित लाभ और हानि है, जो विनियोजनों को घटाकर प्राप्त की जाती है।

(e) अन्य व्यापक आय की मदें

(अन्य व्यापक आय मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा)

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
बाह्य परिचालन के वित्तीय विवरणों के अंतरण पर विनिमय भिन्नता		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
अवधि के दौरान अन्य व्यापक आय	-	-
संयुक्त उद्यमों की अन्य व्यापक आय/(व्यय) का हिस्सा	-	-
अवधि के दौरान समायोजन	-	-
अवधि के अंत में शेष राशि	-	-

नोट - 8.1 : उधार	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
गैर-चालु		
अवधि ऋण		
बैंकों से [8.1.1 and 8.1.2]		
सुरक्षित	-	
असुरक्षित	-	-
दूसरों से[8.1.3]		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	-	-
	-	-
चालु		
बैंकों से		
सुरक्षित		
बैंक ओवरड्राफ्ट	-	-
बैंकों से अन्य ऋण	-	-
दूसरों से		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	-	-
दीर्घकालिक उधार की वर्तमान परिपक्वता[8.1.1]	-	-
	-	-

नोट - 8.2: पट्टा देयताएं

गैर-चालू	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	
अवधि के दौरान वृद्धि		
अवधि के दौरान अर्जित वित्तीय लागत		
पट्टा देनदारियों का भुगतान		
अवधि के समापन पर शेष राशि	-	-
चालू		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	
अवधि के दौरान वृद्धि	-	
अवधि के दौरान अर्जित वित्तीय लागत	-	
पट्टा देनदारियों का भुगतान	-	
अवधि के समापन पर शेष राशि	-	-

8.2.1 बिना छूट के आधार पर पट्टा देयता का परिपक्वता विश्लेषण (गैर-चालू और चालू):

विवरण	**31.03.2025 तक**	**31.03.2024 तक**
1 वर्ष तक		
1-5 वर्ष		
5 वर्ष से अधिक		

8.2.2 31.03.2025 तक उपयोग के राइट-ऑफ-यूज परिसंपत्तियों के वहन मूल्य में परिवर्तन

विवरण	**वर्ष की शुरुआत में शुद्ध वहन मूल्य**	**अवधि के दौरान वृद्धि**	**अवधि के दौरान विलोपन**	**अवधि के समापन पर शुद्ध वहन मूल्य**	**अवधि के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन**
भूमि					
भवन					
संयंत्र और उपकरण					
फर्नीचर और फिक्स्चर					
वाहन					
कार्यालय उपकरण					
दूरसंचार					
रेलवे साइडिंग					
रेल कॉरिडोर					
अमूर्त संपत्ति					

31.03.2024 तक उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के वहन मूल्य में परिवर्तन

विवरण	**वर्ष की शुरुआत में शुद्ध वहन मूल्य**	**अवधि के दौरान वृद्धि**	**अवधि के दौरान विलोपन**	**अवधि के समापन पर शुद्ध वहन मूल्य**	**अवधि के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन**
भूमि					
भवन					
संयंत्र और उपकरण					
फर्नीचर और फिक्स्चर					
वाहन					
कार्यालय उपकरण					
दूरसंचार					
रेलवे साइडिंग					
रेल कॉरिडोर					
अमूर्त संपत्ति					

पट्टे की शर्तों पर व्यक्तिगत आधार पर बातचीत की जाती है और इसमें विभिन्न नियम और शर्तें शामिल होती हैं। प्रत्येक पट्टे में आम तौर पर यह प्रतिबंध लगाया जाता है कि कंपनी के पास किसी अन्य पक्ष को संपत्ति को उप-पट्टे पर देने का कोई संविदात्मक अधिकार न हो, उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति का उपयोग केवल कंपनी द्वारा ही किया जा सकता है।

अल्पकालिक पट्टों और कम मूल्य वाली अंतर्निहित परिसंपत्तियों के पट्टों के अपवाद के साथ, प्रत्येक पट्टे को बैलेंस शीट पर उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति और पट्टे की देयता के रूप में दर्शाया जाता है। अल्पकालिक पट्टों और कम मूल्य के पट्टों के लिए किए गए भुगतानों को पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर व्यय किया जाता है।

कंपनी की महत्वपूर्ण पट्टा व्यवस्थाओं में दीर्घकालिक व्यवस्थाओं के तहत उपयोग के लिए समर्पित परिसंपत्तियां शामिल हैं, जैसा कि उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों की उपरोक्त तालिका में दिया गया है।

8.2.3 लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त राशियाँ

विवरण	**31.03.2025 को**	**31.03.2024 को**
उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों के लिए मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	-	-
पट्टे की देनदारियों पर ब्याज व्यय	-	-
अल्पकालिक पट्टों से संबंधित व्यय		
बिक्री और लीजबैक लेनदेन से होने वाला लाभ या हानि		

8.2.4 नकदी प्रवाह विवरण में पट्टों के लिए कुल नकदी प्रवाह का घोषणा की गई ।

विवरण	**31.03.2025 को**	**31.03.2024 को**
वित्तीय पट्टा देनदारियों का भुगतान	-	-
अल्पकालिक पट्टों से संबंधित नकद निकासी		
	-	-

<u>नोट - 8.3 : व्यापार देयताएं</u>	-	**31.03.2025 को**	**31.03.2024 को**
चालु			
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का कुल बकाया		-	-
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया		-	-
कुल		-	-

8.3.1 व्यापार देयताएं आयु निर्धारण अनुसूची

31.03.2025 तक

		लेन-देन की तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				
विवरण	**बिल न किए गए बकाया**	**एक वर्ष से कम**	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
i) एमएसएमई						-
ii) अन्य		-				-
iii) विवादित बकाया -एमएसएमई						-
iv) विवादित बकाया -अन्य						-
v) बिल न किया गया बकाया						-
कुल		-	-	-	-	-
31.03.2024 तक						

		लेन-देन की तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				
विवरण	**बिल न किए गए बकाया**	**एक वर्ष से कम**	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
i) एमएसएमई						-
ii) अन्य						-
iii) विवादित बकाया -एमएसएमई						-
iv) विवादित बकाया -अन्य						-
v) बिल न किया गया बकाया						-
कुल		-	-	-	-	-

<u>नोट - 8.4 : अन्य वित्तीय देयताएं</u>	**31.03.2025 को**	**31.03.2024 को**
गैर-चालु		
सुरक्षा जमा	-	-
अन्य	-	-
कुल	-	-
चालू		
एमसीएल के साथ चालू खाता	683.63	591.77
जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड	2.23	2.23
एसएमईएल	1.49	1.49
आईआईसीएम का चालू खाता	-	-
अवैतनिक लाभांश[8.4.1]	-	-
सुरक्षा जमाराशि	4.74	3.18
बयाना राशि	-	1.58
पूंजीगत व्यय के लिए देय	-	-
कर्मचारी लाभ के लिए देयता	26.41	23.16
अन्य[8.4.2 & 8.4.3]		-
कुल	**718.50**	**623.41**

<u>नोट - 9.1 : प्रावधान</u>	**31.03.2025 को**	**31.03.2024 को**
गैर-चालू		
कर्मचारी लाभ		
ग्रेच्युटी	-	-
छुट्टी नकदीकरण	-	-
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	-	-
अन्य कर्मचारी लाभ	-	-
	-	-
अन्य प्रावधान	-	-
साइट बहाली/खदान बंद करना[9.1.3]	-	-
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन[9.1.2]	-	-
अन्य	-	-
कुल	-	-
चालू		

कर्मचारी लाभ		
ग्रेच्युटी	-	-
छुट्टी नकदीकरण	-	-
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	-	-
एक्स-ग्रेसिया	-	-
प्रदर्शन से संबंधित वेतन	-	-
अन्य कर्मचारी लाभ[9.1.4]	-	-
	-	-
साइट बहाली/ खदान बंद करना	-	-
अन्य प्रावधान		
अन्य	-	-
कुल	-	-

9.1.1 प्रावधानों में परिवर्तन का विवरण (चालू और गैर-चालू)

भारतीय मानक लेखांकन-37 के अनुसार विभिन्न प्रावधानों की स्थिति और संचलन, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण और सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ से संबंधित प्रावधानों को छोड़कर, जो एक्चुरियल मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं।

		वर्ष की शुरुआत में राशि	अवधि के दौरान प्रभारित	अवधि के दौरान उपयोग किया गया"	अवधि के अंत में शेष राशि"	
अनुग्रह राशि		-	-	-	0.00	
प्रदर्शन से संबंधित वेतन		-		-	0.00	
अन्य कर्मचारी लाभ		-	-		0.00	
अन्य		-	-	-	0.00	

"9.1.2 स्ट्रिपिंग गतिविधि प्रावधान (अनुपात भिन्नता): पहले मान्यता प्राप्त स्ट्रिपिंग गतिविधि प्रावधान सीआईएल द्वारा अपनी स्थापना के बाद से लगातार अपनाई गई नीति पर आधारित है। स्ट्रिपिंग गतिविधि प्रावधान (शुद्ध) को खदान के औसत स्ट्रिपिंग अनुपात (मानक अनुपात) की तुलना में कोयले के लिए ओबी के वर्तमान अनुपात के आधार पर मान्यता दी गई या उलट दिया गया। इस लेखांकन पद्धति को आयकर अधिकारियों सहित कई आधिकारिक निकायों और मंचों द्वारा प्रमाणित और मान्य किया गया है।

जब भी अपेक्षित मात्रा से अधिक ओवरबर्डन की वास्तविक मात्रा के निष्कर्षण पर उलटने की स्थिति उत्पन्न होती है, तो स्ट्रिपिंग गतिविधि प्रावधान की वहन राशि को व्यवस्थित रूप से उलट दिया जाता है। ऐसा उलटाव खदानों के लिए विशिष्ट है जिस दर पर उक्त प्रावधान को मान्यता दी गई है।

खदान के मामले में, जहां स्ट्रिपिंग गतिविधि प्रावधान के परिणामस्वरूप स्ट्रिपिंग गतिविधि की शुरुआती औसत दर से गुणा किए गए अपेक्षित ओवरबर्डन की मात्रा से अधिक निकाले गए ओवरबर्डन की मात्रा हुई है, उसे शुद्ध स्ट्रिपिंग गतिविधि में संगत डेबिट के साथ लाभ और हानि के विवरण में स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन के रूप में मान्यता दी जाएगी। प्रावधान।

हालाँकि, वर्तमान में अपनाई जा रही स्ट्रिपिंग गतिविधि के संबंध में नीति को ध्यान में रखते हुए ऐसा कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है (नोट 2.20) और 31.03.2022 तक बनाई गई राशि ₹ 65913.81 करोड़ को व्यवस्थित तरीके से समायोजित किया जा रहा है जैसा कि ऊपर बताया गया है। तदनुसार, ₹ 1548.27 करोड़ (पी.वाई. ₹ 2438.43 करोड़) को लाभ और हानि के विवरण के अनुरूप प्रभाव के साथ शुद्ध स्ट्रिपिंग गतिविधि प्रावधान से समायोजित किया गया है (नोट 13.6 देखें)।

				31.03.2025 को		31.03.2024 को
(i) अग्रिम स्ट्रिपिंग परिसंपत्ति:						
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि				-		
वर्ष के दौरान चार्जड/रिवर्स्ड				-		-
वर्ष के अंत में शेष राशि						
(ii) अनुपात विचलन आरक्षित						
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि				-		
वर्ष के दौरान चार्जड/रिवर्स्ड				-		-

वर्ष के अंत में शेष राशि				-		
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन (i-ii)				-		-

"9.1.3 साइट पुनर्स्थापन/खदान बंद करने के लिए प्रावधान

भूमि सुधार और संरचनाओं के विघटन के लिए समूह का दायित्व भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार सतही और भूमिगत दोनों खदानों पर व्यय करना है। खदान बंद करने, साइट की बहाली और विघटन के लिए दायित्व का आकलन अपेक्षित कार्य करने के लिए भविष्य में नकद व्यय की राशि और समय की विस्तृत गणना और तकनीकी मूल्यांकन पर आधारित है। खदान बंद करने का व्यय स्वीकृत खदान बंद करने की योजना के अनुसार प्रदान किया जाता है। व्यय के अनुमानों को मुद्रास्फीति के लिए बढ़ाया जाता है, और फिर छूट दर (@8%) पर छूट दी जाती है जो धन के समय मूल्य और जोखिमों के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को दर्शाती है, ताकि प्रावधान की राशि दायित्व को निपटाने के लिए अपेक्षित व्यय के वर्तमान मूल्य को दर्शाए। प्रावधान का मूल्य समय के साथ उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है क्योंकि छूट का प्रभाव समाप्त हो जाता है; वित्तीय व्यय के रूप में चिन्हित किए जाने वाले व्यय का निर्माण होता है। खदान बंद करने की योजना तैयार करने के लिए उपरोक्त दिशानिर्देशों के संदर्भ में एक एस्क्रो खाता खोला गया है। (नोट - 9 देखें)

भूमि पुनर्ग्रहण/स्थल पुनरुद्धार/खदान बंद करने का समाधान :

	31.03.2025 तक	**31.03.2024 तक**
उद्घाटन तिथि पर साइट बहाली प्रावधान	0.00	0.00
साइट बहाली प्रावधान की वृद्धि	-	0
जोड़ें: अवधि के दौरान लगाए गए प्रावधान की वापसी	0.00	0.00
घटाएँ: अवधि के दौरान निकासी	-	
खदान बंद करने का प्रावधान	**0.00**	**0.00**

नोट - 10.1 : अन्य गैर चालू देयताएं	**31.03.2025 को**	**31.03.2024 को**
आस्थगित आय (सरकारी अनुदान)	-	
अन्य	-	
कुल	-	-

नोट - 10.2 : अन्य चालू देयताएं	**31.03.2025 को**	**31.03.2024 को**
वैधानिक बकाया	1.39	1.21
कोयला आयात के लिए अग्रिम राशि	-	
आस्थगित आय (सरकारी अनुदान)	-	
अन्य देयताएं[2]	-	-
कुल	**1.39**	**1.21**

नोट - 11.1 : कर परिसंपत्तियां/देयताएं

	31.03.2025 को	**31.03.2024 को**
आयकर संपत्तियाँ		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	160.92	-
अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त	(62.07)	160.92
अवधि के दौरान उलटफेर/वापसी	-	-
अवधि के समापन पर शेष राशि	98.85	160.92

आयकर देयताएँ		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	22.54	
अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त (14.1 और 15.1 देखें)	45.24	23.55
अवधि के दौरान उलटफेर/समायोजन	-	(1.01)
अवधि के समापन पर शेष राशि	67.78	22.54
अंत में शुद्ध आयकर परिसंपत्ति/(देयताएं)	**31.07**	**138.38**
इस प्रकार प्रकट किया गया:		
गैर चालू		
आयकर परिसंपत्तियां (निवल)	-	-
आयकर देयताएं (निवल)	-	-
चालू		
आयकर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	31.07	138.38
आयकर देयताएँ (शुद्ध)	-	-
	31.07	**138.38**

नोट - 11.2 : आस्थगित कर परिसंपत्तियां/देयताएं

			01.04.2024 तक शेष राशि	अवधि के दौरान लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त/(उलट)	अवधि के दौरान अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त	31.03.2025 तक शेष राशि
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ:						
संदिग्ध अग्रिम, दावों और ऋणों के लिए प्रावधान						-
कर्मचारी लाभ						-
अन्य						-
(A) का योग			-	-	-	-
आस्थगित कर देयता:						
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों से संबंधित						-
अन्य			-			-
(B) का योग			-	-	-	-
शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति/(आस्थगित कर देयता) (C= A-B)			-	-	-	-
D. परिभाषित लाभ योजना का पुनर्मूल्यांकन DTL(+)/DTA(-)			-			-
शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति/(देयता) (E=C+D)			-	-	-	-
इस रूप में प्रकट किया गया:				**31.03.2025 को**		**31.03.2024 को**
आस्थगित कर संपत्तियाँ				-		-
आस्थगित कर देयता				-		-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

(₹ लाख में)

नोट - 12.1 : परिचालन से राजस्व	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
बिक्री		
बिक्री		
घटाव:वैधानिक **लेवी**		
बिक्री (निवल) (A) [12.1.1, 12.1.2 and 12.1.3]	-	-
अन्य परिचालन राजस्व		
रेत भंडारण और सुरक्षात्मक कार्यो के लिए सब्सिडी	-	-
लोडिंग और अतिरिक्त परिवहन शुल्क		
घटाव:वैधानिक **लेवी**		
	-	-
निकासी सुविधा शुल्क		
घटाव:वैधानिक शुल्क		
	-	-
अन्य सेवाओं से राजस्व	-	
घटाव:वैधानिक **लेवी**	-	
	-	-
अन्य परिचालन आय (शुद्ध) (बी)	-	-
परिचालन से राजस्व (A+B)	-	-

नोट - 12.2 : अन्य आय	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज आय[12.2.1]	242.20	139.29
म्यूचुअल फंड से लाभांश आय	-	-
अन्य गैर-परिचालन आय (ऐसी आय से सीधे संबंधित व्यय को घटाकर)		
संपत्ति की बिक्री पर लाभ	-	-
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर लाभ	-	-
म्यूचुअल फंड की बिक्री पर लाभ	-	-
पट्टा किराया[12.2.2]	-	-
वापस लिखा गया प्रावधान [12.2.2]	-	-
वापस लिखी गईं देनदारियाँ	-	-
उचित मूल्य परिवर्तन (निवल)	-	-
विविध आय[12.2.3]	-	-
कुल	**242.20**	**139.29**

12.2.1 ₹ 56,586 आयकर रिफण्ड में ब्याज शामिल है (पिछली अवधि ₹ शून्य, गत वर्ष ₹ शून्य)

12.2.2 वापस लिखा गया प्रावधान का विवरण		
निकाय कॉर्पोरेटऔर कर्मचारियों के ऋण के लिए (4.2.1)	-	-
व्यापार प्राप्य के लिए (4.3.1)	-	-
वित्तीय जमा और प्राप्य राशि के लिए (4.6.1)	-	-
कोला और भंडार सूची के लिए (5.1.1 और 5.1.2)	-	-
अन्य गैर चालू जमा और अग्रिमों के लिये (6.1.1)	-	-
अन्य चालू जमा और अग्रिमों के लिये (6.2.1)	-	-
घटाएँ: बट्टे खाते में डालने से संबंधित प्रावधान वापस लिखा गया		

अवधि/वर्ष के दौरान वापस लिखा गया कुल प्रावधान	-	-

नोट - 13.1 : खपत की गई सामाग्री की लागत	**31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए**
विस्फोटक	-	-
लकड़ी	-	-
तेल और स्नेहक	-	-
एच ई एम एम पुर्जे	-	-
अन्य खपत योग्य भंडार और पुर्ज़े	-	-
कुल	-	-

नोट - 13.1(a) : स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद		
स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद	-	-

नोट - 13.2 : तैयार माल की सूची में परिवर्तन, कार्य प्रगति पर और व्यापार में स्टॉक	**31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए**
कोयला की सूची मे बदलाव		
वर्ष की शुरुवात मे स्टॉक	-	-
राजस्व मे लाया गया प्रारम्भिक स्टॉक	-	-
वर्ष के अंत मे स्टॉक	-	-
	-	-
कार्यशाला और प्रेस कार्यों की सूची में परिवर्तन		
वर्ष की शुरुवात मे स्टॉक	-	-
वर्ष के अंत मे स्टॉक	-	-
	-	-
कुल	-	-

नोट - 13.3 : कर्मचारी लाभ व्यय	**31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए**
वेतन और मज़दूरी[13.3.1 & 13.3.2]	9.08	6.68
भविष्यनिधि और अन्य निधियों मे योगदान	-	-
कर्मचारी कल्याण व्यय	-	-
कुल	**9.08**	**6.68**

नोट - 13.4 : वित्त लागत	**31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए**
ब्याज खर्च		
छुट का समापन	-	-
उचित मूल्य परिवर्तन (शुद्ध)	-	-
अन्य उधर लागतें[13.4.1]	45.74	37.94
कुल	**45.74**	**37.94**

नोट - 13.5: मूल्यह्रास /परिशोधन/ हानी	**31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए**
मूल्यह्रास /परिशोधन/ हानी		

संपत्ति ,संयंत्र और उपकरण (नोट 3.1)	-	0.22
पूंजीगत कार्य प्रगति पर (नोट 3.2)	-	-
अनवेषण और मूल्यांकन संपत्ति (नोट 3.3)	-	-
अमूर्त संपत्ति (नोट 3.4)	-	-
विकासधीनअमूर्त संपत्ति (नोट 3.5)	-	-
	-	0.22
कम:		
कोयला खदानों के विकास के दौरान व्यय हेतु हस्तांतरित	-	
कुल	-	**0.22**

नोट - 13.6 : स्ट्रिपपिंग गतिविधि समायोजन	**31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए**
एडवांस स्ट्रिपपिंग (नेट)	-	-
रैशियो वेरियन्स रिजर्व	-	-
	-	-

13.6.1 अग्रिम स्ट्रिपिंग से तात्पर्य उस अवधि के दौरान अतिरिक्त भार हटाने से है जो उस अवधि के दौरान कोयले के उत्पादन से संबंधित नहीं है। अग्रिम स्ट्रिपिंग को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जिससे किसी परियोजना (खदान) में कोयले तक पहुँच में सुधार होता है।

13.6.3. नोट 9.1.2 देखें

नोट - 13.7: संविदात्मक व्यय	**31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए**
यातायात भुगतान	-	-
वेगन लोडिंग	-	-
संयंत्र और उपकरणों का किराया	-	-
अन्य संविदात्मक कार्य	-	-
कुल	-	-

नोट - 13.8 : अन्य व्यय	**31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए**
बिजली व्यय	-	-
मरम्मत और रखरखाव		
इमारत	-	-
संयंत्र और उपकरण	-	-
अन्य	-	-
यात्रा व्यय	-	-
प्रशिक्षण व्यय	-	-
टेलीफोन और इंटरनेट	-	-
विज्ञापन और प्रचार	-	-
माल ढुलाई शुल्क	-	-
डेमरेज	-	-
अंडर लोडिंग शुल्क	-	-
कोयला नमूनाकरण शुल्क	-	-
सुरक्षा व्यय	-	-

विधि व्यय	2.12	2.59
सीआईएल के सेवा शुल्क	-	-
परामर्श शुल्क	-	-
सेवा शुल्क (सीएमपीडीआई)	-	-
संपत्तियों की बिक्री/त्याग/सर्वेक्षण पर हानि	-	-
लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक और व्यय		-
लेखा परीक्षा शुल्क के लिए	1.35	1.58
कर मामलों के लिए	-	-
अन्य सेवाओं के लिए	-	-
व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए।	0.06	0.12
आंतरिक और अन्य लेखा परीक्षा व्यय	-	-
पुनर्वास शुल्क	-	-
लीज किराया और किराये पर लेने का शुल्क1	2.40	-
दरें और कर	0.33	0.58
बीमा	-	-
विनिमय दर भिन्नता पर हानि	-	-
अन्य बचाव/सुरक्षा व्यय	-	-
साइडिंग रखरखाव शुल्क	-	-
अनुसंधान, विकास और सर्वेक्षण व्यय	-	-
पर्यावरण और वृक्षारोपण व्यय	-	-
शेयरों की पुनर्खरीद पर व्यय	-	-
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय13.4.2	-	-
दान, पुरस्कार और अनुदान	-	-
प्रावधान13.4.1	-	-
बट्टे खाते में डालना (पहले से मान्यता प्राप्त प्रावधानों के बट्टे खाते में डालने के बाद)	-	-
विविध व्यय	1.35	0.01
कुल	**7.61**	**4.88**

नोट - 14.1: कर व्यय	**31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए**
चालू वर्ष	45.24	22.54
पूर्व वर्ष	-	1.01
कुल चालू कर	**45.24**	**23.55**
आस्थगित कर	-	
एमएटी क्रेडिट पात्रता	-	
कुल	**45.24**	**23.55**

14.1.1 कर व्यय का समाधान:

कर पूर्व लाभ/(हानि)।	179.77	89.57
25.168% की आयकर दर पर (31.03.2024: 25.168%)	45.24	22.54
घटाव: छूट प्राप्त आय पर कर		
जोड़ें: गैर-कटौती योग्य खर्चों पर कर/(कर उद्देश्य के लिए अतिरिक्त खर्चों की अनुमति)	-	0.00
एमएटी प्रावधानों के तहत कर के लिए समायोजन	-	-
पिछले वर्ष के कर के लिए समायोजन	-	1.01
लाभ और हानि विवरण में रिपोर्ट किए गए आयकर व्यय	**45.24**	**23.55**
प्रभावी आयकर दर:	**25.17%**	**26.29%**

14.1.2 आस्थगित कर परिसंपत्तियों/(देनदारियों) के घटक के लिए नोट 11.2 देखें

नोट - 15.1 : अन्य व्यापक आय	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
वे मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
निर्धारित लाभ योजनाओं का पुनर्माप[1]	-	-
	-	-
उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
निर्धारित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन	-	
	-	-
वे मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		
संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का हिस्सा	-	
किसी बाह्य परिचालन के वित्तीय विवरणों के अंतरण में विनिमय भिन्नता	-	-
	-	-
उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		
संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का हिस्सा	-	-
	-	-
कुल	-	-

13.8.2 सीएसआर व्यय का अनुलग्नक

(₹ लाख में)

	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	**31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए**
क. सीएसआर व्यय का गतिविधिवार ब्यौरा (अतिरिक्त व्यय सहित):		
भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन		
विशेष शिक्षा और रोजगार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशल सहित शिक्षा को बढ़ावा देना		
लैंगिक समानता और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों द्वारा सामना की जाने वाली असमानताओं को कम करने के उपाय		
पर्यावरणीय स्थिरता		
राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण		
सशस्त्र बलों के दिग्गजों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों का लाभ		
ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालंपिक खेलों और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण		
सामाजिक आर्थिक विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित कोष में योगदान		
इन्क्यूबेटरों या अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में योगदान		
विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में योगदान		
ग्रामीण विकास परियोजनाएं		
स्लम क्षेत्र का विकास		
राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन		
प्रशासनिक व्यय		
कुल		
ख. सीएसआर व्यय ब्रेक-अप		
(क) वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली अपेक्षित राशि (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित औसत शुद्ध लाभ का 2%)		
(ख) वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली बोर्ड द्वारा अनुमोदित राशि		
अवधि/वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि:		
(i) किसी भी संपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण		
(ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर		
कुल		
ग. मान्यता प्राप्त सीएसआर व्यय और व्यय किए गए सीएसआर व्यय का मिलान	**31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए**
खर्च किए गए सीएसआर व्यय		
घटाएँ: वर्ष के दौरान आगे ले जाए गए अतिरिक्त/(उपयोग किए गए)		
जोड़ें: चालू परियोजनाओं पर अव्ययित सीएसआर व्यय		
जोड़ें: चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य पर अव्ययित सीएसआर व्यय		
पीएंडएल में मान्यता प्राप्त राशि		
घ. चालू परियोजना के अलावा अन्य अप्रयुक्त राशि [धारा 135(5)]	**31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए**
प्रारंभिक शेष		
अनुसूची VII के विशिष्ट कोष में 6 महीने के भीतर जमा की गई राशि		
वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली राशि		
वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि		

ड़. अधिक व्यय की गई राशि [धारा 135(5)]

वर्षवार विवरण	प्रारंभिक जमा	वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली आवश्यक राशि	वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	जमा शेष
2021-22				
2022-23				
2023-24				
2024-25				
कुल				
अन्य चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत अन्य अग्रिम और जमाराशियों के लिए फुटनोट देखें				
च. अव्ययित चालू परियोजना [धारा 135(6)] (वर्षवार)		**31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए**	
प्रारंभिक शेष	कंपनी के साथ			
	अलग सीएसआर खाते में			
वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली राशि				
	कंपनियों के बैंक खाते से			
वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	अलग सीएसआर खाते में			
	कंपनी के साथ			
अंतिम शेष	अलग सीएसआर खाते में			
छ. सीएसआर व्यय की देयता के लिए प्रावधान	**31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए**			
प्रारंभिक शेष				
अवधि के दौरान वृद्धि				
वर्ष के दौरान समायोजन				
समापन शेष				

टिप्पणी 16: 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त टिप्पणी

1 1.a) क. आकस्मिक देयताएं

I. कंपनी के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है (उस सीमा तक जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है)

(₹ लाख में)

	केन्द्रीय सरकार	राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	अन्य	कुल
01-04-2024 के अनुसार प्रारंभिक शेष राशि	246.50	-	-	-	**246.50**
अवधि के दौरान जोड़					-
अवधि के दौरान निपटाए गए दावे					
क. प्रारम्भिक शेष से	115.04				**115.04**
ख. अवधि के दौरान अतिरिक्त					-
31.03.2025 को अंतिम शेष	**131.46**	-	-	-	**131.46**

(₹ लाख में)

	केन्द्रीय सरकार	राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	अन्य	कुल
01-04-2023 के अनुसार प्रारंभिक शेष राशि	255.49				**255.49**
अवधि के दौरान जोड़					-
अवधि के दौरान निपटाए गए दावे					
क. प्रारम्भिक शेष से	8.99				**8.99**
ख. अवधि के दौरान अतिरिक्त					-
31.03.2024 को अंतिम शेष	**246.50**	-	-	-	**246.50**

(₹ in lakhs)

आकस्मिक देयता			
क्र. सं	**विवरण**	**31.03.2025**	**31.03.2024**
1	**केन्द्रीय सरकार**		
	आय कर	131.46	246.50
	केंद्रीय उत्पाद शुल्क		
	स्वच्छ ऊर्जा उपकर		
	केंद्रीय बिक्री कर		
	सेवा कर		
	अन्य(कृपया निर्दिष्ट करें)		
	उप- कुल	**131.46**	**246.50**
2	**राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण**		
	रॉयल्टी		
	पर्यावरण मंजूरी		
	बिक्री कर/वैट		
	प्रवेश कर		
	बिजली शुल्क		
	अन्य		
	उप- कुल	-	-

3	**केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम**		
	मध्यस्थता कार्यवाही		-
	कंपनी के खिलाफ चल रहा मुकदमा		-
	अन्य(कृपया निर्दिष्ट करें)		-
	उप- कुल	-	-
4	**अन्य: (यदि कोई हो)**		
	विविध - भूमि और अन्य		
	कर्मचारी संबंधित और आदि		
	उप- कुल	-	-
	कुल योग	**131.46**	**246.50**

कंपनी की लंबित मुक़दमेबाज़ी मे कंपनी के खिलाफ दावा और कर/कानूनी/सरकारी प्राधिकारियों की लंबित कार्यवाही शामिल है ।
कंपनी ने अपने सभी लंबित मुकदमों और कार्यवाहियों की समिक्षा की है और पर्याप्त प्रावधान किए हें ,और जहां लागू हो,अपने वित्तीय विवरणों मे आकस्मिक देनदारीयों का खुलासा किया है ।कंपनी को उम्मीद नहीं है कि इन कार्यवाहियों के नतीजों का उसकी वित्तीय स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा ।उपरोक्त के संबंध मे भविष्य मे नकदी का बहिर्प्रवाह निर्णयों/निर्णयों के परिणाम पर निर्भर है ।

आकस्मिक संपत्ति :- आकस्मिक संपत्ति एक संभावित संपत्ति हे जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती है और जिसके अस्थित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से होती है ।
जो पूरी तरह से इकाई के नियंत्रण मे नहीं होती हें ।व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया के दौरान, कई उनसुलझे दावे वर्तमान मे बकाया हें । ऐसे दावों के संबंध मे आर्थिक लाभ के प्रवाह को सबंधित घटनाओं और परिस्थितियों जुड़ी अनिश्चितताओं के कारण मापा नहीं जा सकता है ।

II. गारंटी

31.03.2025 को जारी की गई बैंक गारंटी ₹ शून्य लाख है

III. साख पत्र

31.03.2025 को बकाया साख पत्र ₹ शून्य है ।

ख. प्रतिबद्धताएं

i) पूंजी प्रतिबद्धताएं:

पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने के लिए शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि और इसके लिए प्रदान नहीं किया गया: ₹ शून्य।

ii) शेयरों और अन्य निवेशों पर अप्राप्त देयता का आंशिक भुगतान;

ii) अन्य प्रतिबद्धताएँ:

2. संबंधित पार्टी की जानकारी :-

क) समूह जानकारी

एमजेएसजे कोल लिमिटेड

नाम	**पदनाम**	**से प्रभावी**
श्री अजीत कुमार बेहुरा	अध्यक्ष	16.09.2022
श्री दीपांकर पंडा	निदेशक	22.07.2021
श्री वी. शिवरामकृष्ण	निदेशक	20.07.2023
श्री चन्द्र प्रकाश तातेड़	निदेशक	17.06.2019
श्री सुभाजित सरकार	निदेशक	22.07.2021
श्री कृपया शंकर सिंह	निदेशक	18.04.2023
श्री गोबर्धन मोहपात्र	निदेशक	12.08.2024
श्री मानस रंजन मिश्र	सीएफओ	08.04.2022
श्री सौभाग्य परिडा	सीएस	25.04.2022

ख) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

(₹ लाख में)

क्र. सं.	सीएमडी, पूर्णकालिक निदेशकों और कंपनी सचिव को भुगतान	31.03.2025	31.03.2024
i)	अल्पावधि कर्मचारी लाभ		
क.	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक, मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव को भुगतान	-	0
ख.	स्वतंत्र निदेशकों को बैठने की फीस	-	-
ii)	नौकरी के बाद मिलने वाले लाभ	-	0
iii)	अन्य दीर्घकालिक लाभ	-	-
iv)	समाप्ति लाभ	-	-
v)	शेयर आधारित भुगतान	-	-
	कुल	-	-
नोट:			

ग) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ बकाया राशि का संतुलन (₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2025	31.03.2024
i)	देय राशि	-	-
ii)	प्राप्य राशि	-	-

VIII) कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से कोई व्यापार या अन्य प्राप्तियां अलग-अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से बकाया नहीं हैं। न ही कोई व्यापार या अन्य प्राप्तियां उन फर्मों या निजी कंपनियों से बकाया हैं जिनमें कोई निदेशक भागीदार, निदेशक या सदस्य है। इसके अलावा संबंधित पक्षों (निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों और अन्य) को कोई ऋण नहीं है।

3 **अन्य**

अधिकृत पूंजी

	31.03.2025	31.03.2024
₹ 10/- प्रत्येक के 9,51,00,000 इक्विटी शेयर	9,510.00	9,510.00

4 **उचित मूल्य मापन**

(क) श्रेणी द्वारा वित्तीय साधन (₹ लाख में)

	31.03.2025		31.03.2024	
	एफवीटीपीएल	**परिशोधित लागत**	**एफवीटीपीएल**	**परिशोधित लागत**
वित्तीय संपत्ति				
निवेश :				
सुरक्षित बांड				
म्युचुअल फंड/आईसीडी				
ऋण				
जमा और प्राप्य		4249.065		5727.43
व्यापार प्राप्तियां*				
नकद और नकद समकक्ष		0		0
अन्य बैंक शेष				
वित्तीय देनदारियों				
उधारी				
व्यापार देनदारियां				
सुरक्षा जमा और बयाना राशि		4.74		4.76
लीज देयताएं				
अन्य देनदारियां		713.76		618.65

* व्यापार प्राप्य से घटाया गया कोयला गुणवत्ता भिन्नता के लिए छूट ।

(b) **उचित मूल्य पदानुक्रम**

नीचे दी गई तालिका उन वित्तीय साधनों के उचित मूल्यों का निर्धारण करने में किए गए निर्णयों और अनुमानों को दर्शाती है जो (क) मान्यता प्राप्त और उचित मूल्य पर मापा जाता है और (ख) परिशोधन लागत पर मापा जाता है और जिसके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्यों का खुलासा किया जाता है। उचित मूल्य के निर्धारण में प्रयुक्त निविष्टियों की विश्वसनीयता के बारे में एक संकेत प्रदान करने के लिए, कंपनी ने अपने वित्तीय साधनों को लेखांकन मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों में वर्गीकृत किया है।

उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय आस्तियां और देनदारियां	31.03.2025		31.03.2024	
	स्तर 1	**स्तर 3**	**स्तर 1**	**स्तर 3**
एफवीटीपीएल पर वित्तीय संपत्तियां				
निवेश :				
म्युचुअल फंड/आईसीडी				
परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां जिसके लिए उचित मूल्य 31-03-2023 पर प्रकट किए गए हैं	**31.03.2025**		**31.03.2024**	
	स्तर 1	**स्तर 3**	**स्तर 1**	**स्तर 3**
वित्तीय संपत्ति				
निवेश* :				
सुरक्षित बांड				
ऋण				
जमा और प्राप्य		4,249.07		5727.43
व्यापार प्राप्तियां*				
नकद और नकद समकक्ष		-		0

अन्य बैंक शेष				
वित्तीय देयताएं				
उधारी				
व्यापार देनदारियां				
सुरक्षा जमा और बयाना राशि		4.74		4.76
लीज देयताएं				
अन्य देनदारियां		713.76		618.65

प्रत्येक स्तर का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

स्तर 1: स्तर 1 पदानुक्रम में उद्धृत कीमतों का उपयोग करके मापा गया वित्तीय साधन शामिल है। इसमें म्यूचुअल फंड शामिल है जिसका मूल्यांकन रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार क्लोजिंग नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) का उपयोग करके किया जाता है।

स्तर 2: वित्तीय साधनों का उचित मूल्य जो एक सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किया जाता है, मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जो अवलोकन योग्य बाजार डेटा के उपयोग को अधिकतम करते हैं और इकाई-विशिष्ट अनुमानों पर जितना संभव हो उतना कम भरोसा करते हैं। यदि एक उपकरण के उचित मूल्य के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण इनपुट देखे जा सकते हैं, तो उपकरण को स्तर 2 में शामिल किया जाता है।

स्तर 3: यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण इनपुट अवलोकन योग्य बाजार डेटा पर आधारित नहीं है, तो उपकरण स्तर 3 में शामिल है। यह निवेश, सुरक्षा जमा और स्तर 3 में शामिल अन्य देनदारियों के मामले में है।

(c) **उचित मूल्य निर्धारित करने में उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन तकनीक**

वित्तीय साधनों का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन तकनीकों में म्यूचुअल फंड में निवेश के संबंध में उपकरणों के उद्धृत बाजार मूल्य (एनएवी) का उपयोग शामिल है।

(d) **महत्वपूर्ण गैर-अवलोकन योग्य इनपुट का उपयोग करके उचित मूल्य माप**

वर्तमान में महत्वपूर्ण गैर-अवलोकन योग्य इनपुट का उपयोग करके कोई उचित मूल्य माप नहीं है।

(e) **परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय आस्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य**

व्यापार प्राप्य राशि, अल्पकालिक जमा, नकद और नकद समकक्ष, व्यापार देय राशि को उनकी अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्यों के समान माना जाता है।

कंपनी का मानना है कि सुरक्षा जमा में एक महत्वपूर्ण वित्तीय घटक शामिल नहीं है। सुरक्षा जमा कंपनी के प्रदर्शन के साथ मेल खाता है और अनुबंध के लिए वित्त के प्रावधान के अलावा अन्य कारणों से राशि को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक मील के पत्थर के भुगतान के एक निर्दिष्ट प्रतिशत को ठेकेदार अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पर्याप्त रूप से पूरा करने में विफल रहता है से रोकने का उद्देश्य कंपनी के हितों की रक्षा करना है,। तदनुसार, सुरक्षा जमा की लेनदेन लागत को प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य माना जाता है और बाद में परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

. महत्वपूर्ण अनुमान: वित्तीय साधनों का उचित मूल्य जो एक सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किया जाता है, मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। कंपनी अपने निर्णय का उपयोग एक विधि का चयन करने के लिए करती है और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उपयुक्त धारणा बनाती है।

5 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य और नीतियां

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियों में व्यापार और अन्य देनदारियां शामिल हैं। इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य कंपनी के संचालन को वित्तपोषित करना और इसके संचालन का समर्थन करने के लिए गारंटी प्रदान करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय संपत्तियों में ऋण, व्यापार और अन्य प्राप्य, और नकद और नकद समकक्ष शामिल हैं जो सीधे इसके संचालन से प्राप्त होते हैं।

कंपनी बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और नकदी जोखिम के संपर्क में है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों के प्रबंधन की देखरेख करते हैं। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन को एक जोखिम समिति द्वारा समर्थित किया जाता है जो अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी के लिए वित्तीय जोखिमों और उपयुक्त वित्तीय जोखिम प्रशासन ढांचे पर सलाह देती है। जोखिम समिति निदेशक मंडल को आश्वासन देती है कि कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियां उपयुक्त नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा नियंत्रित होती हैं और वित्तीय जोखिमों की पहचान, मापन और प्रबंधन कंपनी की नीतियों और जोखिम उद्देश्यों के अनुसार किया जाता है। निदेशक मंडल इन जोखिमों में से प्रत्येक के प्रबंधन के लिए नीतियों की समीक्षा करता है और सहमत होता है, जिन्हें नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

यह नोट उन जोखिमों के स्रोतों की व्याख्या करता है जिनसे प्रतिष्ठान को अवगत कराया जाता है कि संस्था वित्तीय विवरणों में जोखिम का प्रबंधन कैसे करती है।

जोखिम	से उत्पन्न होने वाला स्पष्टीकरण	माप	प्रबंधन
ऋण जोखिम	नकद और नकद समकक्ष, व्यापार प्राप्य वित्तीय परिसंपत्ति को परिशोधन लागत पर मापा जाता है	काल प्रभावन विश्लेषण / क्रेडिट रेटिंग	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), बैंक जमा का विविधीकरण क्रेडिट सीमा और अन्य प्रतिभूतियां
नकदी जोखिम	उधार और अन्य देनदारियां	आवधिक नकदी प्रवाह	प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों और उधार लेने की सुविधाओं की उपलब्धता
बाजार जोखिम-विदेशी मुद्रा	भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन, मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां जो भारतीय मुद्रा में मूल्यवर्गित नहीं हैं	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	वरिष्ठ प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित निगरानी और समीक्षा।
बाजार जोखिम-ब्याज दर	नकद और नकद समकक्ष, बैंक जमा और म्यूचुअल फंड	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), वरिष्ठ प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित निगरानी और समीक्षा।

. कंपनी जोखिम प्रबंधन भारत सरकार द्वारा जारी डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। बोर्ड समग्र जोखिम प्रबंधन के साथ-साथ अतिरिक्त तरलता के निवेश को कवर करने वाली नीतियों के लिए लिखित सिद्धांत प्रदान करता है।

A. **ऋण जोखिम:**

क्रेडिट जोखिम प्रबंधन:

प्राप्तियां मुख्य रूप से कोयले की बिक्री से उत्पन्न होती हैं। कोयले की बिक्री को मोटे तौर पर ईंधन आपूर्ति समझौतों (एफएसए) और ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

मैक्रो - आर्थिक जानकारी (जैसे नियामक परिवर्तन) को ईंधन आपूर्ति समझौतों (एफएसए) और ई-नीलामी शर्तों के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है

ईंधन आपूर्ति समझौते (एफएसए)

नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) की शर्तों के अनुसार और उसके अनुसार, कंपनी ग्राहकों के साथ या राज्य नामित एजेंसियों के साथ कानूनी रूप से लागू करने योग्य एफएसए में प्रवेश करती है जो बदले में अंतिम ग्राहकों के साथ उचित वितरण व्यवस्था में प्रवेश करती है। हमारे एफएसए को मोटे तौर पर इसमें वर्गीकृत किया जा सकता है:

- राज्य बिजली उपयोगिताओं, निजी बिजली सहित बिजली उपयोगिताओं के क्षेत्र में ग्राहकों के साथ एफएसए

उपयोगिताओं ("पीपीयू") और स्वतंत्र बिजली उत्पादक ("आईपीपी");

- गैर-विद्युत उद्योगों में ग्राहकों के साथ एफएसए (कैप्टिव पावर प्लांट्स ("सीपीपी") सहित); तथा
- राज्य द्वारा नामित एजेंसियों के साथ एफएसए।

ई-नीलामी योजना

कोयले की ई-नीलामी योजना उन ग्राहकों के लिए कोयले तक पहुंच प्रदान करने के लिए शुरू की गई है जो विभिन्न कारणों से एनसीडीपी के तहत उपलब्ध संस्थागत तंत्र के माध्यम से अपनी कोयले की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम नहीं थे, उदाहरण के लिए, उनके पूर्ण आवंटन से कम के कारण एनसीडीपी के तहत मानक आवश्यकता, उनकी कोयले की आवश्यकता की मौसमी और कोयले की सीमित आवश्यकता जो दीर्घकालिक लिंकेज की गारंटी नहीं देती है। ई-नीलामी के तहत पेश किए जाने वाले कोयले की मात्रा की कोयला मंत्रालय द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

क्रेडिट जोखिम तब उत्पन्न होता है जब एक प्रतिपक्ष संविदात्मक दायित्वों पर चूक करता है जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को वित्तीय नुकसान होता है।

प्रत्याशित ऋण हानि के लिए प्रावधान: कंपनी आजीवन प्रत्याशित ऋण हानि (सरलीकृत दृष्टिकोण) द्वारा संदिग्ध/ऋण बाधित आस्तियों के लिए अपेक्षित ऋण जोखिम हानि प्रदान करती है। संदर्भ नोट - 13, व्यापार प्राप्तियां

वित्तीय आस्तियों की क्षति के लिए महत्वपूर्ण अनुमान और निर्णय

ऊपर बताए गए वित्तीय आस्तियों के लिए हानि प्रावधान डिफ़ॉल्ट के जोखिम और संभावित हानि दरों के बारे में धारणाओं पर आधारित हैं। कंपनी इन अनुमानों को बनाने और कंपनी के पिछले इतिहास, मौजूदा बाजार स्थितियों के साथ-साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में भविष्योन्मुखी अनुमानों के आधार पर, हानि गणना के लिए इनपुट का चयन करने में निर्णय का उपयोग करती है।

B. **नकदी जोखिम**

विवेकपूर्ण नकदी जोखिम प्रबंधन का अर्थ है पर्याप्त नकदी और विपणन योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखना और देय होने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं के माध्यम से धन की उपलब्धता। अंतर्निहित व्यवसायों की गतिशील प्रकृति के कारण, कंपनी कोषागार प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों के तहत उपलब्धता बनाए रखते हुए वित्त पोषण में लचीलापन बनाए रखता है।

प्रबंधन अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर कंपनी की नकदी स्थिति (अनारित उधार सुविधाओं सहित) और नकदी और नकद समकक्षों के पूर्वानुमानों की निगरानी करता है। यह आमतौर पर कंपनी द्वारा निर्धारित प्रथाओं और सीमाओं के अनुसार स्थानीय स्तर पर किया जाता है।

C. **बाजार ज़ोखिम**

क) विदेशी मुद्रा जोखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन और मान्यता प्राप्त परिसंपत्तियों या देनदारियों से उत्पन्न होता है जो एक मुद्रा में मूल्यवर्गित होते हैं जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा (आईएनआर) नहीं है। कंपनी विदेशी मुद्रा लेनदेन से उत्पन्न होने वाले विदेशी मुद्रा जोखिम के संपर्क में है। विदेशी परिचालन के संबंध में विदेशी मुद्रा जोखिम को महत्वहीन माना जाता है। कंपनी आयात भी करती है और जोखिम का प्रबंधन नियमित अनुवर्ती कार्रवाई द्वारा किया जाता है। कंपनी की एक नीति होती है जिसे तब लागू किया जाता है जब विदेशी मुद्रा जोखिम महत्वपूर्ण हो जाता है।

ख) नकदी प्रवाह और उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम

कंपनी का मुख्य ब्याज दर जोखिम ब्याज दर में बदलाव के साथ बैंक जमा से उत्पन्न होता है, कंपनी को नकदी प्रवाह ब्याज दर जोखिम के लिए उजागर करता है। कंपनी की नीति अपनी अधिकांश जमा राशि को निश्चित दर पर बनाए रखने की है।

कंपनी बैंक जमा क्रेडिट सीमा और अन्य प्रतिभूतियों के विविधीकरण पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उपयोग करके जोखिम का प्रबंधन करती है।

6 **कर्मचारी लाभ: मान्यता और मापन (भारतीय लेखांकन मानक -19)**

परिभाषित लाभ योजनाएं

a **ग्रेच्युटी**

कंपनी ग्रेच्युटी प्रदान करती है, एक रोजगार के बाद परिभाषित लाभ योजना ("ग्रेच्युटी योजना") पात्र कर्मचारियों को कवर करती है। ग्रेच्युटी योजना पूरी तरह से भारतीय जीवन बीमा निगम के ट्रस्ट के माध्यम से वित्त पोषित है, जिसमें नियोक्ता का योगदान मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 2.01% है। प्रत्येक कर्मचारी जिसने 5 वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा की है, सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन के बराबर ग्रेच्युटी राशि प्राप्त करने का हकदार है (एक महीने में 15 दिन/26 दिन * अंतिम आहरित वेतन और महंगाई भत्ता* सेवा के पूर्ण वर्ष) ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के संशोधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कंपनी से अलग होने के समय अधिकतम 0.20 करोड़ रुपये के अधीन। ग्रेच्युटी योजना के संबंध में बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है, जिसमें से योजना संपत्ति का उचित मूल्य कम है। परिभाषित लाभ दायित्व की गणना प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिकों द्वारा की जाती है। अनुभव समायोजन और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले पुन: माप लाभ और हानियों को उस वर्ष में मान्यता दी जाती है जिसमें वे सीधे अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में होते हैं।

ख) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ - अधिकारी (सीपीआरएमएसई)

कंपनी के पास सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा लाभ योजना है जिसे सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों (सीपीआरएमएसई) के कार्यकारी के लिए अंशदायी पोस्ट सेवानिवृत्ति चिकित्सा योजना के रूप में जाना जाता है, जो केवल भारत में कंपनी अस्पताल / पैनल में शामिल अस्पतालों या आउट पेशेंट / अधिवास में अधिकारियों और उनके जीवनसाथी को चिकित्सा प्रदान करता है। अधिकतम सीमा, सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति के कारण या चिकित्सा आधार पर कंपनी द्वारा अलग कर दी जाती है या सामान्य कोयला संवर्ग या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत समय-समय पर तैयार और लागू की जाती है। सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों की सेवाओं से इस्तीफा देने वाले अधिकारियों को सदस्यता नहीं दी जाती है। बिना किसी ऊपरी सीमा के निर्दिष्ट बीमारियों को छोड़कर, संयुक्त रूप से या अलग-अलग साथ में लिए गए सेवानिवृत्त अधिकारियों और पति या पत्नी के लिए पूरे जीवन के दौरान प्रतिपूर्ति योग्य अधिकतम राशि 25 लाख रुपये है। इस उद्देश्य के लिए पूरी तरह से समूह स्तर पर सीआईएल द्वारा बनाए गए ट्रस्ट के माध्यम से योजना को वित्त पोषित किया जाता है। योजना के लिए दायित्व प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है।

ग) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ - गैर कार्यकारी (सीपीआरएमएस-एनई)

“””मजदूरी समझौते के तहत सामाजिक सुरक्षा योजना के एक हिस्से के रूप में, कंपनी गैर-कार्यकारियों और उनके जीवनसाथी और कंपनी में दिव्यांग बच्चे (बच्चों) को चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए गैर-कार्यकारियों (सीपीआरएमएसई-एनई) के लिए अंशदायी पोस्ट-रिटायरमेंट मेडिकेयर योजना प्रदान कर रही है। अस्पताल / पैनल में शामिल अस्पताल या केवल भारत में आउट पेशेंट / अधिवास की सीमा के अधीन, सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति के कारण या चिकित्सा आधार पर कंपनी द्वारा अलग किया जाता है या समय-समय पर तैयार और लागू स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सेवानिवृत्ति या कंपनी से 57 वर्ष या उससे अधिक की उम्र में या पति या पत्नी और दिव्यांग बच्चे (बच्चों) की मृत्यु पर कंपनी से इस्तीफा देता है।सेवानिवृत्त गैर-कार्यपालकों, पति या पत्नी और दिव्यांग बच्चे (बच्चों) के लिए संयुक्त रूप से पूरे जीवन के दौरान प्रतिपूर्ति योग्य अधिकतम राशि या गंभीर रूप से 8 लाख रुपये है, बिना किसी ऊपरी सीमा के निर्दिष्ट बीमारियों को छोड़कर। इस योजना को केवल इस उद्देश्य के लिए समूह स्तर पर सीआईएल द्वारा बनाए गए ट्रस्ट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। दायित्व च या योजना को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है। “ ”
“

परिभाषित योगदान योजनाएं

क) भविष्य निधि और पेंशन

कंपनी योग्य कर्मचारी के वेतन के एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर भविष्य निधि और पेंशन निधि के लिए पूर्व निर्धारित दरों पर निश्चित योगदान का भुगतान करती है अर्थात मूल वेतन का 12% और 7% भविष्य निधि और पेंशन निधि के लिए महंगाई भत्ता क्रमशः। इन निधियों को कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रण में एक अलग सांविधिक निकाय द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसका नाम कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) है। इस अवधि के लिए निधि में योगदान को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है।

(ख) सीआईएल कार्यकारी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (एनपीएस)

कंपनी कंपनी के अधिकारियों को रोजगार के बाद अंशदायी पेंशन योजना प्रदान करती है जिसे “सीआईएल कार्यकारी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना -2007” (एनपीएस) के रूप में जाना जाता है। एनपीएस को इस उद्देश्य के लिए गठित समूह स्तर पर अलग ट्रस्ट के माध्यम से प्रशासित किया जा रहा है। कंपनी का दायित्व ट्रस्ट में मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 30% से अधिक की राशि तक योगदान करना है, जिसमें भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ-कार्यकारी यानी सीपीआरएमएसई या किसी अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के लिए नियोक्ता का योगदान शामिल है। मूल और महंगाई भत्ते के 6.99% के वर्तमान नियोक्ता योगदान को लाभ और हानि के विवरण के लिए प्रभारित किया जा रहा है।.

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

क) छुट्टी के बदले नक़द भुगतान

कंपनी कंपनी के अधिकारियों को 30 दिनों की कुल अर्जित छुट्टी (ईएल) और 20 दिनों के आधे भुगतान अवकाश (एचपीएल) का लाभ प्रदान करती है, जो हर साल जनवरी और जुलाई के पहले दिन अर्धवार्षिक आधार पर अर्जित और जमा किया जाता है। . सेवा के दौरान, 75% ईएल जमा शेष राशि प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार भुनाई जा सकती है, जो अधिकतम 60 दिनों के ईएल नकदीकरण की सीमा के अधीन है। संचित एचपीएल को सेवा की अवधि के दौरान नकदीकरण की अनुमति नहीं है। सेवानिवृत्ति पर, ईएल और एचपीएल को एक साथ नकदीकरण के लिए माना जाता है, जो एचपीएल के कम्यूटेशन के बिना 300 दिनों की समग्र सीमा के अधीन है। गैर-कार्यपालकों के मामले में, छुट्टी नकदीकरण राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौते (एनसीडब्ल्यूए) द्वारा शासित है और वर्तमान में कामगार प्रति वर्ष 15 दिनों की दर से अर्जित अवकाश का नकदीकरण प्राप्त करने और मृत्यु के कारण सेवा बंद करने पर हकदार हैं, सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति और वीआरएस, शेष अवकाश या 150 दिन जो भी कम हो, को भुनाने की अनुमति है। इसलिए, अर्जित छुट्टी के लिए देनदारियों को सेवा के दौरान और साथ ही कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद निपटाने की उम्मीद है। इसलिए उन्हें अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में अपेक्षित भविष्य के भुगतान के वर्तमान मूल्य के रूप में मापा जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार प्रतिफल का उपयोग करके लाभों को छूट दी जाती है, जिसमें संबंधित दायित्व की शर्तों के अनुसार शर्तें होती हैं। योजना के तहत देयता प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार कंपनी द्वारा वहन की जाती है।.

ख) जीवन बीमा योजना (एलसीएस)

वेतन समझौते के तहत सामाजिक सुरक्षा योजना के एक हिस्से के रूप में, कंपनी के पास जमा लिंक बीमा योजना, 1976 के तहत जीवन बीमा योजना है, जिसे श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है, जिसे “कोल इंडिया लिमिटेड की लाइफ कवर योजना” (एलसीएस) के रूप में जाना जाता है। योजना के तहत 01.10.2017 से 1,25,000 रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है। लाभ की अपेक्षित लागत को तब पहचाना जाता है जब कोई घटना घटित होती है जो योजना के तहत देय लाभ का कारण बनती है।.

ग) निपटान भत्ते

वेतन समझौते के हिस्से के रूप में, एनसीडब्ल्यूए के तहत शासित सभी गैर-कार्यकारी कैडर कर्मचारियों को 31.10.2010 को या उसके बाद सेवानिवृत्ति भत्ते के रूप में 12000/- रुपये की एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है। योजना के तहत देयता प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार कंपनी द्वारा वहन की जाती है।

घ) समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (जीपीएआईएस)

कंपनी ने “कोल इंडिया एक्जीक्यूटिव्स ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम” (जीपीएआईएस) के रूप में जानी जाने वाली व्यक्तिगत दुर्घटना के खिलाफ कंपनी के अधिकारियों को कवर करने के लिए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से समूह बीमा योजना ली है। GPAIS दुनिया भर में 24 घंटे के आधार पर सभी प्रकार की दुर्घटनाओं को कवर करता है। योजना का प्रीमियम कंपनी द्वारा वहन किया जाता है।

ड) अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी)

वेतन समझौते के एक भाग के रूप में, गैर-कार्यकारी कर्मचारी 4 साल के ब्लॉक में एक बार अपने गृह नगर और "भारत भ्रमण" के लिए यात्रा सहायता के हकदार हैं। होम टाउन और "भारत भ्रमण" का दौरा करने के लिए क्रमशः 8000 / - और 12000 / - रुपये की एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर योजना के लिए देयता की पहचान की जाती है।

च) खान दुर्घटना लाभ पर आश्रितों को मुआवजा

वेतन समझौते के तहत सामाजिक सुरक्षा योजना के एक हिस्से के रूप में, कंपनी कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के तहत स्वीकार्य लाभ प्रदान करती है। एक घातक खदान दुर्घटना के मामले में एक कर्मचारी के परिजनों को 07.11.2019 से 15 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है। । लाभ की अपेक्षित लागत को तब पहचाना जाता है जब कोई घटना घटित होती है जो योजना के तहत देय लाभ का कारण बनती है। .

परिभाषित लाभ योजनाओं और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाओं की वित्तपोषण स्थिति निम्नानुसार है:

(i) वित्त पोषित

o ग्रेच्युटी

o छुट्टी नकदीकरण

o सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ – कार्यकारी (सीपीआरएमएसई)

o सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ – गैर कार्यकारी (सीपीआरएमएस-एनई)

(ii) वित्त पोषित नहीं-

o जीवन बीमा योजना

o निपटान भत्ता

o समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा

o छुट्टी यात्रा रियायत

o खान दुर्घटना लाभ पर आश्रित को मुआवजा

7 **अन्य सूचना**

a) **खंड रिपोर्टिंग**

समूह का मुख्य व्यवसाय कोयला खनन और संबंधित सेवाएँ है। समूह की सभी गतिविधियाँ मुख्य व्यवसाय के इर्द गिर्द घूमती है।इस प्रकार समूह के लिए कोई अलग रिपोर्ट करने योग्य खंड नहीं है।

(b)

पट्टा						
क्र.सं	क्षेत्र का नाम	पट्टेदार का नाम	पट्टे पर दी गई संपत्ति	अनुबंध वैध अवधि	पट्टा किराया प्रति वर्ष	टिप्पणियां

(c) **बीमा और वृद्धि के दावे**

प्रवेश/अंतिम निपटान के आधार पर बीमा और वृद्धि दावों का हिसाब लगाया जाता है।

(d) **चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम आदि।**

सामान्य व्यवसाय क्रम में चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों पर वसूली का मूल्य, बैलेंस शीट में दर्शाई गई राशि से कम नहीं होगा।

(e) **चालू देनदारियां**

कंपनी के पास बैंकों से शेष राशि की आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। बैंक खातों और बैंकों और वित्तीय संस्थानों से उधार के संबंध में कोई अपुष्ट शेष राशि नहीं है। अन्य पक्षों के संबंध में, समाधान किया जाता है और शेष राशि की पुष्टि के लिए पत्र/ईमेल भी आवधिक आधार पर भेजे जाते हैं। ऐसी कुछ शेष राशियाँ पुष्टि/समाधान के अधीन हैं। यदि कोई समायोजन होता है, तो उसकी पुष्टि/समाधान के समय उसका हिसाब लगाया जाएगा और परिणामों पर इसका कोई भौतिक प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है।

f) बेनामी संपत्ति:

बेनामी लेनदेन(निषेध) अधिनियम,1988 के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए बैलेन्स शीट की तारीख पर कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही सुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है ।

g) **बैंकों या वित्तीय संस्थाओं द्वारा भरे गए रिटर्न या विवरण:**

कंपनी द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थानों के पास दाखिल तिमाही रिटर्न/चालू परिसंपत्तियों का विवरण आम तौर पर लेखा पुस्तकों के अनुरूप होता है।

h) **जानबूझकर चूककर्ता:**

कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या किसी अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

i) **हटाई गई कम्पनियों के साथ संबंध:**

कंपनी ने हटाई गई कंपनियों के साथ कोई भी महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं किया है।

j) **कंपनी रजिस्ट्रार के साथ शुल्क का पंजीकरण या संतुष्टि:**

कंपनी द्वारा वैधानिक अवधि से परे कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण के लिए कोई शुल्क या संतुष्टि लंबित नहीं है।

k) **कंपनियों के कई लेयर्स के साथ अनुपालन:**

कंपनी (लेयर्स की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पठित अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) के प्रावधान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अनुसार कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

m) **व्यवस्था की अनुमोदित योजना का अनुपालन:**

वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 237 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यवस्था की कोई योजना अनुमोदित नहीं की गई।

n) **उधार ली गई धनराशि और शेयर प्रीमियम का उपयोग:**

(ए) कंपनी ने इस समझ के साथ किसी भी इकाई (मध्यस्थ) को कोई फंड अग्रिम या ऋण नहीं दिया है या निवेश नहीं किया है कि मध्यस्थ कंपनी द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए पक्ष (अंतिम लाभार्थी) को उधार देगा या निवेश करेगा। (बी) कंपनी ने इस समझ के साथ किसी भी पार्टी से कोई फंड प्राप्त नहीं किया है कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थी") को उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज़ प्रदान करेगी। Beneficiaries.

o) **क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी**

कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

p) **अघोषित आय:**

कंपनी का ऐसा कोई लेन-देन नहीं है जो लेखा पुस्तकों में दर्ज न हो, जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पित या प्रकट किया गया हो।

(q) **विखंडित राजस्व जानकारी:**

नीचे दी गई तालिका भारतीय लेखा मानक 115, ग्राहक के साथ अनुबंध से राजस्व की आवश्यकता के अनुसार ग्राहक के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व की अलग-अलग जानकारी प्रस्तुत करती है:

(₹ करोड़ में)

अलग-अलग राजस्व जानकारी:		31.03.2025 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2024 को समाप्त अवधि के लिए
माल या सेवा के प्रकार			
- कोयला		-	-
- अन्य		-	-
कोयले और अन्य की बिक्री से कुल राजस्व		-	-
ग्राहकों के प्रकार			
- ऊर्जा क्षेत्र		-	
- गैर-ऊर्जा क्षेत्र		-	
- अन्य या सेवाएं		-	-
कोयले और अन्य की बिक्री से कुल राजस्व		-	-
अनुबंध के प्रकार			
एफएसए		-	
ई-निलामी		-	
अन्य		-	
कोयले और अन्य की बिक्री से कुल राजस्व		-	-
माल या सेवा का समय			
- एक समय में माल का हस्तांतरण		-	-
- समय के साथ स्थानांतरित किया गया माल		-	-
- एक समय में स्थानांतरित की गई सेवाएं		-	-
- समय के साथ स्थानांतरित की गई सेवाएं		-	-
कोयले और अन्य की बिक्री से कुल राजस्व		-	-

(r) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 के अंतर्गत कोई भी बेनामी संपत्ति रखने के लिए बैलेंस शीट की तिथि पर कंपनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

(s) समूह के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के अंतर्गत बंद की गई कंपनियों के साथ कोई लेनदेन नहीं हुआ था।

8 विविध जानकारी :-

i. **वित्तीय वर्ष 2024-25 में लागू नवीनतम लेखांकन घोषणाएँ**

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 में कई संशोधन जारी किए हैं, जो 1 अप्रैल 2024 से लागू होने वाले विभिन्न भारतीय लेखा मानकों (Ind AS) में महत्वपूर्ण बदलाव पेश करते हैं। इन संशोधनों में Ind AS 117 की शुरूआत शामिल है - Ind AS 101, 103, 105, 107, 109, 115 में परिणामी संशोधनों के साथ बीमा अनुबंध; Ind AS 116 में संशोधन - कुछ बीमाकर्ताओं के लिए पट्टे और Ind AS 104 की निरंतरता। कंपनी ने इन संशोधनों का मूल्यांकन किया है और पाया है कि इसके वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है।

ii. जहां भी आवश्यक हुआ, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत किया गया है, ताकि उन्हें तुलनीय बनाया जा सके।

iii. नोट - 1 और 2 क्रमशः कॉर्पोरेट जानकारी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, नोट 3 से 11 बैलेंस शीट का हिस्सा बनते हैं और 12 से 13 लाभ और हानि के विवरण का हिस्सा बनते हैं। नोट - 16 वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त नोट्स का प्रतिनिधित्व करता है।

संलग्नित हमारी रिपोर्ट के अनुसार

बोर्ड की ओर से

ह/-	ह/-	ह/-	ह/-
(एस. परिडा)	(एम. आर. मिश्रा)	(जी. मोहापात्र)	(ए.के. बेहुरा)
कंपनी सचिव	मुख्य वित्तीय अधिकारी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	अध्यक्ष
		डीआईएन-**10125609**	डीआईएन-**09712877**

सम दिनांक की हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
मुरलीलाल अगरवाला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
FRN:0324132E

ह/-
स्वामी
सदस्यता संख्या: **059905**
दिनांक: **10.04.2025**
स्थान: अंगुल

MJSJ COAL LIMITED
ANGUL

एमजेएसजे कोल लिमिटेड

(महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की एक सहायक कंपनी)

(सीआईएन-U10200OR2008GOI010250)

पंजीकृत कार्यालय : बलान्डा ट्रांसिट कैंप, प्रथम तल, पोस्ट - बलान्डा ,
साउथ बलान्डा , तालचेर, अंगुल, ओड़िशा- 759116.